खण्ड-347, अंक-6
बुधवार, 16 आश्विन, शक संवत् 1902
(8 अक्टूबर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	717–721
प्रश्नोत्तर	..	723–756
डी0 वी0 ए0 पी0 ग्रेजुएट कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर में छात्र संघ द्वारा स्थापित सरस्वती प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	757
निर्वाचन क्षेत्र मऊ, आजमगढ़ में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	757–758
आनन्दनगर कस्बे में बम विस्फोट की घटना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	758
गाजीपुर व बनारस सीमा पर स्थित कुशही गांव की भूमि संबंधी विवाद के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	759
कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र को मिलने वाली शक्कर जाली परमिट से उठा कर ब्लैक में बेच दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	759–760
श्री श्याम नारायण तिवारी की सुरक्षा व्यवस्था की मांग	..	761
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना की अधीन सहायक अनुदान), नियमावली 1978 से संबंधित शुद्धि–पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	..	761–762
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	762
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	762
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1978–79 के लेखों पर महा–लेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी रूपान्तर (सदन के पटल पर रखा गया)	..	762
परिवहन मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग की नियमावली सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति	..	763
विधान परिषद् में पुलिस के प्रवेश पर आपत्ति (जारी)	..	763–765
दैनिक समाचार पत्र 'नेशनल हेराल्ड' के सम्पादक एवं उसके संवाददाता के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	..	765–767
श्रम मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	..	767–773

विषय		पृष्ठ संख्या
विधान परिषद् में पुलिस के प्रवेश पर आपत्ति (क्रमागत)	..	773–779
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	779
1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 62–वन विभाग, अनुदान संख्या 101–वन विभाग––पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 116––वन विभाग–ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 74––पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या 126–पर्यटन विभाग––ऋण और अग्रिम(स्वीकृत)	..	779–798
अनुदान संख्या 46–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 84–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 26––गृह विभाग(कारागार)तथा अनुदान संख्या 81––गृह(कारागर)विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)		799–812
अनुदान संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति–कर एवं बिक्रीकर) (स्वीकृत)	..	813
अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग–पंजीकरण (स्वीकृत)	..	813
अनुदान संख्या 12––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बिक्रीकर) (स्वीकृत)	..	813–814
अनुदान संख्या 13––वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्यव्यय (स्वीकृत)	..	814
अनुदान संख्या 21––संस्थागत वित्त विभाग–(स्वीकृत)	..	814
अनुदान संख्या 24––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत)	..	815
अनुदान संख्या 31––वित्त विभाग (अर्द्ध वर्ष भत्ते तथा पेंशन)(स्वीकृत)		815
अनुदान संख्या 32––वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	..	815–816
अनुदान संख्या 90––संस्थागत वित्त विभाग–पूंजीगत परिव्यय(स्वीकृत)		816
अनुदान संख्या 125––वित्त विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	..	816
उत्तर प्रदेश विनिधोग विधेयक, 1980 (पारित)	..	817–828
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित)		828–833
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	833
उरई नगर, जनपद जालौन में, श्री अजय गुप्ता की मृत्यु के संबंध में विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	833–841
आगरा जनपद के शमसाबाद मार्ग पर विकास प्राधिकरण द्वारा आवास योजना के अन्तर्गत गांवों की भूमि अर्जित करने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	842–846

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 अक्तूबर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (368)

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रूखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछरिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बलराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देबी, श्रीमती (बस्ती)

गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन, श्री (अल्मोड़ा)
गोरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री, (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
चन्द्र शंखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)

दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डरी, श्री (पौड़ी–गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)

फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवरी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)

राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रुद्र प्रसाद सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कतयाल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)

सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीत शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट :--मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 8 अक्तूबर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तरकाशी जिले के बड़ेथी व चिनाली सीड़ ग्राम की लिफ्ट सिंचाई योजना

*1--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के बड़ेथी व चिनाली सीड़ ग्रामों में भागीरथी नदी से सिंचाई के लिए पानी लिफ्ट करने की कोई योजना सरकार ने स्वीकृत की है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है और कब तक यह योजना पूरी हो जायगी तथा योजना का कुल व्यय क्या है ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जी हां ।

अगस्त, 1980 तक इस योजना पर लगभग 4·35 लाख रुपये व्यय हो चुका है । 1·45 कि0 मी0 लम्बी "लाइण्ड" चैनल का निर्माण हो चुका है तथा पम्पों की आपूर्ति कर ली गयी है ।

उक्त योजना का निर्माण कार्य 1981-82 तक पूरा होने का अनुमान है । योजना की कुल अनुमानित लागत 12·69 लाख रुपये है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना कब प्रारम्भ हुई और इस योजना के संपन्न होने पर कितनी भूमि का इस योजना से सिंचन होगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, योजना 1977 में स्वीकृत हुई थी और 1978 में प्रारम्भ हुई, इसके निर्माण से 100·8 हैक्टेयर सिंचाई उपलब्ध होगी।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय वहां पर काम बन्द है, इस सूचना को सही मान कर क्या वह जांच करायेंगे और आदेश देंगे कि इस योजना को समय के भीतर पूरा हो जाना चाहिए ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, बिलकुल इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जायेंगे । लेकिन जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है 78 में भागीरथी नदी में अप्रत्याशित बाढ़ आयी थी, उससे पम्प

हाउस बह गया। मैं इसकी निश्चित जांच करवाऊंगा और तुरन्त काम इस पर शुरू कर दिया जायगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि अप्रत्याशित बाढ़ आ जाने से पम्प हाउस बह गया, तो क्या जिन विशेषज्ञों द्वारा यह निर्मित किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे और दूसरी बात यह बताऊं कि उससे शासन के धन का कितना नुकसान हुआ ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

(शोर) उसमें कन्स्ट्रक्शन वर्क हो रहा था और उससे कोई धन का ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित 1976-77 में योजना स्वीकार हुयी, 1977-78 में काम शुरू हुआ और 1981-82 म पूरा होने की बात है। इस योजना में अब तक जो कार्य हुआ है, इस बीच में, उस प्रगति को देखते हुये, क्या यह सही है कि निर्धारित समय पर यह योजना पूरी हो जायेगी, और यदि नहीं, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसके आदेश करेंगे कि निर्धारित समय पर काम पूरा हो ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

इस पर कोई कोताही नहीं होगी। शीघ्रातिशीघ्र काम पूरा किया जायेगा।

मथुरा जिले की हुलवाना ड्रेन के लिये भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में हुलवाना ड्रेन (जो पहले गोवर्द्धन ड्रेन के नाम से जानी जाती थी) को चौड़ा करने में तहसील मथुरा के ग्राम नीरपुर, परखम, जमालपुर, सोनोरा, वरी, मीरजापुर, थाना खेमा के काश्तकारों की जो भूमि अधिगृहीत की गयी है क्या उसका मुआवजा काश्तकारों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो भूमि कब ली गयी ? मुआवजा कब दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जायगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

प्रश्नगत ग्रामों के काश्तकारों की भूमि हुलवाना डाइवर्जन ड्रेन के निर्माण हेतु रूरल डेवलपमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत माह नवम्बर, 1978 में ली गयी थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषकों को वार्षिक रेन्ट देय है जो अप्रैल, 1980 में दिया जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्तकारों की जो जमीन ली गयी है, उसका जो वार्षिक रेन्ट है, यह रेन्ट किस आधार पर दिया गया

हैं ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी है, वह मुआवजा उनको दिया गया अब तक या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो वार्षिक लगान है, उसी के अनुसार उसका साढ़े 12 गुना दिया जाता है । और यह मुआवजा इन काश्तकारों को तब तक दिया जायेगा, जब तक इनकी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था और मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि जिन लोगों की भूमि ली गयी है, उन काश्तकारों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो क्या उन काश्तकारों को धन दिया जायेगा वास्तविक रूप में या केवल फाइलों पर ही आदेश रहेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो रिपोर्ट मेरे पास आयी है, उसमें 15,211·72 रु० की धन-राशि कुल वितरित कर दी गयी है । यह जिन गांवों का ब्योरा आपने दिया है, उसमें 15,211·72 रु० होती है, वह दे दी गयी है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जो लगान है, उसका साढ़े 12 गुना दिया जाता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि लगान सब का एक सा तो होता नहीं, इस लिए क्या सर्किल रेट पर सब को बराबर देने की कृपा करेंगे क्योंकि सर्किल रेट सबका एक सा होता है । इसलिए मन्त्री जी कृपया बतायें कि क्या सर्किल रेट से सबको देने का विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो ऐक्ट है, उसी के अनुसार लगान का साढ़े 12 गुना दिया जाता है, जो वार्षिक लगान हैं उसी के हिसाब से ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

काश्तकारों की भूमि ली गई, उसका क्या मुआवजा काश्तकारों को दे दिया गया है या नहीं । यदि हां, तो भूमि कब ली गई ? मुआवजा कब दिया गया है ? मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि जमीन का साढ़े 12 गुना मुआवजा दिया जाता है । मान्यवर, यह बहुत कम है किसी की जमीन लेने के लिये तो क्या माननीय मन्त्री जी इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, साढ़े 12 गुना नियम के अन्दर है जो नियम में था दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। माननीय मन्त्री जी ने फाइल पढ़कर सुना दिया कि इतना पैसा वितरित कर दिया गया और जिन किसानों को

वह पैसा मिलना था उनका कहना है कि उनको अभी नहीं मिला, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह पैसा कहां गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जांच करा लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जमीन का लगान अलग-अलग होता है जो भूमिधर होते हैं उनका लगान कम और सीरदार का लगान ज्यादा होता है, स्थायी रूप से मुआवजा की कार्यवाही बाद में होगी । उस जमीन का इतना पैसा बहुत कम है । 2 वर्ष तक रेन्ट न देने से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । अन्तिम रूप से भूमि अधिग्रहण को कार्यवाही न करने से पहले जमीन ले ली गई और उस पर निर्माण कार्य करा लिया गया इसका क्या कारण है । लैंड इक्यूजीशन की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लगान मान्यवर, कहीं कम कहीं ज्यादा होता है लगान सिंचित एवं असिंचित के हिसाब से भी होता है । मान्यवर, इस सब को देखते हुये साढ़े 12 गुना दिया जाता है । लैन्ड इक्यूजीशन की कार्यवाही जल्दी से जल्दी पूरी करवाने को हम कोशिश करेंगे इसमें टाइम लगता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उत्तर नहीं आया । दो वर्ष तक किसानों को रेट न देने से उनको जो फसल मिलती उसमें नुकसान हुआ, तो जो विलम्ब किया गया इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? दूसरी बात जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी नियम का सहारा ले रहे हैं । नियम तो सरकार बनाती है यह नियम ठीक नहीं है, तो माननीय मन्त्री जी नियमों में परिवर्तन करके काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा हित में कोई कार्यवाही करने पर कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, लैन्ड एक्यूजीशन के बाद ही निर्माण कार्य किया जाता है किन्तु कभी-कभी ऐसा कार्य होता है जिसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता है और तुरन्त कार्य को करना पड़ता है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जमीन का कहीं कोई आधार है । उत्तर प्रदेश में काफी जमीन ऐसी है सवा छः एकड़ के तहत जिस पर कोई लगान नहीं लगता, तो क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास सवा छः एकड़ से कम जमीन है। वहां पर साढ़े 12 गुना का नियम कैसे लागू किया गया जहां कोई लगान नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, लगान का रेट होता है । लगान लिया जाता है या नहीं । उसी का साढ़े 12 गुना दिया जाता है ।

श्री हुकम सिंह--

जो रेट की बात कही तो उनकी खतौनियों में जो सवा छः एकड़ जमीन है उसका किराया लगान है क्योंकि उसमें कोई लगान का इंदराज नहीं होता है ? सर्किल रेट के आधार पर देते हैं उसके अन्तर्गत 12 1/2 गुना कम किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको मैं जानकारी करा लूंगा । इसमें साढ़े 12 गुना दिया गया है ।

श्री बदन सिंह--

गोवरधन ड्रेन के लिए अधिगृहीत जमीन जो नीरपुर, परखम, जमालपुर, सोनोरा, वरी, मीराजपुर, थाना खेमा आदि की गई, मेरी जानकारी के अनुसार यहां अभी नाला चौड़ा नहीं हुआ है क्योंकि ऊपर के गांव वालों ने इसका विरोध किया था तो मैं जानना चाहता हूं कि जब तक इन गांवों में नाला चौड़ा न हो, क्या सरकार वहां के किसानों को उनकी ली हुई जमीनों पर खेती करने के लिए आज्ञा प्रदान करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी तो बहुत थोड़ी जमीन ली गई है, बहुत लम्बी योजना है, 1780 एकड़ जमीन की आवश्यकता है और केवल 1599 एकड़ ली गई है । जितनी-जितनी आवश्यकता होती है, लेते हैं ।

लखनऊ नगर की गाजीउद्दीन हैदर कनाल की सफाई

*3--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की गाजीउद्दीन हैदर कैनाल की मवैय्या से सदर तक की सफाई पिछले कितने वर्षों से नहीं की गई है उपरोक्त अवरोध के कारण किनारे पर बने मकानों की जल भराव से जो खतरा पैदा हो गया है उसके परिमार्जनार्थ शासन क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखनऊ की गाजीउद्दीन हैदर कैनाल के स्टेशन रोड व कैन्ट रोड के पुलों के बीच का भाग पक्का है । इस भाग में जमा हुई सिल्ट वर्षा के पानी से स्वतः बह जाती है अतएव सिल्ट सफाई आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

अतएव उपरोक्त लम्बाई में किसी प्रकार के अवरोध का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था गाजीउद्दीन हैदर कैनाल की मवैय्या से सदर तक और उत्तर में कहा गया है कि स्टेशन रोड व कैन्ट रोड के पुलों के बीच का भाग पक्का है । इसमें मवैय्या का कहीं नाम नहीं, तो मैं जानना चाहती हूं कि 23 सितम्बर, 1980 को जो मैंने प्रश्न किया था 16 अगस्त, 1980 का था, कि जो कैनाल के किनारे के मकान गिरे हैं, इस प्रकार की कोई सूचना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नहर के किनारे कुछ व्यक्तियों ने स्वेच्छा से कब्जा कर लिया और बरसात में जब पानी भर गया, कैनाल भर गई, तो उसमें डूब गये होंगे । अनधिकृत कब्जा हैं, उनको बता दिया गया था कि बारिश हो रही है, वहां से हट जायें ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

वह अनधिकृत कब्जे कितने दिन के हैं और इसके अलावा जो वहां के बेसिक मकान गिर गये हैं जिनकी 24 तारीख को खबर व फोटो अखबार में छपी है, इसकी जानकारी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो कैनाल बनी है उसमें पानी नहीं रुकता, बहुत पुरानी है और अच्छी बनी है लेकिन जगह-जगह लोगों ने अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं और उनको बार-बार कहा जाता है कि वहां से कब्जा हटायें । कब्जा हटाने की कोशिश की जाती रही । बहुत से लोग इसके बावजूद वहां पर रहे हैं । कैनाल जो बनी है, उसमें ऐसा संभव नहीं है कि लोग डूब जायें । जैसा वर्षा हुई है इस वर्ष उसमें पूरे लखनऊ में पानी भर गया था । दो घंटे, चार घंटे लगातार बरसात हुई । हो सकता है पानी भरा रहा हो । जैसे ही बरसात खतम होती है पानी निकल जाता है । पानी भरा रहा हो, ऐसी बात नहीं है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं मिला, मान्यवर । मैंने आपके माध्यम से पूछा था कि जो लोग वहां अनधिकृत कब्जे से रह रहे हैं, वह कितने वर्षों से रह रहे हैं, एक बात । दूसरी बात क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना है कि अनधिकृत कब्जे के अतिरिक्त और भी मकान थे जो सफाई न होने के कारण गिर गये ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न दो हिस्से में है । मान्यवर, एरिया दो हिस्से में है । स्टेशन रोड, कैन्ट रोड के बीच का हिस्सा सिंचाई विभाग देखता है । बाकी की जल निगम द्वारा सफाई होती है । जो सूचना है उसके मुताबिक जल निगम द्वारा सफाई की गयी । 9 आदमियों का गैंग है जो इसकी सफाई करते रहते हैं । इसमें कहा गया है कि 79-80 में 53,526 रुपये इस सफाई कार्य में खर्च किये गये हैं और भी तरीकों से सफाई कार्य हमेशा किया जाता रहता है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, पुनः मैं उसी प्रश्न पर आती हूं । मान्यवर, एक प्रश्न मैंने पूछा था वह स्पष्ट और सीधा है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जो घर बह गये हैं वह अनधिकृत कब्जे के हैं । उन्होंने बना लिया और गिर गये । मैंने पूछा था उनका कब्जा कितने वर्षों से अनधिकृत रूप से है । दूसरा यह पूछा था कि ओरीजिनली रहने वाले जो हैं, जिनके अपने मकान हैं, जिन्होंने जमीन खरीदकर घर बनाया था, उनके मकान गिरे हैं । यदि मंत्री जी को पता है तो बता दें । मैं आगे प्रश्न करूं । बहुत अहम् प्रश्न है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

अनधिकृत कब्जे कितने पुराने हैं यह सूचना उपलब्ध नहीं है । और जो बात कही ओरीजिनल मकानों के डूबने की उसकी भी सूचना नहीं है । सफाई लगी रहती है ।

नैनीताल जिले की कैलाश नदी द्वारा ग्राम नकुलिया ओदली, घुसरी आदि का कटाव

*4--श्री विहारी लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कैलाश नदी तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल द्वारा काटे जाने वाले ग्राम नकुलिया ओदली, घुसरी, एजनियां तथा सलमता के बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि इसमें अनेकों विस्थापित परिवार निवास करते हैं ? यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत ग्रामों के बचाव हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नगत ग्रामों में विस्थापित परिवार निवास नहीं करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या इन ग्रामों में किसी अधिकारी को भेजने की कृपा करेंगे जो यह जानकारी करे कि इन ग्रामों में विस्थापित रहते हैं या नहीं । अगर किसी अधिकारी को भेजा, तो उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है । उसके अनुसार वहां ऐसे लोग नहीं रहते हैं ।

श्री बिहारी लाल--

मेरा प्रश्न है कि इन ग्रामों के बचाव के लिए कोई व्यवस्था की है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह जो कैलाश नदी है इससे घुसरी डेढ़ किलो मीटर, ओला 800 मीटर, रजनियां एक किलो मीटर है । यहां कैलाश नदी पहले थी । इसमें दो साल पहले कटान होते थे। इसमें एक नन्दौल नदी का क्षेत्र है । बरोही क्षेत्र में दूसरी का नाम दोहा नदी है । पहले जो कैलाश नदी में पानी आता था, अब पत्थर लगा दिये गये हैं, बोल्डर लगा दिये गये हैं । अब जो पानी आता है दोहा की ओर से नानक सागर में चला जाता है । अब कटाव नहीं हो रहे हैं । पहले की बात सही है कि दो साल पहले कटान होते थे ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, इस कटाव की कोई व्यवस्था होगी । मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि कटाव के लिए क्या व्यवस्था होगी । जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि बोल्डर लगा दिए गए हैं । वह बोल्डर कहीं नहीं हैं । मैं उसी क्षेत्र का विधायक हूं । मेरे माननीय मंत्री जी से विशष निवेदन है कि इस कटाव की क्या व्यवस्था करेंगे ? वहां एक भी बोल्डर नहीं हैं, केवल रेतीली जमीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो सूचना थी उसको बताया । माननीय सदस्य कहते हैं तो फिर से सर्वे करा लिया जायेगा । दिखवा लिया जायेगा । जो योजना बनती है, वैसी बन जायेगी ।

उत्तरकाशी-लम्बगांव सड़क पर बस सर्विस

*5--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी-लम्ब गांव मोटर सड़क जो पर्याप्त समय से बन कर तयार है उस पर अभी तक बस सर्विस शुरू न करने का क्या कारण है और आगे कब से सरकार का उस सड़क पर बस सेवा शुरू कराने का विचार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस समय इस मार्ग पर बस सर्विस चालू है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी बसें चलती हैं और कब से चल रही हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें जो सूचना है वह यह है कि उत्तरकाशी--लम्ब गांव मोटर सड़क जो पर्याप्त समय से बनकर तैयार है उसमें जो उत्तरकाशी से वाया लम्ब-गांव मोटरें चलेंगी उनमें 7 जनवरी, 1975 तक 159 गाड़ियों को परमिट दिये गये । 30 अप्रैल, 1975 को 4 गाड़ियों को, 13 सितम्बर, 1976 को 11, 25 जून, 1976 को 5, 25 अगस्त, 1976 को 7 गाड़ियों को परमिट दिये गये । यह सूचना है कि वह रोड खराब है जिससे कोई गाड़ी नहीं चल रही है । नोटिस दी गयी है कि सड़क ठीक हो गयी है तो गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं । वहां के लोगों से कहा गया कि वह नई बसों की व्यवस्था करा दें । एक बस की व्यवस्था करा दी । दो लोगों ने और अप्लाई किया है । इसकी भी व्यवस्था जल्दी हो जायेगा ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

एक बस चल रही है वह परिवहन निगम की है या प्राइवेट है । जिन्हें परमिट दिये गये हैं क्या उन्होंने बसें खरीदी हैं ? मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह मोटर यूनियन की बसें हैं । निगम की नहीं हैं । उस क्षेत्र को जो मोटर यूनियन बनी है उसको बसों को परमिट दिये गये हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या उन्होंने बसें खरीद ली हैं या नहीं जिनको परमिट दे दिये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मोटर यूनियन है । बड़ी यूनियन है । उनकी काफी बसें चलती हैं । उन्होंने परमिट लिया है । अगर इनके पास गाड़ी नहीं है, तो पता लगा लिया जायेगा । सूचना यह है कि उनकी बसें चलती हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन के पास अथवा जिला प्रशासन के पास इस तरह की सूचना है कि किस महीने में कितने दिनों तक उत्तरकाशी लम्बगांव मार्ग पर जो परमिट दिये गये हैं उनमें से कितनी गाड़ियां चली या नहीं चलीं । इस तरह की कोई सूचना शासन के पास अथवा जिला प्रशासन के पास है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना इस वक्त मौजूद नहीं है । माननीय सदस्य चाहते हैं तो सूचना ले लेंगे ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीनों के अन्दर मेरी सूचना के अनुसार केवल तीन दिन उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर गाड़ियां चली हैं । तो जितने दिन नहीं चलायी गयीं, तो क्या वहां की तमाम परमिटों को कैन्सिल करके वहां परिवहन विभाग की बसें चलायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब तक रुट को नेशनलाइज नहीं कर लेते, तब तक परिवहन की गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं । उसमें, मान्यवर, मोटर आपरेटर्स की तरफ से तरह-तरह का अवरोध पैदा होता है । दो यूनियन ऐसी हैं कि जिनकी गाड़ियां चल रही हैं । अगर कोई शिकायत है तो जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनको चेतावनी दी भी गयी है और शो-काज नोटिस भी दी गयी है और उस पर आगे भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या टेहरी-गढ़वाल मोटर यूनियन और यातायात पर्यटन विकास संघ इस तरह की ये जो मोटर कम्पनीज थीं, इन्होंने अपनी सर्विस चलाना बन्द कर दिया है ? मान्यवर, पिछले दो महीनों से पूरे गढ़वाल क्षेत्र के अन्दर इन कम्पनियों के द्वारा मोटरें नहीं चलायी जाती हैं । लोग व्यक्तिगत परमिट लेकर गाड़ियाँ चला रहे हैं । अब वह उनकी इच्छा पर है कि किस दिन चलायें किस दिन न चलायें । इनके आयुक्त और

आर० टी० ओ० प्राइवेट मोटर वालों पर अंकुश नहीं रख सकते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी इन कम्पनियों को बाध्य करेंगे कि दुबारा सर्विस को विधिवत् चालू करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय, अगर लापरवाही उनकी तरफ से की जा रही है और ठीक से बस नहीं चला रहे तो सख्ती जरूर की जायेगी ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

माननीय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन चार महीनों में जो वहां के लोगों को आने-जाने में कठिनाई हुयी, क्या उनको राहत देने की व्यवस्था करेंगे उनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुये ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को दिक्कत हुयी है, क्या उनको कोई राहत दे रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय, यह सूचना है कि रोड खराब हो रही है । जब रोड खराब हो जाती है तो बहुत सी गाड़ियां बन्द हो जाती हैं ।

सरकारी नौकरियों में विकलांग अभ्यर्थियों का आरक्षण

*6—श्री मित्र सेन—

क्या सरकार सरकारी नौकरियों में विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मित्रसेन—

माननीय, मेरा प्रश्न 18 अगस्त, 1980 का है और फिर पहली अक्तूबर को आया था और फिर स्थगित हो गया था । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सत्र में सूचना इकट्ठा करके सदन में जवाब दे देंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

सूचना व्यापक और विस्तृत है । आ जायेगी तो दी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आपका उत्तर सुनायी नहीं दिया ।

श्री छेदा लाल चौधरी—

सूचना व्यापक है और विस्तृत है और विभिन्न जिलों से विभिन्न विभागों से मंगानी है । इसलिये कह नहीं सकता कि कितने दिनों में आयेगी ।

श्री हुक्म सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रश्न व्यापक है, भिन्न-भिन्न जिलों से और भिन्न विभागों से सूचना एकत्रित करना है, तो 56 जनपदों में से कितने से सूचना आ चुकी है और किन-किन विभागों की सूचना इकट्ठा हो चुकी है। अगर कुछ हो चुका है, तो क्या उस सूचना से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, सूचना मांगी गई है जब आयेगी तो बता देंगे ।

श्री कन्हैया लाल--

मान्यवर, इसमें सूचना का प्रश्न ही कहां है । प्रश्न है कि क्या सरकार सरकारी नौकरियों में विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के प्रश्न पर बिचार कर रही है । यदि हां, तो कितने प्रतिशत, यदि नहीं, तो क्यों ? तो इसमें सूचना एकत्रित करने की बात कहां रह जाती है । यह तो साफ साफ नीति का प्रश्न है । इसमें सूचना की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने उत्तर दे दिया है, बताया है कि 2 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रश्न बड़ा साफ है इसमें सूचना का कहां सवाल पैदा होता है ? यह तो नीतिगत प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने प्रतिशत बता दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं जानना चाहता हूं कि आरक्षण देने पर विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा तो 2 प्रतिशत । 1 अक्तूबर, 1980 को यह प्रश्न आया था और उस पर उत्तर आ चुका है । 2 प्रतिशत का उत्तर भी उन्होंने दिया था ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी ने एक नीतिगत प्रश्न को यह कह कर टाल दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, इसका उत्तर 1 अक्तूबर, 1980 को आ गया है कि 2 प्रतिशत दिया गया है । फिर यह पूछा गया कि किस-किस जिले में तो उसका जवाब उन्होंने दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस तरह की सूचना एकत्रित किये जाने के सिलसिले में निर्देश दिया गया है ? जो निर्देश भेजे गये हैं वह कब भेजे गये हैं ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, जो सूचना मांगी गयी है वह सूचना जिला से मंगायी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह भी पूछा है कि कब सूचना मांगी गयी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, सूचना जब पिछली मर्तबा प्रश्न स्थगित हुआ है तभी मंगायी गयी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो सूचना मंगायी गयी है तो कोई पत्र भेजा गया होगा । उसमें किस तरह का निर्देश दिया गया है ? मन्त्री जी बता दें ।

श्री छेदालाल चौधरी--

मान्यवर, सूचना तो यह मंगायी गयी है कि कितने आदमी जिले में विकलांग लोगों में से लगे हैं और कितने नहीं लगे हैं ? यही सब सूचना मंगायी गयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मन्त्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं मैं विशेषाधिकार की सूचना आपको दे रहा हूं । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो रेडियोग्राम टेलेक्स और जो पत्र गया हुआ है उसको पढ़कर सुना दें अन्यथा यह सदन मानने को मजबूर हो जायेगा कि सदन में मन्त्री जी गलत बयानी कर रहे हैं और कोई सूचना नहीं मंगायी गयी है ।

श्री छेदालाल चौधरी--

इसकी सूचना अभी हमारे पास नहीं है ।

श्री हुकम सिंह--

यह प्रश्न पहले स्थगित हो चुका है, सब पता है । तो मैं प्रश्न करता हूं कि क्या स्थगन के बाद कोई सूचना इन्होंने जनपदों से मांगी है ? यदि हां, तो कब मांगी है और किन-किन जनपदों से उत्तर आ गया है । मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने कोई भी कार्यवाही स्थगन के बाद नहीं किया है और न जनपदों से सम्पर्क ही किया है और आज कह रहे हैं कि सूचना हमारे पास नहीं है तो इन्होंने सूचना मांगी ही नहीं है ? यदि मांगी है, तो कब मांगी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, पत्रावली अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि सूचना कब मंगायी गयी है । जब पूरी सूचना आ जायेगी तब उत्तर दिया जायेगा ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय, क्या यह सरकार इसी प्रकार काम करेगी।

(व्यवधान)

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जिनके उत्तर साफ नहीं आते हैं और कह दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो वह प्रश्न अपने आप बाद म रिपीट हो जाता है और पुनः आता है ।

श्री हुकम सिंह--

पीठ से निर्देश होने चाहिये कि इस प्रकार के उत्तर मंत्री न दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

[बुधवार, दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री बद्रीनाथ बाढ़ सुरक्षा योजना

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ मंदिर तथा बद्रीनाथ पुरी का अलकनन्दा से कटाव रोकने पर 15 जुलाई, 1980 तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा कब तक यह सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री बद्रीनाथ बाढ़ सुरक्षा योजना पर दिनांक 15-7-80 तक कुल 14·544 लाख रुपया कार्य पर व्यय किया जा चुका है ।

सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कटान रोकने का काम बद्रीनाथ पुरी के किस हिस्से में और कितने क्षेत्र में किया गया है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, कटान का जो काम हो रहा था उस पर सर्वे कराकर जितना कटान हो रहा था उसको बनाने की योजना बनायी गयी है और यह योजना 18·09 लाख रुपये की है जिसमें से 14·544 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है । इससे जाहिर है कि योजना में बहुत से काम हो गये हैं लेकिन कुछ काम बाकी है जैसे बद्रीनाथ में सौन्दरीकरण के काम और बाढ़ के मरम्मत के काम

होना है । सुरक्षात्मक दृष्टि से कटान पर काम हुआ है लेकिन मरम्मत का काम बाकी है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया । मेरा कहना यह है कि बद्रीनाथ पुरी के अलकनन्दा से दोनों हिस्सों में पुरी की तरफ वाले में भी और पुरी की दूसरी तरफ, दोनों तरफ कटान हो रहा है और जो बामणी गांव है जो कि बद्री नाथ पुरी की तरफ है उसमें भी कटान हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि नदी के दोनों तरफ और बामणी गांव में जो कटान से नुकसान हो रहा था उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दिया गया है । अभी माननीय सदस्य ने कोई नई बात कही है, कोई गांव में कटान हो रहा है, उसको जांच कर लेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

बद्रीनाथ पुरी तथा बद्रीनाथ मंदिर के दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वह भी कटान से प्रभावित हैं। यहीं पर बामणी गांव है, वह भी कटान से प्रभावित है । आप की तरफ से कटान को रोकने की कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो बद्रीनाथ मंदिर के पास कटान हो रहा था, उसे रोकने के लिए योजना बनाई गई जिसका हवाला मैंने दिया । माननीय सदस्य गांव की भी बात कर रहे हैं । उसे बतायेंगे तो अलग से उसकी सर्वे करा लेंगे और जो कार्यवाही होगी की जायगी ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मेरी जानकारी यह है कि बद्रीनाथ पुरी को कटान से अभी तक खतरा है और भयंकर रूप से वहां पर कटान हो रहा है । जो कार्य आपकी तरफ से कटान रोकने के लिए किया गया है, वह बहुत ही दोषपूर्ण है। उससे कटान रुक नहीं पा रहा है । मेरा निवेदन है कि इसकी रोकथाम के लिए आपकी तरफ से प्रयास किया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा कि कटान का काम नदी की दाहिनी तरफ हो रहा है । माननीय सदस्य कोई और बात बता रहे हैं । वह उसे बतायेंगे, सर्वे करा ली जायेगी और यदि कटान हो रहा है, तो उसके लिए कार्यवाही करेंगे ।

एटा जिले के कतिपय नलकूपों का विद्युतीकरण

*2.—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद एटा में विकास खंड सिद्धपुरा, ग्राम नगला, भदौरिया मजरा, खिरिया, पट्टी व ग्राम उतरना में सरकारी ट्यूब

वेल जो दो वर्ष पूर्व लगा था उसके लट्ठे, तार व नाली भी अभी तक शुरू नहीं हुये हैं कब तक शुरू हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद एटा के ग्राम नगला भदौरिया एवं ग्राम उतरना में राजकीय नलकूपों का निर्माण मार्च, 1979 में किया गया था ।

ग्राम नगला भदौरिया के नलकूप के विद्युतीकरण हेतु बी० एन्ड एल० फार्म राज्य विद्युत् परिषद् को प्रस्तुत किये जा चुके हैं । लट्ठे व तार लगाने का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है जिसे शीघ्र कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है । तत्पश्चात् नाली के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा ।

ग्राम उतरना का नलकूप पूर्ण रूप से सफल न होने के कारण उसके विकसन का पुनः प्रयास किया जा रहा है । तत्पश्चात् उसके विद्युतीकरण एवं नाली के निर्माण का कार्य किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित प्रश्न के दो भाग हैं । मैं पहले भाग के बारे में जानना चाहता हूं। बी० एल० फार्म बिजली विभाग को कब सबमिट किया गया है और अगर आपके विभाग की ओर से बी० एल० फार्म में विलम्ब हुआ है, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और अगर बिजली विभाग के पास बहुत दिनों से पड़ा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह समस्या केवल इसी नलकूप की नहीं है तमाम उत्तर प्रदेश के राजकीय नलकूपों के बारे में यही समस्या पैदा होती है, क्या सिंचाई मंत्री जी बिजली विभाग से वार्ता कर के कोई ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने की कृपा करेंगे जिससे कि निर्धारित समय में बी०एल० फार्म सबमिट होने के बाद विद्युतीकरण की व्यवस्था हो जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बी० एल० फार्म मार्च, 1980 में विद्युत् विभाग को भेजा गया और विद्युत् विभाग से यह सूचना आई कि उनके पास कन्डक्टर की कमी थी, इसलिए टाइम से लगा नहीं पाये । माननीय गुप्त जी ने जो बात कही वह सही है । इसमें काफी विलम्ब होता है । अब प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जाय । विद्युत् विभाग से बात कर लेंगे कि यह विलम्ब न होने पायें और हमारे विभाग ने कोई इस तरह की लापरवाही की है, जिससे तमाम परेशानी हो रही है, तो उसे दूर करने का प्रयास किया जायेगा ।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम गूंजी, गर्वयांग एवं गो की पेयजल योजना

*3--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत जनजाति के ग्राम गूंजी, गर्वयांग और गो के लिये पेयजल की योजना विचाराधीन ह ? यदि हां, तो कब तक उस पर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत ग्राम गूंजी की पेयजल योजना का सर्वे, प्राक्कलन आदि वर्ष 1980-81 में बनाया जाना प्रस्तावित हैं एवं

ग्राम गर्वयांग एवं गो को पेयजल योजनाओं के संबंध में वर्ष 1981-82 में सर्वेक्षण आदि किया जायेगा। तत्पश्चात् ही इन ग्रामों की पेय जल योजनाओं के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ये जो गांव हैं तिब्बत की सीमा से कितने नजदीक हैं और जब 81-82 में इसका सर्वेक्षण होगा तो कब तक यह योजना बनेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

तिब्बत क्षेत्र के नजदीक का यह हिस्सा है और जन जाति क्षेत्र भी है। दुर्भाग्य से इस पर पहले विचार नहीं किया गया। अब हम लोग त्वरित गति से इसको ले रहे हैं और इसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। सर्वेक्षण के बिना कोई योजना नहीं बन सकती।

हरदोई-लखनऊ मार्ग का राष्ट्रीयकरण

*4--श्री विद्या सागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद से लखनऊ तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सवारी गाड़ियों को चलाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

लखनऊ हरदोई तथा सम्बद्ध मार्गों को राष्ट्रीयकृत घोषित करने के लिए परिवहन निगम द्वारा ऐक्ट की धारा 68 (सी) में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस विषय में आपत्तियां प्राप्त हुई है। वह 'हियरिंग अथारिटी' के समक्ष विचारार्थ है।

मार्ग राष्ट्रीयकृत होने पर बस चलाना सम्भव होगा समय विधि बताना सम्भव नहीं है।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि परिवहन निगम ने ऐक्ट की धारा 68(सी) के अन्तर्गत विज्ञप्ति कब जारी की और आपत्तियां कब प्राप्त हुई और हीयरिंग अथारिटी ने उन आपत्तियों की सुनवाई के लिये कौन सी तिथि नियत की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट की धारा 68 (सी) के अन्तर्गत 19 अगस्त, 1967 को विज्ञप्ति जारी की गयी और गजट में भी इसका प्रकाशन हुआ। 30 दिन का टाइम दिया जाता है और उन 30 दिन के अन्दर 68 लोगों ने आपत्तियां की और उस पर सुनवाई की गयी।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

इतना समय बीत जाने के बाद हीयरिंग अथारिटी ने इस पर अभी अपना निर्णय नही दिया, तो क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि हीयरिंग अथारिटी के जरिय निर्णय दिये जाने कि कोई तिथि निश्चित तौर पर बतला सकेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया और इस तरह से यह केस चलता रहा । 1978 से सुनवाई चल रही है । 98 व्यक्तियों ने इसमें अपने बयान दिये हैं । यह जुडीशियल बाडी होती है और न्याय विभाग का डिप्टी सेक्रेट्री इसको देखता हैं । जुडीशियल प्रोसीडिंगस होती है और शासन खुद चाहता है कि जल्दी हो जाय और इसके लिये हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्दी कार्य-वाही हो जाय लेकिन जब तक सारी बाते नहीं हो जाती हैं तब तक कुछ होना मुश्किल है ।

हरिपुरा जलाशय, बरेली के अधिशासी अभियन्ता, श्री राजेश चन्द्र के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरिपुरा जलाशय निर्माण खंड, बरेली के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (श्री राजेश चन्द्र) जो इस समय आजमगढ़ में तैनात ह तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध 1976 में लाखों रुपयों के घोटाले की शिकायत सम्बन्धी जांच सतर्कता विभाग के सुपुर्द की गयी थी ? यदि हां, तो प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी तथा अन्य के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की गई । जांचोपरान्त प्रसंगत मामले को प्रशासनाधिकरण-I उत्तर प्रदेश के अग्रंतर जांच के लिए अभिदिष्ट कर दिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जो जांच की गई है, उसमे कौन-कौन से आरोप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ सिद्ध पाये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इस मामले को रूल 47(4) के अधीन प्रशासनाधिकार को सौप दिया गया है और यह गोपनीय है । वहां पर यह मामला चल रहा है और जब तक उसकी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक उसके बारे में कुछ बताना उचित नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जिस स्तर पर जांच की जा रही है उसका मतलब यह है कि आरोप गम्भीर हैं । सतर्कता अधिष्ठान ने जांच की थी और तब यह मामला प्रशासनधिकरण को सौप दिया गया ह । इतना होने के बाद सम्बन्धित अधिशासी

अभियन्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्या की गयी और क्या उनको निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, निलम्बन के बारे में तो मुझे सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । जो सतर्कता विभाग का जाँच अधो उसे प्रशासनाधिकरण को सौप दिया गया है और जब तक वह कोई कार्यवाही नहीं कर लेता ह तब तक कोई काम करना उसके बारे में उचित नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, सतर्कता बिभाग की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इसका तात्पर्य यह कि प्राइमा फेसाई केस साबित हो चुके हैं, तो फिर उस अधिकारी का निलम्बन करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने अभी कहा कि उसके बारे में क्या क्या हुआ, यह तो डिटैल में जानकारी करने के बाद ही हो पायेगा । जिस परिस्थिति में माननीय सदस्य कह रहें है उसमें कोई कार्यवाही करना ठीक नही है क्योंकि प्रशासनाधिकरण में यह मामला चल रहा है । सतर्कता बिभाग द्वारा वह मामला आया था, मामला तो गम्भीर है ही ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रश्न इतना गम्भीर है और माननीय मन्त्री जी उसे हल्का बना रहे हैं । इसमें लाखों का घोटाला है । 1976 से यह मामला चल रहा है । अभी तक उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि केस साबित हो चुका है और विजीलेन्स ने रिपोर्ट दे दी है । मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि विजीलेन्स की रिपोर्ट के आधार पर उस अधिकारी को क्यों निलम्बित नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब जांच होती है तो विजीलेन्स भी बताता है कि क्या कार्यवाही होनी चाहिये । इसी बात को देखते हुये प्रशासनाधिकरण को यह भेज दिया गया है और वहां पर निर्णय होने के बाद कोई कार्यवाही हो सकती है । उसके पहले कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, 4 साल हो गये हैं, प्राइमा फेसाई केस साबित हो चुका है, तो माननीय मन्त्री जी क्या उसके रिटायरमेन्ट का इन्तजार कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, आप भावावेश में बिला इजाजत के बोल गये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि निलम्बन के बारे में क्या कार्यवाही हुई इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

जो आरोप लगाये गये हैं, वह गम्भीर है और इस लिये आपने प्रशासनाधिकरण को वह जांच के लिए सौंपा है। ऐसी दशा में क्या आप सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल निलम्बित किये जाने के निर्देश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, नियमों में यह है कि जो मामला उस प्राधिकरण को सुपुर्द किया जाता है तो तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिल जाती है।

समाज कल्याण विभाग में प्रोवेशन अधिकारी की नियुक्ति

*6--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतावेंगे कि उनके विभाग में प्रोवेशन अफसरों की नियुक्ति के लिये 19 जून, 1980 को साक्षात्कार किया गया था और उसमें विभागीय कर्मचारियों के लिये यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि 35 वर्ष की आयु के ऊपर कोई कर्मचारी साक्षात्कार में शरीक नहीं हो सकता जिसके परिणामस्वरूप कई उपयुक्त कर्मचारी इससे वंचित कर दिये गये ? यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया था और उसका उद्देश्य क्या था ?

श्री छेदालाल चौधरी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*7--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*8--श्री राम औतार दीक्षित--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*9--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*10--श्री नरेश चन्द्र--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*11--श्री राज कुमार राय--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*12--श्री राम नारायण--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*13--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*14--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*15--श्री मोतीलाल देहलवी--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

*16--श्री ऊदल--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

महिला संरक्षणगृह, उन्नाव के संवासिनी को पैदा हुआ बच्चा

*17--डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव में महिला संरक्षण गृह में 21 जून, 80 को किसी संवासिनी के बच्चा पैदा हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

जी हां । मामले की जांच जिलाधिकारी से कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, श्रीमन्, 21 जून का यह मामला है, चार महीने से ऊपर हुए अभी तक सरकार को रिपोर्ट नहीं मिली जब कि लखनऊ से पैदल चल कर उन्नाव से रिपोर्ट एक आदमी ला सकता है । यह भ्रष्टाचार का संगीन मामला है, इसलिए मंत्री जी बतायें कि कब तक रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे क्या 13 तारीख तक प्राप्त कर लेंगे और क्या यह भी बतायेंगे कि जिस संवासिनी को बच्चा पैदा हुआ वह कितने दिन से वहां रह रही है ?

श्री छेदालाल चौधरी--

मान्यवर, प्रयास किया जा रहा है जल्दी रिपोर्ट मंगायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरे हिस्से का जबाब नहीं आया (व्यवधान) दूसरे हिस्से का जबाब नहीं दिया ।

श्री छेदालाल चौधरी--

मान्यवर, प्रश्न दोहरा दें ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

श्रीमन्, 21 जून का मामला है चार महीने हुए अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली जब कि भ्रष्टाचार का संगीन मामला है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे और क्या यह भी बतायेंगे कि जिस संवासिनी को बच्चा पैदा हुआ है उसका क्या नाम है, बच्चा कब पैदा हुआ और वह कितने दिन से वहां रह रही है ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

मान्यवर, पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद बतायेंगे कि क्या बात है रिपोर्ट जल्दी मंगाने की कोशिश करेंगे ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

*18--श्री हरिबंश सहाय--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की संस्तुति

*19--श्री दूध नाथ राजभर--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट वर्ष 1976 में शासन को प्रस्तुत हो गई थी ? यदि हां, तो उसकी प्रमुख संस्तुतियां क्या हैं और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री छेदा लाल चौधरी--

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट शासन को मार्च, 1978 में प्राप्त हुई थी । रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं जिसमें आयोग की संस्तुतियों का स्पष्ट उल्लेख है । आयोग से अपेक्षा की गई थी कि वह सामाजिक तथा शैक्षिक प्रकार से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में केवल जाति के आधार पर परम्परागत पिछड़े माने जाने वाले वर्गों को पिछड़ा नहीं मानेगा । परन्तु आयोग ने इस मौलिक शर्त के विपरीत सूची 41 जातियों को पिछड़ावर्ग मान कर संस्तुतियां की हैं । आयोग द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के बाद जनवरी, 1979 में भारत सरकार ने श्री बी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय पिछड़े वर्ग आयोग से यह संस्तुति मांगी है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या माप दण्ड निर्धारित किया जाये । इस परिपेक्ष्य में छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय निकट भविष्य में लेना सम्भव नहीं दिखाई देता ।

*20--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मुख्य अभियन्ता, श्री हरी मोहन, सिंचाई विभाग के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

**1--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (श्री हरी मोहन) के विरुद्ध विजीलेन्स द्वारा गम्भीर आरोपों की जांच हो रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन-कौन से आरोप हैं तथा होने वाली जांच के परिणाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त प्रमुख अभियन्ता की पदोन्नति इसी बीच जांच के दौरान की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच नहीं चल रही है । जब उक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रमुख अभियन्ता पद पर की गई थी, उस समय भी उनके विरुद्ध कोई सतर्कता जांच लम्बित नहीं थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब उस अधिकारी की पदोन्नति हुई थी, तो जांच नहीं चल रही थी, तो क्या अब कोई जांच चल रही है या 5 वर्ष पहले कोई सतर्कता विभाग द्वारा जांच चलाई जा रही थी, तो उसके बारे में रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह तीन सितम्बर, 1976 को जांच के आदेश दिये गये थे और यह जाँच चलती रही, जांच आख्या 10 जनवरी, 1979 को प्राप्त हो गई । उसमें इतनी बात कही गई है कि इनको चेतावनी दे दी जाये और वह उन्हें दे दी गई, किन्तु ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन आरोपों की जांच कराई गई थी, आरोप क्या थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कोसी परियोजना से सम्बन्धित आरोप थे, उसके प्राक्कलन से सम्बन्धी अनियमितता के थे, उसकी स्वीकृति में, कांस्ट्रेक्शन कम्पनी के साथ एलाईनमेंट में परिवर्तन की और निर्माण कार्य की अनियमितताये पाई गई, तथा ठेकेदार को तत्कालीन लाभ पहुंचाने सम्बन्धी आरोप थे, आदि । लेकिन इनमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। केवल इतना ही हुआ कि इनको मौखिक चेतावनी दे दी जाये और वह दे दी गई ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिन आरोपों का जिक्र मन्त्री जी ने किया, वह अपने में कम गम्भीर नहीं हैं और मन्त्री जी ने स्वयं इस बात को कबूल भी किया है कि इन्हें चेतावनी दे दी गई, तो वह भी एक सजा है । तो क्या सजा प्राप्त किसी भी अधिकारी को पदोन्नति किये जाने का कोई आधार बनता है जिसके कारण वह पदोन्नति किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है । केवल इतना हुआ कि मौखिक चेतावनी दे दी जाये । उसके बाद यह देखा गया कि यह इसके उपयुक्त हैं, इसलिए कर लिया गया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उनके विरुद्ध कोई चीज नहीं पाई गई, तो फिर किस आधार पर उनको मौखिक चेतावनी दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विजीलेन्स ने जांच के बाद बताया कि उनके विरुद्ध कोई चीज साबित नहीं हो पाई लेकिन उन्होंने कहा कि उनको मौखिक चेतावनी दे दी जाये । उन्हीं के रिपोर्ट पर मौखिक चेतावनी दे दी गई है ।

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री राम आसरे वर्मा ने पूंछा ।

श्री मोहन सिंह--

जब विजीलैन्स ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दी, तो उसके बाद विभाग को सोचना था कि उनको किस प्रकार का दंड दिया जाये। मंत्री जी ने कहा कि सतकता विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला और मौखिक चेतावनी देने को कहा। जब इस प्रकार की संस्तुति की तो अवश्य ही उनके पास कुछ साक्ष्य रहा होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें चेतावनी मिलने के बाद विभाग ने क्या कार्यवाही की अपनी ओर से ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विभाग को भी यह मैटर दिया गया था और उन्होंने भी यह कहा कि इन पर किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हो पाया। इसलिए और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री फखरे आलम--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विजीलेन्स से इन्क्वायरी कराने के उपरान्त विजीलेन्स ट्राइब्युनल को मामला भेजा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब वे दोषी नहीं पाये गये, तो उसे विजीलेन्स ट्राइब्युनल में भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, इनके दोनों उत्तर कन्ट्राडिक्टरी हैं। एक ओर तो कहते हैं कि दोषी पाये गये, इसलिए उनको मौखिक वार्निंग दी गई और दूसरी ओर कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई, इसलिए विजिलेन्स ट्राइब्युनल में भेजने का प्रश्न नहीं उठता। यदि वे दोषी पाये गये थे, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस मामले को विजीलेन्स ट्राइब्युनल में चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें साफ कहा गया है कि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने जो स्थिति इस प्रश्न के बारे में यहां पर पैदा कर दी है, उससे तमाम सदस्य चिन्तित हैं। सतर्कता विभाग ने जांच करके रिपोर्ट दी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ लेकिन उनको मौखिक चेतावनी दे दी है, तो दोनों उत्तर परस्पर विरोधी बातें कह दी, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति, उनके विरुद्ध जो आरोप हैं, उनकी जांच करने हेतु, गठित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब एक जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, विजीलेन्स के कहने के अनुसार मौखिक चेतावनी हो गई तो अब कोई और कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई क्योंकि कोई आरोप साबित नहीं हो पाया।

श्री विजय सिंह राना--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उनको मौखिक चेतावनी दी गई, वह उनकी चरित्र पंजिका में अंकित कर दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो भी नियम के अन्दर होता है, वह होगा ।

श्री विजय सिंह राना--

क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी निश्चित जानकारी है कि चरित्र पंजिका में उनके विरुद्ध कोई प्रविष्टि अंकित की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो भी नियम होते हैं विभाग उनके अनुसार कार्यवाही करता है। (व्यवधान) हम तो अंकित करते नहीं, वह तो विभाग करता है ।

श्री किरनपाल सिंह--

मैंने पूछा है कि चेतावनी देने का आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब विजिलेन्स की तरफ से यह कहा गया कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सन् 1977 में यह आदेश दिया कि मौखिक चेतावनी दे दी जाये ।

श्री किरनपाल सिंह--

जब जांच में कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो एक ईमानदार और शरीफ अधिकारी को चेतावनी देने का आधार क्या था ? उसके खिलाफ तो जांच बिठाना भी मुनासिब नहीं था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच रिपोर्ट आने पर यह पता चला कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ । उसके बाद न्याय विभाग और ऐडमिनिस्ट्रेटिव विभाग से परामर्श भी हुआ और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव ने स्वयं यह आदेश दिये कि मौखिक चेतावनी दे दी जाये ।

श्री किरनपाल सिंह--

यदि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव ने कोई गलत काम किया है, तो क्या आप उसे सुधारेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह बात थी, मान्यवर, मैंने साफ-साफ बता दी।

श्री शिवसेन--

मुख्य अभियन्ता पद के लिए पात्रता क्या है, कौन उसे चुनता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एक चयन समिति होती है वह, जो भी क्वालिफिकेशन्स होती हैं निर्धारित, उसको देखते हुए सबसे अच्छे व्यक्ति को इस पद के लिए चुनती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह माननीय मंत्री जी का विभाग घोटाले का विभाग है और इसमें करोड़ों रुपयों का घपला है। मंत्री जी अपने उत्तर में स्वयं फंसते जा रहे हैं। विजिलेन्स ने उनको तो बरी कर दिया, पर मैं जानना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपये खाने वाले लोग हैं वे कौन हैं ? क्या वह कोई चपरासी या कामदार हैं ? आखिर इन करोड़ों रुपयों की जिम्मेदारी तो किसी पर फिक्स की गयी होगी ? वह कौन लोग हैं, जो इसके लिये जिम्मेदार हैं ? किसने यह करोड़ों रुपया खाया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब कोई जांच होती है, तो जांच में जो पाया जाता है उस पर कार्यवाही की जाती है। हम मनमानी करने के लिए थोड़े ही बैठे हुए हैं। जांच में कोई साबित नहीं हुआ। कोई बात कह देना कि करोड़ों रुपये का घपला है। यह साबित न हो तो कैसे कार्यवाही की जाय।

जिला कारागार, लखनऊ में मारपीट की घटना

**2--श्री हरिद्वार पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कारागार, लखनऊ में दिसम्बर, 1977 से 1 सितम्बर, 1980 तक मारपीट, फरारी, फरारी की चेष्टा, कारापालों पर प्राणघातक हमले, लाठी चार्ज तथा गोलीकाण्ड की कितनी घटनाएं घटीं ? इनकी संख्या को देखते हुए शासन ने अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री छेदालाल चौधरी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कारागार, लखनऊ में दिसम्बर, 1977 से 1 सितम्बर, 1980 तक मारपीट की दो घटनाएं, लाठी चार्ज की एक घटना और कारापाल पर प्राणघातक हमले की एक घटना घटी जिसमें गोली का प्रयोग भी हुआ। जेल से बन्दी के पलायन की एक घटना तथा पलायन के असफल प्रयास की 4 घटनायें घटीं।

उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में अभी तक अधीक्षक के विरुद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अतः उनके विरुद्ध उक्त घटनाओं के आधार पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम आसरे वर्मा जो आपने प्रश्न संख्या 1 पर रुचि बताई थी लेकिन प्रश्न संख्या 2 पर तो किसी ने अनुपूरक प्रश्न में रुचि नहीं दिखाई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, दूसरे सवाल पर प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आप इसमें प्रश्न कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्यों यह घटना घटी इसके बारे में जांच कराई गयी थी और उसमें कोई दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री छेदालाल चौधरी--

जांच अभी पूरी नहीं हुई । एक मामले में जांच पूरी हुई थी जिसमें जो दोषी पाया गया वह सेवा निवृत हो गया हैं ।

श्री हुकम सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितने मामले भेजे गये हैं, क्या उनकी सामूहिक जांच वह करा रहे हैं या अलग-अलग करा रहे हैं ? अलग-अलग करा रहे हैं, तो कितनी पूरी हो गई हैं और कितनी जांच बाकी हैं ?

श्री छेदालाल चौधरी--

अलग-अलग मामलों की जांच हो रही हैं और जांच अभी पूरी नहीं हुई हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इन घटनाओं की जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री छेदालाल चौधरी--

जिलाधिकारी द्वारा, परगनाधिकारी द्वारा कराई जा रही हैं ।

श्री हुकम सिंह--

किन-किन तारीखों को आपने उनको जांच सुपुर्द की थी और उनमें क्या प्रगति हुई हैं ?

श्री छेदालाल चौधरी--

आपको इसकी सूचना मिल जायगी ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री सतीश अजमानी--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित] ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पूछा ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोंतर का समय समाप्त होगया।

सिंचाई विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा

2—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 15 फीसदी के प्रमोशन का कोटा नहीं लागू किया गया है ? यदि हां, तो कितने अधिशासी अभियन्ता सिविल तथा मेकनिकल में पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हैं और उनको प्रमोशन न देने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग में पिछड़ी जाति से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये 15 फीसदी पदोन्नति कोटा लागू है। सिविल व मेकैनिकल के 14 अधिशासी अभियन्ता पिछड़ी जाति से सम्बन्धित है। इनमें से एक अधिकारी चयन में श्रेष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त पाये जाने के कारण पदोन्नति नहीं किये जा सके और शेष पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र मे नहीं आते हैं।

3—श्री राजकुमार राय—

[30वें बुधवार के लिये स्थगित।]

4—श्री राजकुमार राय—

[10वें दुधवार के लिये स्थगित।]

5—श्री राजकुमार राय—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित।]

6—श्री राजकुमार राय—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित।]

7—श्री राजकुमार राय—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित।]

8—श्री राजकुमार राय—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित।]

9—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित।]

10—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित।]

बस्ती जिले की बानगंगा नहर की सिंचन क्षमता

11—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बानगंगा नहर की सिंचाई की क्षमता कितनी है ? क्या इस नहर के कमाण्ड में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिसमें सिंचाई नहीं होती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बानगंगा नहर की सिंचन क्षमता फसल खरीफ में 12,916 एकड़ तथा फसल रबी में 9,667 एकड़ है ।

जी हां, इस नहर के कमांड में कुछ ग्राम ऐसे भी हैं जिनमें पानी नहीं पहुंच पाता है ।

12--श्री राधेश्याम पटेल--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

13--श्री कन्हैया लाल--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

14--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

शाहजहांपुर, परिवहन विभाग के ए0 आर0 एम0 के स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

15--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ए0 आर0 एम0 के स्थानान्तरण को रद्द करने के आदेश दिनांक 4-8-80 को माननीय मंत्री जी ने चेयरमैन परिवहन विभाग के किए थे ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

16--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

17--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

18--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

19--श्री राज कुमार राय--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभाग के पृथकीकरण पर विचार

20-श्री प्रदीप कुमार--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग को हरिजन कल्याण विभाग से पृथक करने का विषय शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो उसके आधार क्या हैं ? इन दोनों विभागों का अन्तिम पृथ्कीकरण कब तक सम्भव ह ?

श्री छेदालाल चौधरी—

जी हां ।

यह पूरा प्रकरण शासन के विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

21—श्री दीपक कुमार—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि समाज कल्याण और हरिजन कल्याण दोनों विभागों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त तय नहीं किया गया जिससे दोनों विभागों के कर्मचारियों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची नहीं बन पाई है और कर्मचारियों के पदोन्नति इत्यादि के मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री छेदालाल चौधरी—

जी हां । हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के दोनों खंडों के संविलयन के बाद अधिकारियों/कर्मचारियों की तैयार की गई सेवा नियमावलियां कुछ आपत्ति के साथ निदेशक को वापस कर दी गयी है, जिनके प्राप्त होने पर शासन द्वारा आगे विचार किया जायेगा । इन सेवा नियमावलियों में सेवा शर्तें भी सम्मिलित हैं ।

22—श्री ऊदल—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सरजू परियोजना में जी0 सी0 सीट की ढुलाई का दर

23—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू परियोजना के यूनिट डिवीजन में तथा सरजू प्रथम खंड में कितना-कितना मीट्रिक टन जी0 सी0 सीट, इलाहाबाद से मंगाया गया था ? क्या यह सत्य है कि दोनों गोदामों में मंगाने का किराया अलग-अलग रेट से किया गया है जिसका अन्तर 50 रु0 प्रति टन का है ? यदि हां, तो दोनों गोदामों में कितने फासले का अन्तर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दोनों प्रखंडों में स्थापना के पश्चात् इलाहाबाद से निम्नलिखित जी0 सी0 सीट प्राप्त हुए ह ।

	स० बैं० नि० यूनिट	स० न० खं० प्रथम
1—प्राप्त जी० सी० सीट की मात्रा	40·20 मी० टन	20·14 मी० टन
2—प्राप्ति का माह	10/79	11/79
3—दर जिस पर ट्रक द्वारा ढुलाई की गई	115 रु० प्रति मी० टन	120·50 रु० प्रति मी० टन
4—स्टोर जहां से सीट प्राप्त की गई	रायबोझा	मोतीपुर
5—अ० अ० द्वारा किया गया भुगतान	4,623 रु०	2,427 रु०

दोनों गोदामों में ढुलाई की दर अलग-अलग है अन्तर केवल 5·50 रु० प्रति टन है न कि 50 रु०।

दोनों गोदामों में 9 किलोमीटर का फासला है ।

24—श्री राम नारायण—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

पब्लिक नलकूप निर्माण खंड, सहारनपुर को पब्लिक नलकूप निर्माण खंड, लखनऊ के अन्तर्गत किए जाने की मांग

25—श्री छत्रपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, सहारनपुर के सब डिवीजन, हरदोई में खोले गए हैं ? क्या यह सही है कि हरदोई लखनऊ डिवीजन के समीप हैं ? यदि हां, तो क्या इन कार्यालयों को उचित स्थान पर व्यवस्था कराकर सरकारी कर्मचारियों के टी० ए० व डी० ए० में होने वाले व्यय को बचाने हेतु कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर—

यह उपखंड पब्लिक नलकूप निर्माण खंड लखनऊ से सहारनपुर की तुलना में समीप है परन्तु लखनऊ खंड अन्तर्गत दो उपखंड लखीमपुर खीरी के भी हैं । यदि इन दोनों उपखंडों को सहारनपुर खंड के अन्तर्गत किया जाता है तो वे सहारनपुर से और भी अधिक दूर हो जायेंगे और मेन लाइन पर भी नहीं होंगे जिसमें कि टी० ए० व डी० ए० आदि का व्यय और भी बढ़ जायगा । अतः जो व्यवस्था की गई है वह ठीक है और यह बहुत सोच विचार के बाद ही की गई है ।

26—श्री चन्दन सिंह—

[10 वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

27--श्री ऊदल--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

शारदा सहायक परियोजना के कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश

28--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा सिंचाई विभाग में पत्र संख्या सं०-379-ई-1-ख/171-विविध-80, दिनांक लखनऊ 18 जून, 1980 के द्वारा 33 कर्मचारियों का ट्रान्सफर न करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त आदेश की अवहेलना करके ट्रान्सफर किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

सिंचाई विभाग के पत्र दिनांक 18-6-80 के द्वारा शारदा सहायक परियोजना के किन्हीं विशेष 33 कर्मचारियों के स्थानान्तरण रोकने के आदेश प्रसारित नहीं किए गए थे बल्कि पूर्ण निर्गत सभी स्थानान्तरण आदेशों को क्रियान्वित न करने के सामान्य आदेश किए गए थे ।

29--श्री ऊदल--

[10 वे बुधवार के लिये स्थगित]

अल्मोड़ा जिले की मनीला एवं भवानी देवी लिफ्ट ग्राम समूह पेयजल योजना

30--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मनीला एवं भवानी देवी लिफ्ट ग्राम समूह पेयजल योजना, विकास खण्ड सल्ट तथा भिक्यासैण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो यह कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं । विकास खण्ड सल्ट की मनीला लिफ्ट ग्राम समूह पेयजल योजना का प्राक्कलन मार्च, 1981 एवं विकास खण्ड भिक्यासैण की भवानी देवी लिफ्ट ग्राम समूह पेयजल योजना का प्राक्कलन मार्च, 1982 तक तैयार किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । तदोपरान्त इन प्राक्कलनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर इनका निर्माण प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

तहसील राठ, जिला हमीरपुर में नलकूप का छिद्रण

31--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर की राठ तहसील में वर्ष 1-1-74 से 31-7-80 तक कितने राजकीय नलकूपों का छिद्रण कराया गया और उनमें से कितन नलकूप असफल रहे तथा असफल नलकूपों पर कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या असफल नलकूपों के कारणों की जांच मुख्य अभियन्ता, सिंचाई

विभाग के स्टैंडिंग आर्डर संख्या 60 में निहित निर्देशों के अनुसार कराकर उत्तर-दायित्व निर्धारित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद हमीरपुर की राठ तहसील में वर्ष 1-1-1974 से 31-7-1980 तक 87 नलकूपों का छिद्रण कराया गया और उनमें से 5 नलकूप पर्याप्त निकास न होने के कारण असफल हुये । जिन पर कुल 2,28,380.08 रुपये की धनराशि व्यय हुई ।

इनके अतिरिक्त 17 नलकूपों के बारे का परित्याग पर्याप्त स्ट्रेटा न मिलने के कारण असेम्बली लोअर करने से पूर्व किया गया है और एक नलकूप ड्रिल राठ फंस जाने के कारण असेम्बली लोअर करने के पूर्व असफल हुआ है । इन पर 2,14,285.81 रुपये की धनराशि व्यय हुई ।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के स्टैंडिंग आर्डर संख्या 60 में उन नलकूपों की जाँच का प्राविधान है जो उर्जीकरण के पश्चात् समय से पूर्व असफल हो जाते हैं । राठ तहसील के असफल नलकूप इस स्टैंडिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

लखीमपुर जिले के नलकूप आपरेटरों की वेतन वृद्धि

32--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि सिंचाई नलकूप खण्ड लखीमपुर में कार्यरत ऐसे नलकूप आपरेटर कौन-कौन हैं जिनके वेतन में गत वर्ष 74 से वृद्धि नहीं लगायी गयी है और क्यों ? वेतन वृद्धि कब तक लगा दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भौवापार-बेला बांध, जिला गोरखपुर का निर्माण

33--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भौवापार-बेला बांध, जिला गोरखपुर का निर्माण कार्य कितनी बार जनवरी सन् 1979 से 20 जुलाई, 1980 तक रोका गया ? क्या जून सन् 1980 में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा इसे जुलाई के अन्तिम सप्ताह तक बांध को पूरा करने का निर्देश दिया था ? क्या इसे यथाशीघ्र पूरा कराने का कोई पत्र जिलाधीश, गोरखपुर को जून माह, 1980 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इसे पूरा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भौवापार-बेला बांध के कार्य (कि0 मी0 0.00 से 0.50 तक) ग्राम महोबा के ग्रामवासियों के अनुरोध के कारण रुका रहा ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

टिहरी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु दी गयी धनराशि

34--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-1979 तथा 1979-80 के कतिपय टिहरी जनपद के अन्दर व्यक्तिगत तौर पर संचालित मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कितने विद्यालयों को क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु कुल कितनी धनराशि शासन ने स्वीकार तथा प्रदान की ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ऋषिकेश-भैरोघाटी मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

35--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गंगोत्री के निकट भैरों घाटी का पुल कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

ऋषि केश-भैरोंघाटी मोटर मार्ग 1978 में भारी वर्षा, भूस्खलन तथा अत्यधिक बाढ़ से कई स्थानों पर कट गया है । इसकी मरम्मत तथा निर्माण डाइरेक्टर जनरल बार्डर रोड्स द्वारा किया जा रहा है । इस मार्ग के यातायात हेतु सुलभ हो जाने के बाद ही प्रश्नगत पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

शारदा नहर, हरदोई खंड के प्रारूपकार को वेतन वृद्धि

36--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर, हरदोई खंड में कितने ऐसे प्रारूपकार हैं जिनके वेतन में गत 1 अगस्त, 1973 से वेतन वृद्धि एवं दक्षतारोक पार की अनुमति नहीं दी गयी है और क्यों ? दक्षतारोक एवं वेतन वृद्धि कब तक लगा दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्र वृत्ति

37--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनमें 1979-80 में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को कितना-कितना धन किस-किस मद में किन-किन छात्रों को दिया गया है और उसका भुगतान करने का क्या तरीका था ?

श्री छेदालाल चौधरी--

बस्ती जनपद के विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों के पूर्वदशम् तथा दशमोत्तर कक्षाओं के जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गयीं

उनकी संख्या तथा स्वीकृत धनराशि के विवरण की तालिका मेरे कक्ष में रखी है । अधिकांश मामलों में भुगतान पास बुक और चेक द्वारा किया गया है, किन्तु अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में जहां ये सुविधाए उपलब्ध कराने में कठिनाई है, नकद धनराशि का भुगतान किया गया है ।

38--श्री राधेश्याम पटेल--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित]

इन्टर कालेज, बागेश्वर का प्रान्तीयकरण

39--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागेश्वर राजकीय इन्टर कालेज का प्रान्तीयकरण कब हुआ ? अब उनके भवन की क्या स्थिति है ? छात्र संख्या कितनी है ? फर्नीचर कितना है ? भवन व फर्नीचर के लिये कितना ग्रान्ट दिया गया ? क्या छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है और क्या यह भी सही है कि इस कालेज की इमारत से छात्रों का जीवन सुरक्षित नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

बागेश्वर इ० का० का प्रान्तीयकरण 1-12-1975 से किया गया था । विद्यालय के पुराने भवन का एक अलग खंड क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्यालय में स्थानाभाव हो गया है । विद्यालय की वर्तमान छात्र संख्या 912 है । 300 छात्रों के लिये एक सज्जा उपलब्ध है । फर्नीचर हेतु वर्ष 1979-80 में 20,000 रु० स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1976-77 में विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में टिन शेड के निर्माणार्थ 20,000 रु० तथा भवनों की मरम्मत हेतु वर्ष 1977-78 में 18,000 रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी । स्थानाभाव के कारण छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है । क्षतिग्रस्त भवन खंड के असुरक्षित होने के कारण उसमें छात्रों को नहीं बैठाया जा रहा है । छात्र संख्या के अनुरूप कक्षा-कक्ष की व्यवस्था हेतु 4 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य के आगणन रा० नि० वि० द्वारा बनाये जा रहे हैं । वर्तमान क्षतिग्रस्त भवन खंड की मरम्मत कार्य के आगणन भी तैयार किये गये हैं जिसके आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा धन स्वीकृत किया जायेगा । स्थान की तात्कालिक समस्या के निराकरण हेतु एक अस्थायी टिन शेड के निर्माण का भी प्रस्ताव है ।

टिहरी गढ़वाल जिले के राजकीय इन्टर कालेज, चमियाला केमर एवं धुमेटीधार में गणित एवं विज्ञान की शिक्षा

40--श्री खुशहाल सिंह रांगड़--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद के राजकीय इन्टर कालेज चमियाला-केमर तथा धुमेटीधार में इन्टर विज्ञान में इस सत्र से गणित विषय का पाठन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

चमियाला केमर इन्टर कालेज में छात्र संख्या कम होने के कारण अपेक्षित स्वीकृति देने का औचित्य नहीं पाया गया । धुमेटीधार इ० क० में इन्टर विज्ञान में गणित विषय खोलने की कोई मांग अथवा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण इस पर विचार नहीं किया गया ।

डी० वी० एस० ग्रेजुएट कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर में छात्र संघ द्वारा स्थापित सरस्वती प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं । उनमें 6 सूचनाएं स्वीकृत हुईं । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं । मैं एक-एक करके नाम पढ़ रहा हूं ।

श्री संत बख्श रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । 4 सितम्बर, 1980 को डी० वी० एस० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, गोविन्दनगर, कानपुर में छात्र संघ द्वारा नवनिर्मित सरस्वती प्रतिमा का अनावरण किया गया था जिसे 3 अक्तूबर, 1980 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की दीवार को फर्श अनावरण का पत्थर तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया । पुलिस द्वारा उन असामाजिक तत्वों का चालान धारा 295 भा० द० विधान के अन्तर्गत किया गया लेकिन स्थानीय कांग्रेस के विधायक के दबाव से थाने में ही जमानत ले ली गयी । इस आपराधिक सुखिया के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं । सन् 1974-75 में छात्र संघ के मन्त्री के ऊपर हमला करने के आरोप में धारा 307 में अभियुक्त है । ज्ञात हुआ है कि इस घटना के दिन युवक कांग्रेस (आई) के प्रदेश अध्यक्ष कानपुर में मौजूद थे ।

इस घटना के कारण सम्पूर्ण कानपुर नगर की जनता तथा छात्रों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है । यदि शासन ने तत्परता न बरती तो स्थिति भयावह हो जायेगी ।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस घटना पर वक्तव्य की मांग करता हूं तथा यह भी मांग करता हू कि दोषी व्यक्तियों पर अविलम्ब कार्यवाही कर सदन को अवगत कराएं ।

[12 बजकर 21 मिनट]

निर्वाचन क्षेत्र मऊ, जनपद आजमगढ़ में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र मऊ, जनपद आजमगढ़ टौंस नदी की बाढ़ की भयावह चपेट में आ गया था । लगभग 50 गांव बाढ़ के पानी से घिर गये थे । इन गांवों की फसलें 100 फीसदी नष्ट हो गयी हैं । बड़े पैमाने पर घर गिर गये हैं । इस समय गांव के अधिकांश लोगों के पास खाने के लिए एक दाना घर में मौजूद नहीं है । पिछली रबी और खरीफ की फसलें सूखे से नष्ट हो गयी हैं तथा बाढ़ ने उपरोक्त गांव का सुख-चैन छीन लिया । पशु चारे

[श्री खैरूल बशर---]

बगैर मर रहे हैं । हैजे के टीके का अभाव है । अब भी जगह-जगह पानी लग कर सड़ रहा है जिससे बहुत से लोग हैजा और गैस्ट्रो आदि बीमारियों से मर चुके हैं । बीमारियों के गम्भीर रूप से फैलाने की आशंका है, मलेरिया पेचिश एवं डायरिया के रोग से भी पीड़ित हैं । गांव में फौरन डाक्टरी सहायता पहुंचाई जाय । काम के बदले अनाज योजना द्वारा गांव की पटाई तथा रास्तों की मरम्मत का काम बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित भूखे हजारों लोगों को मौत के चंगुल से बचा सकता है ।

मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन तथा शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि लोगों की जान-माल की रक्षा की जा सके ।

आनन्दनगर कस्बे में बम विस्फोट की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नारायन तिवारी---

मान्यवर, दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 को करीब 9 बजे रात्रि आनन्द नगर कस्बे में बम विस्फोट से कस्बे एवं आस-पास आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है । कई लोग जो पेशेवर अपराधी हैं, इकट्ठा होकर बम बना रहे थे उसी समय एक बम फूट गया । बनाने वाले के दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गये और घायलावस्था में गिरफ्तारी भी हो गयी, बाकी लोग भाग गये । कुछ जीवित बम भी बरामद किये गये ।

कुछ दिनों पहले ही से इस बात की चर्चा थी कि दशहरे के अवसर पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए दुर्गामूर्ति पर बम फेंकने की तथा मेरी हत्या करने की योजना बन रही है । कुछ दिनों पहले विधान सभा तक में मुझे जान से मारे देने का ऐलान किया गया है । अल्प संख्यक सम्प्रदाय के लोग पहले से ही आतंकित थे और मुझसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए तथा दशहरे में मुझे आनन्दनगर में ही उपस्थित रहने का अनुरोध बार-बार कर रहे हैं । उक्त घटना से शंका की पुष्ट हो गयी । अब चारों तरफ आतंक व्याप्त है । इस सम्बन्ध में मैं श्रीमान् को यह आवेदन भी प्रेषित कर रहा हूं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय श्रीमान् आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये अपने तथा दशहरे के अवसर पर लोगों के समुचित सुरक्षा की मांग करते हुये मामले का विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा जांच एवं कार्यवाही की मांग करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, नहीं तो वह बात दब जायेगी मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, इसके लिए बाद में समय दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गाजीपुर व बनारस सीमा पर स्थित कुशही गांव की भूमि सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन--

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र गाजीपुर व बनारस जिले की सीमा पर है। दोनों जिलों का विभाजन गोमती नदी करती है। गोमती नदी के मुहाने पर गाजीपुर जिले का कुशही ग्राम स्थित है। इस गांव की जमीन पर गाजीपुर जिले के काश्तकारों का वास्तविक अधिकार है। नदी की धारा के अदलने-बदलने से इस गांव की जमीन कभी गाजीपुर जिले में हो जाती है और कभी वाराणसी जिले में हो जाती है। इस वर्ष संयोग से गोमती नदी ने अपनी धारा को बदल दिया है और अपने पुराने स्थान पर चली गयी है जिससे गाजीपुर जिले के कुशही गांव की जमीन वापस आ गई है और अब जोतने और खेती योग्य हो गयी है। किन्तु अफसोस की बात है कि वाराणसी जिले के कैथी गांव के कुछ पुराने सामन्तवादी तथा असामाजिक तत्व हजारों की संख्या में नदी पार उतर कर गाजीपुर जिले के किसानों की भूमि को कब्जा कर रहे हैं तथा मारने-पीटने व हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। गाजीपुर जिले के किसानों में क्षोभ, असंतोष छाया हुआ है।

मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले के किसानों को कुशही गांव की जमीन पर वास्तविक अधिकार दिलाया जाय और उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पहले मैंने आपसे व्यवस्था की अनुमति मांगी थी, अगर आप अनुमति दें, तो मैं कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आप बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं देर से आया था, मेरा नाम पुकारा गया, मुझे अगर इजाजत दे दी जाय तो मैं अपनी नियम 301 की सूचना पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी वरिष्ठता को देखते हुए आपको इजाजत दी जाती है वैसे यह आम परम्परा नहीं है।

कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र को मिलाने वाली शकर जाली परमिट्स उठाकर ब्लैक में बेच दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निम्न गम्भीर विषय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री मोती लाल देहलवी--]

मेरे क्षेत्र बिल्हौर, जनपद कानपुर में माह सितम्बर में किसानों को मिलने वाली 105 बोरी शक्कर जाली-फजी परमिटों के द्वारा खाद्य निगम से उठाकर ब्लाक में बेंच दी गयी है ।

यह रहस्य उस समय खुला जब शक्कर दुकानदार अपने-अपने असली परमिट लेकर खाद्य निगम से शक्कर उठाने गये तो उन्हें खाद्य निगम में बताया गया कि उनके परमिटों की शक्कर जा चुकी है । जब इन असली परमिट वालों ने खाद्य निगम के अधिकारियों से कहा कि उन्होंने शक्कर नहीं उठायी है और उन्हें शक्कर दी जाय तो उनसे यह कह दिया गया कि वह अपने परमिट को शक्कर बिल्हौर के परगनाधिकारी से लें ।

माननीय, उक्त गम्भीर मामले की जानकारी अधिकारियों को होते हुए भी सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है कि चूंकि इसमें राजनैतिक लोगों का हाथ है । मुझे पता चला है कि इसमें कानपुर के एक संसद सदस्य के सम्बन्धी की गाड़ी संख्या यू0 आर0 के 1015 के द्वारा खाद्य निगम से यह शक्कर ढोई गयी और उसे शहर में ब्लैक से बेंच दिया गया ।

बिल्हौर के एक इन्टर कालेज के अध्यापक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता उपवर्णित संसद सदस्य का लेटर पैड अपने पास रखते हैं और संसद सदस्य के दस्तखत खुद बनाकर उसका दुरुपयोग करते आ रहे हैं । सम्बन्धित संसद सदस्य विगत 7 सितम्बर, 1980 को मेरे व विधायक श्री हरि किशन श्रीवास्तव तथा उनके अनेकों कार्यकर्ताओं के समक्ष उक्त अध्यापक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता द्वारा उनके पैड पर उनके फजी दस्तखत बनाना तथा दुरुपयोग करना स्वीकार भी कर चुके हैं ।

माननीय, उल्लिखित प्रकाश में यदि उपरोक्त जाली-फजी परमिट से 105 बोरी शक्कर उठाये जाने की गुप्तचर शाखा जनहित में जांच करें तो न केवल इस घटना की बल्कि ऐसे ही अनेकों जाली-फजी रहस्यों का पर्दाफाश हो सकता है ।

इस जघन्य आपराधिक कांड को दबाने के लिये जानकार लोगों को परगनाधिकारी, बिल्हौर द्वारा तरह-तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं तथा असली अभियुक्तों को बचाने के लिए फजी अभियुक्तों को बढ़ने का प्रयास जारी है ।

यों तो सम्पूर्ण बिल्हौर चुनाव क्षेत्र में इस समय शक्कर व मिट्टी का तेल न मिलने से हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे ही समय बिल्हौर की जनता में घटने वाली उपरोक्त 105 बोरी शक्कर को ब्लैक कर देने से जनता बेचैन हो रही है ।

अस्तु, सरकार से अपेक्षा है कि उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायें ताकि जाली-फजी काम करने वालों को नसीहत मिलें और वितरण व्यवस्था शुद्ध हो तथा सरकार द्वारा जनता को मिलने वाला सामान जनता को ही मिले ।

श्री श्याम नारायण तिवारी की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अभी माननीय श्री श्याम नारायण तिवारी जी ने जो अपनी नियम 301 की सूचना के अन्तर्गत सूचना दी कि उनकी जान खतरे में है और उन्हें कुछ दिनों पहले आम सभा की मीटिंग में जान से मारे जाने की धमकी भी दी जा चुकी है और अभी कुछ दिन पूर्व जो आनन्दनगर में बम विस्फोट हुआ है, जिन अपराधियों द्वारा यह विस्फोट हुआ है, उन्हीं अपराधियों ने इन्हें धमकी भी दी है, तो मान्यवर, चाहें तिवारी जी हों या चाहे कोई अन्य माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

यही मान्यवर, कि कोई भी माननीय सदस्य हो उसकी सुरक्षा और उसके अधिकारों के संरक्षण का दायित्व शासन पर है । इसलिए उसी की तरफ हम सब की नजरें आशा से देखती है और मान्यवर, आपसे चाहूंगा कि जो सूचना नियम 301 की तिवारी जी ने दी है, उसको ध्यान में रखते हुए आप शासन को निर्देश दें कि श्री तिवारी जी की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन माननीय वर्मा जी यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मामला गम्भीर था, किसी के नाम पर आपके सामने इसको रख दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलत परम्परा है कि किसी भी रूप में अपनी बात कह दी । बात कुछ हो और कहें कुछ, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर जो हमने सूचना दी है, मामले की गम्भीरता को देखते हुए, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें कुछ नहीं होना है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र †

[12 बजकर 30 मिनट]

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या 2865 बो/यू0पी0ए0-33-1961-रूल--1978, दिनांक 29 जुलाई, 1978 द्वारा

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् (स्थानीय विकास योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली 1978, जो दिनांक 8 मार्च, 1979 को सभा के पटल पर रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या यू0ओ0 171-डी/33-2-ग्रा0वि0-4-578-78, दिनांक 20 जून, 1980 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 1980††

सिचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2479-टी/तीस-4-34-पी-79, दिनांक 10 जुलाई, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 1980 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रायित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979††

सिचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की

श्री उपाध्यक्ष--

आप माननीया शिक्षा राज्य मंत्री हैं ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 3894/15-10-79-35 (15)-78, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रायित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1978-79 के लेखों पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी रूपान्तर †

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1978-79 के लेखों पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी रूपान्तर को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

††छापी नहीं गई ।

†छापे नहीं गये ।

[श्री अमोती लाल देहलवी––]

मेरे क्षत्र बिल्हौर, जनपद कानपुर में माह सितम्बर में किसानों को मिलने वाली 105 बोरी शक्कर जाली–फर्जी परमिटों के द्वारा खाद्य निगम से उठाकर ब्लक में बेंच दी गयी है ।

यह रहस्य उस समय खुला जब शक्कर दुकानदार अपने–अपने असली परमिट लेकर खाद्य निगम से शक्कर उठाने गये तो उन्हें खाद्य निगम में बताया गया कि उनके परमिटों की शक्कर जा चुकी है । जब इन असली परमिट वालों ने खाद्य निगम के अधिकारियों से कहा कि उन्होंने शक्कर नहीं उठायी है और उन्हें शक्कर दी जाय तो उनसे यह कह दिया गया कि वह अपने परमिट की शक्कर बिल्हौर के परगनाधिकारी से लें ।

मान्यवर, उक्त गम्भीर मामले की जानकारी अधिकारियों को होते हुए भी सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है कि चूंकि इसमें राजनैतिक लोगों का हाथ है । मुझे पता चला ह कि इसमें कानपुर के एक संसद सदस्य के सम्बन्धी की गाड़ी संख्या यू0 आर0 के0 1015 के द्वारा खाद्य निगम से यह शक्कर ढ़ोई गयी और उसे शहर में ब्लैक से बेंच दिया गया ।

बिल्हौर के एक इन्टर कालेज के अध्यापक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता उपर्णित संसद सदस्य का लेटर पैड अपने पास रखते हैं और संसद सदस्य के दस्तख्त खुद बनाकर उसका दुरुपयोग करते आ रहे हैं । सम्बन्धित संसद सदस्य विगत 7 सितम्बर, 1980 को मेरे व विधायक श्री हरि किशन श्रीवास्तव तथा उनके अनेकों कार्यकर्ताओं के समक्ष उक्त अध्यापक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता द्वारा उनके पैड पर उनके फर्जी दस्तख्त बनाना तथा दुरुपयोग करना स्वीकार भी कर चुके हैं ।

मान्यवर, उल्लिखित प्रकाश में यदि उपरोक्त जाली–फर्जी परमिट से 105 बोरी शक्कर उठाय जाने की गुप्तचर शाखा जनहित में जांच करें तो न केवल इस घटना की बल्कि ऐसे ही अनकों जाली–फर्जी रहस्यों का पर्दाफाश हो सकता है।

इस जघन्य आपराधिक काण्ड को दबाने के लिये जानकार लोगों को परगनाधिकारी, बिल्हौर द्वारा तरह–तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं तथा असली अभियुक्तों को बचाने के लिए फर्जी अभियुक्तों को गढ़ने का प्रयास जारी है ।

यों तो सम्पूर्ण बिल्हौर चुनाव क्षेत्र में इस समय शक्कर व मिट्टी का तेल न मिलने से हाहाकार मचा हुआ ह और ऐसे ही समय बिल्हौर की जनता में बंटने वाली उपरोक्त 105 बोरी शक्कर को ब्लैक कर देने से जनता बेचैन हो रही है ।

अस्तु, सरकार से अपेक्षा है कि उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायें ताकि जाली–फर्जी काम करने वालों को नसीहत मिलें और वितरण व्यवस्था शुद्ध हो तथा सरकार द्वारा जनता को मिलने वाला सामान जनता को ही मिले ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

सरकार के निकम्मेपन और निरंकुशता का है । वहां सदस्यों को घसीटा गया और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपसे कह रहा था कि आपने स्वयं अपने भाषण में एक विरोधी वक्तव्य दिया है । उस सदन में क्या हुआ इस पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते । माननीय सदस्य आपस में बात न करें । मैं कई बार ध्यान आकर्षित कर चुका हूं कि माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे-बैठे भाषण न दिया करें ।

(व्यवधान)

श्री मशकूर जाफरी--

इस सरकार की निकम्मी पुलिस उन्हें घसीट कर बाहर लायी इसलिये कम्युनिस्ट पार्टी सदन का वाक आउट कर रही है ।

(बाद में माननीय सदस्य बैठ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलत बात है । पुलिस उस सदन में चली गयी । पुलिस के निकम्मेपन की जो बात आपने कही यह जरूर ध्यानाकर्षण की बात है । इस विषय में आप लिख कर दें, हम जानकारी करायेंगे कि किन हालतों में शासन की पुलिस विधान परिषद् में गयी, इसे हम जानना चाहेंगे । इसलिए हमें इतना आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है । हम पहले अपने सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से प्रारम्भ करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उस सदन के भीतर क्या हुआ इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है । हम लिखित दे दें लेकिन पुलिस का इस तरह से वहां घुसाना प्रशासन की बात है । मैं चाहूंगा कि उनके मंत्री यहां विराजमान हैं, आप कृपया उनको निर्देश दे दें कि आधे घन्टे के अन्दर स्थिति की जानकारी से इस सदन को अवगत करा दें । उसकी गम्भीरता पर हम विचार कर चर्चा कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको एक निर्देश दिया । आप मुझे सूचित करेंगे । एक व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है और इससे ज्यादा करे तो दूसरा काम या जो पहले काम कर रहा है इसमें कहीं उसका कार्यवाही अविवेकपूर्ण भी हो सकती है । मैं आपको कुछ और सूचना देने जा रहा था उसी समय आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया । इसमें तत्काल आप चाहते हैं कि सरकार को निर्देश दे दूं, मैंने आप से कहा कि लिखित सूचना दे दें । मैं सरकार से कहूंगा । म

हमेशा आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं लेकिन अगर आप यह अपेक्षा करते कि कई काम शुद्ध विवेक से एक साथ कर सकूं तो यह मानव के लिए सम्भव नहीं है और इसलिए सदन की कार्यवाही जो चल रही है उसे सुचारु रूप से चलने दें ।

दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के सम्पादक एवं उसके सम्वाददाता के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 45 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना, मैंने दो निर्णय दिये हैं । दोनों बारी-बारी से सुना रहा हूं ।

श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दैनिक समाचार-पत्र नेशनल हेराल्ड के सम्पादक एवं उसके संवाददाता के विरुद्ध 27 अगस्त, 1980 को सदन के अवमान की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि दैनिक नेशनल हेराल्ड के 12 अगस्त, 1980 के अंक में पृष्ठ 3 पर सदन के विगत सप्ताह अर्थात् 4 से 7 अगस्त, 1980 की कार्यवाहियों के सिंहावलोकन में असत्य कथन किये गये हैं । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पहली बात यह बताई है कि उक्त टिप्पणी में यह कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष ने पहले कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया और उसके पश्चात् उसे खारिज कर यह एक इतिहास बनाया। दूसरी बात यह कि उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में नियमों की गलत व्याख्या करते हुए माननीय अध्यक्ष को ही उपाध्यक्ष पद के चुनाव को टालने की जिम्मेवारी थोपते हुए उनकी छवि धूमिल करने की चेष्टा की गयी है। इसके साथ ही माननीय सदस्य की यह भी शिकायत है कि उक्त टिप्पणी इस प्रकार लिखी गई है कि अध्यक्ष की निष्पक्षता एवं विवेकपूर्ण निर्णयों को संदेहात्मक बनाया जाय । इस प्रकार माननीय सदस्य का यह कहना है कि सदन की कार्यवाही को तोड़ना-मरोड़ना तथा माननीय अध्यक्ष को अपमानित करना सदन की अवमानना है ।

मैं इस सम्बन्ध में नेशनल हैराल्ड के संवाददाता एवं समाचार सम्पादक से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी । उन्होंने संबंधित संवाददाता के स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए स्वयं अपना भी उत्तर भेजा है जिसमें उन्होंने अपने पत्र का एक संवाददाता द्वारा विधान सभा की कार्यवाहियों के सिंहावलोकन सम्बन्धी उक्त लेख के सन्दर्भ में खेद व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया है कि उनकी कोई मंशा माननीय अध्यक्ष या सदन के किसी सदस्य की आलोचना करने की नहीं थी, अपितु वे माननीय अध्यक्ष के प्रति बहुत ही सम्मान और श्रद्धा रखते हैं । उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि वे यथासंभव निष्पक्ष और स्वतंत्र रहने की चेष्टा करते हैं । उनके संवाददाता ने भी अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि वे अध्यक्ष पद के प्रति सम्मान और निष्ठा रखते हैं किन्तु फिर भी यदि कोई भी सदस्य यह अनुभव कर कि उन्होंने कोई गलती की है तो उन्होंने उसके लिए खेद प्रकट किया है ।

मैंने माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह के अवमानना के प्रश्न की सूचना और उसके साथ संलग्न नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित उक्त टिप्पणी तथा संवाददाता एवं समाचार सम्पादक के लिखित स्पष्टीकरणों का अवलोकन किया । उक्त टिप्पणी में कई विषय उठाये गये हैं जिसमें से बहुत से शासन से सम्बन्धित हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जो अध्यक्ष से सम्बन्धित हैं । पहली बात कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उसकी ग्राह्यता पर सुनने के सम्बन्ध में है, दूसरी बात उपाध्यक्ष के चुनाव में देरी की है और तीसरी बात नियम 301 में स्वीकृत एक

[श्री उपाध्यक्ष—]

प्रस्ताव को सदन में उस पर आपति किये जाने पर अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में है । अन्तिम बात के सम्बन्ध में स्वयं अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संवाददाता ने उस पर खेद व्यक्त किया है और यह लिखा है कि नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित उक्त सिंहावलोकन में यह भूल अवश्य हो गयी थी कि नियम 301 के विषय पर उठाये गये प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव कहा गया था ।

यह सही है कि समाचार पत्रों द्वारा की गयी आलोचना यदि, वह दुर्भावना-पूर्ण या कदाश्य से प्रेरित न हो, का स्वागत किया जाना चाहिये, किन्तु समाचार-पत्रों का भी यह दायित्व है कि वे तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करें कि प्रस्तुत मामले में ऐसा नहीं किया गया । उदाहरण के लिए प्रश्नगत समीक्षा में यह कहा गया है कि नये सदन में उपाध्यक्ष का चुनाव पहले ही दिन हो जाना चाहिये था यदि सदन का उपवेशन जारी हो तो 30 दिन के अन्दर हो जाना चाहिये, इन दोनों ही नियमों का उल्लंघन किया गया है । यह न तो संविधान के अनुसार और न ही पूर्व दृष्टान्तो के अनुसार सही है । इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष के कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद सदस्यों को बोलने की अनुमति देने का एक नया तरीका अपनाया है जो सही नहीं है । लोक सभा में तथा इस सदन में भी ऐसे कई दृष्टान्त हैं जब कार्य स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने के पश्चात् भी सदस्यों के आग्रह पर पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना है या बोलने दिया है । यह प्रश्न सदन में भी दिनांक 6 अगस्त, 1980 को उठाया गया था जब माननीय अध्यक्ष ने उस दिन प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार करने की सूचना सदन को दी और कई सदस्य उनके सम्बन्ध में बोलना चाहते थे । माननीय अध्यक्ष ने उस समय यह स्पष्ट कहा था—

> "मैं यह परम्परा नहीं बनने देना चाहता कि मेरे निर्णय के बाद उस पर आप विचार शुरू कर दें ।"

और उसके बाद जब माननीय नेता, विरोधी दल को कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी गयी तो यह प्रश्न भी उठाया गया कि कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद फिर सुनने का क्या औचित्य है । उस समय भी माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि नियमों में अध्यक्ष को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी व्यवस्था पर सुन सकते हैं और सुनने के बाद पुनर्विचार कर सकते हैं । लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, इस प्रकार की परम्परा नहीं बनानी चाहिये ।

संवाददाता ने उक्त सिंहावलोकन की टिप्पणी में यह भी बात कही है कि विधान सभा के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन ने एक मुस्लिम लीग के सदस्य श्री फखरुल इस्लाम द्वारा यह कहे जाने पर कि उनका निर्णय असंवैधानिक है यह कहा था कि—"मैं संविधान हूं, जो इस कुर्सी से कहा जाता है, वह संविधान है, भले ही मैं गलत भी होऊं ।" लेकिन संवाददाता ने यह कथन कब किया गया इसका उल्लेख नहीं किया है और न ही इस प्रकार का कोई कथन सदन की कार्यवाही में मिलता है ।

नियमानुसार माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह को अपनी सूचना के साथ समाचार पत्र का पूरा अखबार भेजना चाहिये था न कि केवल उसकी कतरन और वह भी ऐसी कतरन जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वह नेशनल हेराल्ड के

12 अगस्त, 1980 के संस्करण से ही ली गयी है । 30 अप्रैल, 1965 को इसी प्रकार की विशेषाधिकार की एक अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना पर जिसके साथ पत्र की केवल कतरन भेजी गयी थी, यह निर्णय किया गया था कि केवल समाचार पत्र की कतरन भेजना अनियमित है ।

अतः "नेशनल हेराल्ड" के संवाददाता एवं समाचार सम्पादक द्वारा व्यक्त किये गये खेद प्रकाश को देखते हुये तथा सूचना अनियमित होने के कारण मैं समझता हूं कि उस पर अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता ।

श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को माननीय श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य श्री ऊदल का कहना है कि श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित ने उन्नाव पुलिस लाइन में समाज अपराध एवं सुधार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में विधायकों की भूमिका अपराध-मूलक हो गयी है, और यह तबादले, पदोन्नति और नौकरी दिलाने के लिए दिनों रात मन्त्रियों को परेशान करते हैं । श्री ऊदल ने यह भी सूचित किया है कि माननीय श्रम मन्त्री का उक्त भाषण प्रदेश तथा देश के अखबारों में 6 अक्तूबर, 1980 को छपा है, और श्री दीक्षित के इस कथन से सभी विधायकों तथा विधान सभा का अवमान हुआ है और सबकी छवि धूमिल हुई है । श्री ऊदल की सूचना के साथ संदर्भित समाचार पत्र की कोई प्रति नहीं दी गयी थी ।

उसी दिन अर्थात् 6 अक्तूबर, 1980 को माननीय सदस्यगण, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और राजेन्द्र अग्निहोत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से भी विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की एक अन्य सूचना इसी प्रसंग में माननीय श्रम मन्त्री के विरुद्ध प्राप्त हुई थी । उन्होंने भी अपनी सूचना इसी प्रकार से कहा है कि श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, का उक्त भाषण उन्नाव के अनेक नागरिकों ने सुना है और उनकी सूचना का आधार प्रत्यक्ष भाषण सुनने वाले हैं, परन्तु उन्होंने कथित प्रत्यक्ष भाषण सुनने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । साथ ही उक्त सदस्यगण ने 6-10-1980 को लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्र "अमृत प्रभात" की एक प्रति भी संलग्न की है जिसमें माननीय श्रम मन्त्री का भाषण छपा हुआ है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का कहना है कि श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित ने विधायकों पर लांछन लगाकर उनकी नीयत पर संदेह किया है, और उक्त सदस्यों की शिकायत है कि "विधायकों द्वारा जो कार्यवाही सदन के भीतर की जाती है उसे अपराध-मूलक कहना विधायक के नाते किये जाने वाले उनके कार्यों को बदनाम करके उनको अनुचित रूप से प्रभावित

[श्री उपाध्यक्ष—]

किया है" और चूंकि यह भाषण उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में इस प्रदेश के सन्दर्भ में दिया गया है अतएव माननीय श्री दीक्षित ने जानबूझकर उत्तर प्रदेश विधान सभा की अवमानना की है ।

उपर्युक्त दोनों सूचनाओं के सम्बन्ध में मैंने माननीय श्रम मंत्री से वस्तु-स्थिति की जानकारी मांगी थी, जो मुझे उनके दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हो गयी है । माननीय श्रम मंत्री ने सूचित किया है कि 'अमृत प्रभात' में जो कुछ छपा है वह सही नहीं है, और उस समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के खन्डन हेतु उन्होंने सम्पादक को जो पत्र भेजा है उसकी प्रतिलिपि भी मुझे भेजी है इसके अनुसार माननीय श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के उन्नाव की सम्बंधित बैठक में दिये गये भाषण का यह अंश जिसमें विधायकों का जिक्र किया गया है, इस प्रकार है " . . . विधायकों का काम विधेयन है किन्तु देखा यह जाता है कि बहुधा अनेक विधायक कार्यपालिका के क्षेत्र में पदार्पण कर ट्रान्सफर तथा पोस्टिंग के कार्य में लग जाते हैं । इसमें समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है । अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर वे ऐसी भावनाओं को जन्म देते हैं जो नए प्रकार के अपराधों का कारण बन रही है । यह एक खतरनाक बात है ।" माननीय श्रम मन्त्री के भाषण का उक्त अंश विधायकों द्वारा सदन से भीतर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में नहीं है और इसमें विधायकों की ऐसी कार्यवाही के प्रति कोई आक्षेप नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त "उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का सहित संकलन (अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक) " के पृष्ठ 484 पर उल्लिखित निर्णय संख्या 13 के अनुसार समाचार पत्र पर आधारित किसी सूचना के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" .. (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 246 पर वाद-टिप्पणी के अनुसार 1887 में ..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था कि निर्णय देने के पहले सुन लीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब फैसला सुनाने लगूं, तब न अभी तो मैं तथ्य पढ़ रहा हूं । आपको मालूम है कि जब निर्णय देन लगता हूं, तो रुकता हूं । तो मैं पढ़ रहा था—

> कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 246 पर वाद-टिप्पणी के अनुसार 1887 में ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में एक अत्यन्त गम्भीर मामले में, यह फैसला किया गया कि टाइम्स में लगाया गया यह आरोप है कि कुछ सदस्य "ऐसे अपराधों की तैयारी में लगे रह कर जीविका कमाते हैं जिनके लिए सभ्यता की मांग है ... फांसी की सजा" अवमान नहीं समझा गया क्योंकि इसमें उन सदस्यों पर सदस्य के नाते यह आरोप नहीं लगा था ।"

उक्त पुस्तक के ही पृष्ठ 248 पर वाद टिप्पणी में ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स का सामान्य रवैया उन भाषणों तथा लेखों के सम्बन्ध में बताया गया है जिनमें सभा, उसकी समितियों तथा सदस्यों पर आक्षेप किए गए हों, और 'डेलीमेल के मामले में वहां की विशेषाधिकार समिति के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत किया गया है --

> . . यह बात सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि प्रत्येक ऐसे मानहानिकरण वक्तव्य के बारे में दन्ड देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय, जो विशेषाधिकार भंग की परिभाषा में आता हो । हमारा विचार है कि इस बात का भी बड़ा महत्व है कि संसद के विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून को इस ढंग से लागू नहीं करना चाहिए कि स्वतन्त्र रूप से विचार प्रकट करने या आलोचना करने में बाधा पड़े या उसके लिए व्यक्ति निस्तारित होते हैं । वह आलोचना और विचार चाहे कितने ही अतिश्योक्तिपूर्ण तथा पूर्व धारणाओं पर आधारित न हो ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में जो माननीय जगदीश चन्द्र दीक्षित जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, मैं उसको भी ध्यान में रखते हुये दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस आधार पर मैं सिद्ध करना चाहूंगा कि प्रारम्भ में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करने के लिये यह बन जाता है । हम इस बात से सहमत हैं कि विधायकों के दो तरह के काम हैं ।

एक है कि जिसको हम विधान मंडल से सदस्य के नाते निर्वहन करते हैं और बाकी हमारे काम साधारण नागरिकों की हैसियत से हैं और साधारण नागरिक को जो अधिकार प्राप्त हैं वह एक नागरिक होने के नाते हमको भी प्राप्त हैं । हमको विशेषाधिकार प्राप्त है जो काम हम सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित विधायक की हैसियत से करते हैं उस सम्बन्ध में । मान्यवर, आपने कहा है कि मैंने समाचार पत्र की प्रति तो संलग्न कर दिया है लेकिन उन आदमियों का हवाला नहीं दिया है । मान्यवर, मैंने जानबूझकर हवाला नहीं दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दो चीजों को मिला रहे हैं ।

मैंने श्री ऊदल की सूचना के बारे में कहा कि उन्होंने समाचार पत्र की प्रति नहीं लगायी है और आपने उन आदमियों के नाम की सूचना नहीं दी है । आपने समाचार पत्र की प्रतिलिपि लगा दी है और उनके नाम की सूची नहीं दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने कहा है कि मेरी सूचना का आधार प्रत्यक्ष जिन लोगों ने भाषण को सुना वह और साथ ही साथ समाचार पत्र भी हैं । मैंने समाचार पत्र की कटिंग लगा दी है । आदमियों के नाम की सूचना मैंने जानबूझकर नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

दो है, मैं जानता हूं कि यदि मैं आदमियों के नाम खोल दूंगा तो उनके ऊपर दबाव पड़ने लगेगा । माननीय मंत्री जी उसी जिले से सम्बन्धित हैं । जिस समय यह मामला विशेषाधिकार समिति को जायगा उस समय उन आदमियों को पेश होने का मौका मिलेगा इसलिये नाम मैंने नहीं दिये थे ।

श्री उपाध्यक्ष —

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं आप विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना मुझको देते हैं । क्या आपको विश्वास नहीं था कि जो आप मुझको सूचना देंगे और जो नाम देंगे वह नाम मंत्री जी को जायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, आप पर तो हमें पूरा विश्वास है । नियमों में व्यवस्था है कि अगर कोई विशेषाधिकार की सूचना किसी सदस्य से सम्बन्धित होगी तो उसकी एक प्रति दी जायगी । एक प्रति हमें सदस्य को भेजनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष —

यह मामला प्राग्दर्शन में बनता है कि नहीं यह तय करने के लिये हमें साक्ष्यों की जरूरत होगी । तो मुझको वह सूची आपको देनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, नियमानुसार एक प्रति माननीय सदस्य को भेजना होता है । यह आपके कार्यालय की उदारता है कि हम लिखा देते हैं कि माननीय सचिव हमारी प्रति भिजवाने की कृपा करें । यह सचिव की उदारता को प्रकट करता है कि वह भज देते हैं । यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम खुद सूचित करें । मैं सोचता था कि मंत्री जी को प्रति जायगी तो दबाव पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे इस प्रश्न का उत्तर और दे दीजिये कि आपके सदन में पालन करने वाले कर्त्तव्य से उनके इस बयान से क्या ताल्लुक है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं बता रहा हूं । जो प्रत्यक्ष सुनने वाले हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि विधायक लोग ट्रांसफर ओर पोस्टिंग के कामों में दबाव डालते हैं । यह बात विधायकों के चरित्र को लांछित करती है लेकिन सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है लेकिन भाषण में यह भी कहा था कि माननीय विधायक मन्त्रियों को घेरते हैं, दबाव डालते हैं, अपराधमूलक काम करते हैं और विधान सभा में अपने भाषणों में माननीय मंत्रियों पर ट्रांसफर के मामलों में दबाव डालते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो सूचना मुझको दी है उसको पढ़िये । उसमें जो अंश आपने कहा है उसका जिक्र उस सूचना में नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नोटिस पूरा दस्तावेज नहीं हुआ करती । मैंने अपने विधायक काल में पचासों विशेषाधिकार की सूचनायें दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब अर्जी दावा ही नहीं है तो फैसला किस चीज पर होगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह एफ0 आई0 आर0 जैसी चीज है । विशेषाधिकार समिति में साक्ष्य प्रस्तुत होगा । मान्यवर, मेरा दृष्टिकोण है कि माननीय मन्त्री जी, ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है । हमारे विधायक के नाते, विधान मन्डल के भीतर किये जाने वाले कामों को प्रभावित किये जाने की चेष्टा की है । मान्यवर, इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें वहां पर नीर-क्षीर का विवेक हो जायगा कि माननीय मन्त्री जी ने अवहेलना की है कि नहीं । साक्ष्य देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि मन्त्री जी द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से और जो हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया है उसके द्वारा माननीय सदस्यों की प्रतिभा धूमिल हो गयी है, उन पर लांछन लगा है, यह इधर या उधर सभी विधायकों के ऊपर लांछन लगाया गया है । चूंकि उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में वह बोल रहे थे और प्रेस के कर्मियों के सामने उन्होंने यह बात कहा है । तो उन्होंने यह कहा कि आज प्रशासनिक कर्मियों की विधायकों की अपराध मूलक गतिविधियों को ठीक करें चूंकि आप मतदाता भी हैं । इसलिए मान्यवर, परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे प्राग्दर्शन में यह मामला विशेषाधिकार को भेजने वाला है । यदि मुझे पहले से पता होता कि आज आप व्यवस्था देंगे तो इस सम्बन्ध में पहले जो निर्णय हुये हैं उनको कोट करता ।

मान्यवर, बिहार में अध्यक्षपीठ से व्यवस्था दी गयी है कि वहां एक प्रदर्शनी लगी थी उसमें एक विधायक का चित्र बना कर लिख दिया था कि चोर है । उस मामले को प्रिविलेज कमेटी मे भेजा गया था । तो यहां तो पूरे विधायक समुदाय को लांछित करने की चेष्टा की गयी है । यह जानबूझ कर किया गया है । (व्यवधान) मान्यवर, साथ ही साथ दो आदमियों की बात कहा है तो जब यह मामला विशेषाधिकार में जायेगा, तो हम उनको पेश करेंगे । इस बात की गम्भीरता इसलिये है कि सत्तारूढ़ दल इस समय जो है उसके मन्त्री और सरकार जानबूझ कर विधायकों को लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं चूंकि उनका उद्देश्य है कि जनतन्त्रीय प्रथा पर जनता की आस्था समाप्त हो जाय । यह इस तरह आपातकाल के हामी हैं । वह चाहते हैं कि जनता का विश्वास संसदीय परम्पराओं में काम करने वाले विधायकों को ऊपर से हट जाय इसलिये वह इस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं । इसलिये मैं बल देता हूं कि प्राग्दर्शन म मामला साफ है, जो बहस है, जो दो तरह की विचारधारा है, वह विशेषाधिकार में जाने से साफ हो जायेगी । इसलिये प्रार्थना है कि विशेषाधिकार समिति को इसको निर्दिष्ट कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो अखबार दिया है वह मेरे हाथ में है । आपने जो बहुत सारे तथ्य कहे उनका इस अखबार में कहीं तजकिरा नहीं है, आधारशिला इसी पर

[श्री उपाध्यक्ष--]

बनती है । यह आधार शिला बनती उन नियमों पर, यह आधार शिला बनती है, आपकी शिकायत पर या पूर्व दृष्टान्त पर । इस पर आधार शिला बनी नहीं । नाम दिया नहीं । शिकायत अनिश्चित हो गयी । दृष्टांतों के लिए मैंने हाउस आफ कामन्स पार्लियामेन्ट और इस पीठ की भी रूलिंग आपको कोट कर दिया है । जब किसी तरह कोई आधार नहीं बनी है तो इनको किस तरह भेंजे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसको रोक दें और मौका दें, जो तथ्य हैं, उनको दुबारा लिखित रूप में दे देंगे । मैंने अभी संक्षेप में तथ्य देने की चेष्टा किया था ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आपने जिस हाऊस आफ कामन्स का जिक्र किया और अखबार का जिक्र किया है और जिसके सम्बन्ध में इस पीठ से फाइन्डिंग्स आयी हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो दीक्षित जी ने बयान दिया, उसके सम्बन्ध में देखें, उनका बयान है कि विधायक अपराध मूलक गतिविधयों में लिप्त हैं, जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उसका अवलोकन करें । इस प्रकरण से हाउस आफ कामन्स के जिस घटना का ब्योरा दिया गया है उससे कोई साम्य नहीं है । हाउस आफ कामन्स ने टाइम्स पत्रिका के अधार पर जो फाइन्डिंग्स दिये है उस के सन्दर्भ में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने जो निर्णय दिये हुये हैं उनसे इसका कोई सामंजस्य नहीं है । इसलिए इस तथ्य के आधार पर मैं पुनः आप से निवेदन करता हूं कि जो माननीय मन्त्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है उसे पढ़ लें और उस स्पष्टीकरण से मान्यवर, यह निष्कर्ष निकलता है कि विधायक अपराधमूलक प्रवृति में लिप्त है । स्पष्टीकरण के बाद ही स्थिति और गम्भीर हो जाती है ।

इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप एक दिन के लिए मौका दें और उसके बाद मैं एक सप्लीमेन्ट्री याचिका आप के सामने प्रस्तुत करूंगे और उसके बाद आप निर्णय लेंगे तो वह निर्णय बड़ा अनुकरणीय होगा । ऐसे मामलों में जो आप के यहां से निर्णय हुआ करते हैं वे इतिहास के पन्नों में जुड़ते चले जा रहे हैं । कहीं ऐसा कोई निर्णय न हो जाय कि आने वाले लोग कहें कि यह निर्णय कैसे हो गया । हमें आपकी विद्वता, क्षमता, विवेक, सब पर विश्वास है लेकिन जिस सन्दर्भ में, जिस प्रकार से, घटनाक्रम को आपके सामने रखा गया है यह आप के लिए मैं समझता हूं आवश्यक तो नहीं उचित होगा कि एक दिन का समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, मेरे विवेक पर आप को इतना भरोसा है मैं इसके लिए आपका आभारी हूं । मेरा विवेक जरूर मुझसे यह कह रहा है कि मैं इस प्रश्न को अधर में लटका के एक खराब परम्परा न डालूं । यह बात मैं भी मानता हूं कि आप ने जो और बातें कहीं उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन जो यह मामला मेरे सामने है इस मामले को देखते हुये मेरा विवेक कहता है कि मैं इस पर अपना फैसला आप को दूं । यदि उसके बाद आप कुछ और चाहते हैं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुनः आप के लिए रास्ता खुला हुं । उस पर विचार हो सकता है । लेकिन इस तरह से अधर में लटकाना मेरा विश्वास है, युक्ति संगत नहीं होगा ।

उपर्युक्त कारणों और दृष्टान्तों के आधार पर मैं इस मामले में माननीय श्री ऊदल तथा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा 2 पृथक सूचनाओं के माध्यम से अभिसूचित प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर....

विधान परिषद् में पुलिस के प्रवेश पर आपत्ति (क्रमागत)

[1 बजकर 14 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझसे आप ने यह अपेक्षा की थी कि विधान परिषद् के मामले को लिख कर आप के पास भेज दूं । वह मैंने भेज दी है । परिस्थिति और गम्भीर हो गई है । उस आदरणीय सदन में रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं उन्हें भी विधान परिषद् के सदस्यों के साथ घसीट कर निकाला गया है इसलिए कि उन का समर्थन किया गया । मैंने लिख कर दे दिया है । मैं चाहता हूं कि जो नियमों में उचित कार्यवाही बनती है वह आप कर दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

एक बार में केवल एक आदमी का उत्तर दे सकूंगा..

श्री राम आसरे वर्मा--

अभी-अभी मान्यवर....

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी विराजिये (शोर) (व्यवधान)

(लगातार कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलते रहने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग सम्मिलित रूप से बोलते रहेंगे तो मैं किसी का उत्तर नहीं दे सकूंगा । पहले सब लोग बैठ जाइये । एक-एक आदमी बात करें तो उसकी बात का उत्तर दिया जा सकता है । लेकिन सामूहिक रूप से अव्यवस्था उत्पन्न की जाय तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने विनम्रतापूर्वक पहले जो मामला उठाया था उस पर आपने बड़ी कृपापूर्वक एक व्यवस्था दी थी कि मैं मामले को लिखित रूप में आपको दे दूं। तत्काल मैंने आपको लिखित सूचना दी और उसमें नियम 110 (6) का भी उल्लेख किया जिसके अन्तर्गत मैं यह चाहता हूं कि आप उसको रोक दें। जिस समय लिखित सूचना दी तो फिर जानकारी प्राप्त हुई कि अभी भी पुलिस बर्बरतापूर्वक तथा उद्दंडतापूर्वक व्यवहार कर रही है। पुलिस ही नहीं सत्तारूढ़ बल के इशारे पर बाहर के लोग भी घुसेड़ दिये गये और मैं उनको गुंडे तथा बदमाश की संज्ञा नहीं देता। लेकिन यह बाहर के लोग जो विधान परिषद् में घुसेड़ दिये गये यह भी प्रतिपक्ष के सदस्यों को घसीट रहे थे। यह बहुत ही निन्दनीय है। पत्रकारों को भी वहां से पकड़ कर घसीटा गया। पुलिस तो अन्धी होती है। वह नहीं पहचान पाती कौन सदस्य है, कौन पत्रकार है। वहां पर इस तरह से पत्रकारों को भी प्रताड़ित किया गया। हृदय रोग से बीमार श्री सरजू प्रसाद त्यागी जो प्रतिपक्ष के माननीय नेता हैं उनको भी जबरदस्ती पुलिस ने घसीटा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप संज्ञान में नहीं ले सकते उस हाउस का।

*श्री श्यामलाल वाजपेयी—

यह इस सदन का विषय नहीं है। आप इसकी व्यवस्था करें इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी को अपमानित किया जा रहा था, उनको गाली दी जा रही थी। वह किसी को शोभा नहीं देता है। मैं इसको अपने कान से सुनकर आया हूं। रवीन्द्र किशोर शाही मुख्य मंत्री जी को क्या-क्या कह रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप सदन में अव्यवस्था न फैलने दें और आगे की कार्यवाही शुरू करायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं अपना तर्क केवल पेश कर रहा था कि पुलिस ने वहां क्यों प्रवेश किया और हमारा कोई मतलब नहीं है कि वहां क्या हुआ ? मान्यवर, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि सरकार का पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है ....।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

दूसरे दिन की बात पर यहां पर कैसे डिसकस हो सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हाउस के गार्ड्स करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन सरकार की पुलिस ऐसा कर रही है....(व्यवधान) हमारा बोलना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधान मंडल में आज इस तरह की परम्परा डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लाठी और डंडे के बल पर अतिक्रमण कर रही है....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

इस सदन में कोई अव्यवस्था नहीं है और यह अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया जा रहा है····(व्यवधान) ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में घोर व्यवधान ।)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप लोग एक-एक करके बोल रहे हैं ? एक सदस्य ने कोई रूल कोट करके मुझे दिया है । आप मुझे उस नियम को पढ़ने देंगे या नहीं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

आप सब की सुन लीजिये तो आपको ही सुविधा होगी ।····(व्यवधान) मैं आपकी व्यवस्था के दायरे में ही रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं हो सकेगा । आप सब कृपया बैठ जायं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक तर्क यह दिया गया कि उस हाउस में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है । मैं इससे सहमत हूं । लेकिन मान्यवर, जो हमारी परम्परा रही है, जो हमारी प्रक्रिया और नियम हैं उसके अनुसार क्या वहां हो रहा है उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है लेकिन मतलब इस तथ्य से है कि क्या विधान सभा में पुलिस आयेगी और यहां के सदस्यों को चाहे वह इस सदन के माननीय सदस्य हों या उस सदन के माननीय सदस्य हों उनको सदन से जबरदस्ती निकाला जायेगा, इससे हमारा मतलब है····(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने अपनी आंखों से देखा है । उस सदन में क्या हो रहा है इससे हमारा मतलब नहीं है लेकिन इस आदरणीय सदन के सदस्य होने के नाते मतलब है कि क्या पुलिस और गुंडों के बल पर विधान परिषद् के सदस्यों को निकाला जायेगा । मान्यवर, आजादी के इतिहास में आज यह काला दिन है कि यहां पर इस तरह की घटना हुई है । अखबारों के पत्रकारों को घसीटकर निकाला गया है यह बड़े शर्म और कलंक की बात है । माननीय सरजू प्रसाद त्यागी वहां के एक वरिष्ठ नेता हैं और कई बार सदस्य रह चुके हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है । वे हृदय रोग के मरीज हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक हो तो यह बड़े शर्म और लज्जा की बात है । मुख्य मंत्री जी हमारे सामने हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में बयान दें और जिस अधिकारी के इशारे पर ऐसा हुआ है उसको सख्त से सख्त सजा दें ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

वे बीमार हैं तो डाक्टरी इलाज हो जायेगा····(व्यवधान) । यह काला दिन प्रजातंत्र के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है ।····

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सब लोग बिराजें ।

माननीय ओझा जी, आपने दो-तीन बातें कहीं । उस सदन में क्या हो रहा है इसके बारे में हम यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक । अब दूसरा प्रश्न आपने उठाया कि क्या उस सदन में पुलिस जा सकती है ? तीसरा प्रश्न आपने उठाया कि क्या पुलिस जाकर वहां के माननीय सदस्यों को घसीट कर बाहर निकाल सकती ह ? फिर इन तीन प्रश्नों के बाद आपने चौथा प्रश्न किया कि एक माननीय सदस्य जो बिल के मरीज हैं उनके साथ अगर कोई घटना हो गयी तो क्या होगा ? यही चार प्रश्न आपने किये । एक प्रश्न पर कोई असहमति है ही नहीं इसको आप मानते हैं कि उससे इस सदन को कोई सम्बन्ध नहीं है ।

किसी भी सदन में फोर्स (पुलिस) कब जा सकती है, आप सब लोग पुराने सदस्य हैं (व्यवधान) आप संसदीय प्रथा का निर्वहन कीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्रिमिनल आफेंस पर जा सकती है किसी भी सदन में ।

श्री उपाध्यक्ष--

काशीनाथ जी आप बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं । अब प्रश्न यह है किसी सदन में पुलिस फोर्स कब जा सकती है ? किसी भी सदन में पुलिस फोर्स तब जा सकती है जब पीठासीन अधिकारी सदन को नियंत्रित करने में अपने आपको असमर्थ पा रहा हो । अब विचारणीय प्रश्न है कि अगर पुलिस गयी तो क्या पीठासीन अधिकारी के आदेश से गयी ? अगर आदेश से गयी तो जायज है । पुलिस फोर्स को किसी ने सदन में प्रवेश कराया और सदन में प्रवेश करने से सदस्यों को बाहर करने की बात हुई । अब सदस्यों को बाहर करने के बाद एक बात उत्पन्न हुई कि क्या अव्यवस्था हो गयी थी । क्या ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी कि इंगित करने पर भी काम चलने वाला नहीं था ? क्या ऐसी अव्यवस्था हो गयी थी कि नेता सदन और नेता विरोधी दल के संभालने के बाद भी ऐसी परिस्थिति हो गयी थी ? (व्यवधान) आप लोग खामोश रहिये ।

मैं इस सदन का मेम्बर रहा हूं और मैंने देखा है इसी सदन में माननीय राजनारायण जी, माननीय उग्रसेन जी और तमाम माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय काशीनाथ जी इस सदन में वह विपक्ष में बैठते थे और मैं इधर बैठता था (व्यवधान) नारायण दत्त जी उस समय यहां नहीं थे । आप लोगों ने इस सदन की शक्ल नहीं देखी थी जिस समय की मैं बात कह रहा हूं । माननीय मोतीलाल देहलवी जी थ इसीलिए वह नहीं बोल रहे हैं, वह अपनी मौन से स्वीकृति दे रहे हैं । जब ऐसी स्थिति आई थी तो पीठासीन अधिकारी पुलिस फोर्स बुलाते थे । हमारे एक माननीय सदय को मैंने देखा है जब उन्हें यह कहा गया कि आप सदन से बाहर जाय तो उन्होंने मार्शल से कहा तुम्हारी पीठ पर चढ़ कर जायेंगे । माननीय लक्खी सिंह जी मार्शल के कंधों पर बैठ कर गये । माननीय राजनारायण जी को 6 आदमी टांग कर ले गये क्योंकि उनकी काया भारी है । ऐसे प्रयोग भी इस सदन में देखे हैं । जब सदन की कार्यवाही चलाना पीठासीन अधिकारी के लिए असंभव हो गया, उसने फोर्स को शो किया, फोर्स बुलाई, उसका प्रदर्शन किया परन्तु उससे भी काम नहीं चला, लोगों को इंगित किया उससे

भी काम नहीं चला, निकालने के निर्देश दिये तब भी काम नहीं चला, फिर जब लोग लेट गये, बाहर निकलन से इंकार कर दिया तब मजबूर होकर सदन को सुव्यवस्थित करने के लिए फोर्स को पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिये कि ऐसे लोगों को सदन के बाहर कर दिया जाय। अभी ओझा जी ने जो दूसरा प्रश्न उठाया था कि पुलिस क्या सदन में आ सकती है ? यदि पीठासीन अधिकारी ने बुलाया हो तो आ सकती है। पुलिस माननीय सदस्यों को बलपूर्वक निकाल सकती है यदि पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिया हो।

(व्यवधान)

उसके बाद अगर यह बात हो कि पीठासीन अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस सदन में यह घटनाएं पीठासीन अधिकारी की मर्जी से हो रही हैं और उसी सदन के परिसर में हो रही हैं, तो उस सदन के परिसर में होने वाली घटनाओं के बारे में इस सदन में क्या फैसला लिया जा सकता है ? हम उस सदन के परिसर में होने वाली घटनाओं के बारे में कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और हमारे माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है, अंग्रेजी में कहा जाता है जिसे—'बी आर मोस्ट कन्सर्न विथ हिम'। लेकिन यदि उस सदन के परिसर में कुछ हो रहा हो, तो हम इस सदन में उसके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं ...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप माननीय मुख्य मंत्री से इस पर कोई वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के बाद निवेदन की प्रथा अच्छी नहीं है, आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपकी व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपने दो-दो प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं। जब पहली बार आपने व्यवस्था दी है तो उस समय आपने यह कहा था कि विधान परिषद् के परिसर म क्या हो रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पर शासन के क्रिया-कलाप इन्वाल्वड हैं, इसलिए इस पर सोचना पड़ेगा। पहली व्यवस्था में आपने इस बात को कहा है। जहां हम यह कहते हैं कि विधान परिषद् के परिसर में क्या हो रहा है, उस पर इस सदन में विचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें शासन का क्रियाकलाप शामिल है, पुलिस बाहर से जाती है और मैं और उधर के एक सदस्य श्री भोला पांडेय वहां गये थे ...

(व्यवधान)

[श्री राम आसरे वर्मा---]

ऐसी स्थिति में सोचना पड़ेगा। मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह वक्तव्य इस पर दे दें।

(व्यवधान)

(कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े रहे।)

एक सदस्य---

आपने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से लिखित लिया है, अब उससे पीछे जाने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, ये बहिर्गमन की योजना बना रहे हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, वक्तव्य के बारे में माननीय सदस्यगण, नेता भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों के नेतागणों ने कहा तो मैं एक लाइन का वक्तव्य देना चाहता हूं, आपकी आज्ञा से। और वह यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष---

किस विषय में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

जो विषय आपने उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या वह इस सदन के लिए ग्राह्य है ?

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, आपने अपनी व्यवस्था में कहा है कि जहां तक शासन के कार्य-कलाप का सम्बन्ध है, उससे हम सम्बन्धित हैं। इस लिए आपने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त से लिखित में लिया है और स्वयं कहा है कि शासन के कार्यकलाप के बारे में हमें सोचना होगा। तो यह हिस्सा ग्राह्य हो गया। माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे रहे हैं, उन्हें देने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी भावनाओं को देखते हुए और नेता सदन की भावनाओं को देखते हुए और इसकी ग्राह्यता को स्वीकृत न करते हुए चूंकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले इस हित में अगर नेता सदन अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं तो व्यक्त कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने जो व्यवस्था दी है, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए उसके प्रति सम्मान और उसका समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्यों से, जिन्होंने ये प्रश्न उठाये हैं, अनुरोध करता हूं कि वे भी आपकी व्यवस्था को पूर्ण रूप से मान लें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह भी कोई वक्तव्य हुआ ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, ये चाहते हैं कि इस सदन में भी अव्यवस्था फैलाई जाये ? यह बड़ा ही गम्भीर विषय है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे ।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह कोरस कब तक चलेगा ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने एक लाइन का वक्तव्य दिया है । आपने स्वयं कहा है कि विधान परिषद् में क्या हो रहा है... ।

एक सदस्य--

क्या माननीय सदस्य आपकी अनुमति से बोल रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मौन रहने पर स्वीकृति हो जाती है ।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[1 बजकर 28 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

आज कार्य-स्थगन की 3 सूचनाएं आयी थीं, वे तीनों अस्वीकृत की गयी हैं।

[1 बजकर 28 मिनट]

1980-81 के आय-व्यय क में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 62--वन विभाग, अनुदान संख्या 101--वन विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या-116--वन विभान--ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या 126--पर्यटन-विभाग--ऋण और अग्रिम

*वन मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्या भूषण---]

वर्ष में अनुदान संख्या 62---वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,96,83,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 101---वन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री मित्रसेन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री फखरे आलम सदन त्याग कर चले गये ।)

(घोर व्यवधान तथा शोर के मध्य)

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 116---वन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74---पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 126---पर्यटन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए ।)

पर्यटन विभाग की ओर से कुछ साहित्य वितरित किया गया है जिससे माननीय सदस्यों को इन विभागों की प्रगति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी । मैं माननीय सदस्यों की मुख्य-मुख्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह यहां की परम्परा रही है कि लिखित भाषण नहीं पढ़ा जा सकता । माननीय वन मन्त्री जो लिखित भाषण पढ़ रहे हैं । उनको अगर भाषण देना नहीं आता (व्यवधान) तो जो वे पढ़ रहे हैं उसे ही वितरित कर दिया जाये, इतना काफी है ।

(व्यवधान)

श्री विद्या भूषण--

माननीय, जहां तक वन विभाग की उपयोगिता का सवाल है उसके बारे में सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि वन हमारे जीवन में इतने जरूरी हैं कि जब से हमारा जन्म होता है तब से अंतिम घड़ी तक उनकी आवश्यकता पड़ती है । किस तरह से उनकी आवश्यकता पड़ती है यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं । इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य 185 लाख वृक्ष लगाने का था, जब कि हमने इससे भी अधिक 225 लाख वृक्ष लगाये । इस प्रकार हम अपने लक्ष्य से काफी ऊपर पहुंचे हैं । हमारे औद्योगिक इकाइयों में जिन वृक्षों की जरूरत पड़ती है, जैसे माचिस के लिये, प्लायीवुड के लिये, कागज के लिये, जिन वृक्षों की जरूरत पड़ती है उसी जाति के वृक्षों को लगाया जाता है । यह हम सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, झीलों से किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे, गांवों में कच्ची सड़कों के किनारे लगाते हैं । इसी प्रकार पर्यटन विभाग में हमारे यहां विधायकगण जानते हैं, सब के क्षेत्र में कोई न कोई ऐसा प्रमुख स्थल या सुन्दर स्थल है, जिसके लिए हर सदस्य यह चाहते हैं कि वहां पर पर्यटन केन्द्र खोले जायं या वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था करायी जाय । इस विषय में मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग के पास इतनी सामग्री तो नहीं है कि वह क्षेत्र को उस तरह से सुन्दर बना दे । वैसे सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में बहुत से स्वयं सुन्दर स्थल हैं जिनमें प्रकृति की देन है चाहे धार्मिक स्थल हों या गंगा का किनारा हो या त्रिवेणी का किनारा है । अब करना क्या है ? जिला लेविल पर कुछ समन्वय समितियां जो हर विभाग से सम्बन्धित हों, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग का कुछ कार्य हम कराना चाहते हैं, तो वहां पर सड़कों की, बिजली की, पानी की जरूरत होगी, इसलिए हर विभाग की आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी समन्वय समितियां जिला स्तर पर बनायेंगे और इन सब स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में परिवर्तित करेंगे । इसके लिए हमें अलग-अलग सर्वे भी कराना पड़ेगा । वह भी जिला स्तर की समितियों द्वारा कराया जायगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62-सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या 101-

[श्री विद्या सागर नौटियाल--]

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय, अनुदान संख्या 116--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय, अनुदान संख्या 74--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय, अनुदान संख्या 126--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, वनों के बारे में मैंकेवल औपचारिक तौर पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर खड़ा नहीं हुआ हूं। हमारे देश के अन्दर आजादी के बाद से लेकर आज तक वनों के सम्बन्ध में हमारी सरकार की जो नीति रही है उस नीति के कारण इस देश के अन्दर रहने वाले बनवासी बरबाद हुए, देशवासी बरबाद हुए और हमारे देश की संगठित शक्ति, राज्य की आय का ह्रास हुआ। जब अंग्रेज भारत के अन्दर आये थे तो अंग्रेजों ने सब से पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी उस समय उत्तराखंड के अन्दर प्रवेश नहीं कर पायी थी जब कि काशीपुर में लीसा फक्ट्री शुरू कर दी गई, पूरे पहाड़ की वन सम्पदा पर अंग्रेजों की दृष्टि पड़ी थी तो अंग्रेज शासन के आने से पूर्व अंग्रेजों की दृष्टि इस दौलत पर पड़ी थी। हमारे टहरी रियासत के अन्दर एक अंग्रेज व्यापारी नौजवान आया, विल्सन नाम का और उस समय एक बहुत मामूली कीमत पर, टेहरी रियासत के पूरे जंगल को, जो कि देवदार का जंगल था, खरीद लिया। आज वहां पर केवल हर्षिल चट्टान मात्र है। अंग्रेज जब हिन्दुस्तान के अन्दर आये थे, मैं बताना चाहता हूं, अंग्रेजों को स्वयं वनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अंग्रेजों को जानकारी जर्मनी की जानकारी के आधार पर आधारित थी। जर्मनी के अन्दर वन का मतलब होता है, स्वेच्छाचारी शासक के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले आखेट का स्थान। जर्मनी का वन जर्मनी के जीवन से सम्बद्ध नहीं है। भारत का वन भारत के जीवन से सम्बद्ध है और आज भी हमारे वन विभाग के अन्दर जितने उच्च शिक्षा प्राप्त अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग वह जर्मनी के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा की गयी है।

लिहाजा आज वन विभाग के कर्मचारी वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान हमारी उस जनता की ओर नहीं होता, हमारी खुशहाली की ओर नहीं होता, वनों की रक्षा की ओर नहीं होता। इनका ध्यान होता है व्यापार की ओर। आज वन विभाग सबसे बड़ा व्यापारी है और आज हमारे प्रदेश के अन्दर बाढ़ आती हैं, उनमें हमारे प्रदेश के अन्दर जो मिट्टी है, वह मिट्टी समाप्त हो रही है। वनों का मुख्य कार्य होता है, वह मिट्टी की रक्षा करें, जल की रक्षा करे, वायु प्रदूषण को रोके रखे। उन वनों में रहने वाले बनवासी के जीवन की रक्षा करे। आज बहुत अफसोस के साथ यह बात बतानी पड़ती है कि धरती मां को एक सेन्टीमीटर मिट्टी पैदा करने के लिए 100 से 400 साल का समय लगता है। माननीय वन मन्त्री जी से शायद यह बात मालूम न हो कि जिस मिट्टी को बनाने में इतना समय लगता है, आज उस मिट्टी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। आज पहाड़ों के अन्दर, देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर इस देश की मिट्टी की रक्षा करना है। अगर मिट्टी रहेगी, तो वन कायम रहेगा और जब तक मिट्टी कायम रहेगी, तब तक हमको कोई गरीब नहीं बना सकता है। हमारे वन विभाग की नीतियां हमेशा वन विरोधी रही हैं। आज से 50 साल पहले टेहरी रियासत के अन्दर 1930 में जमुना घाटी में जमुना नदी के किनारे तिलाड़ी मैदान में किसानों का, वनवासी का और स्थानीय सामन्तशाही का संघर्ष हुआ था...।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नौटियाल साहब, संक्षेप में बोलिये । यह ढाई बजे तक, वन विभाग के बजट पर चर्चा चलेगी ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, कितना समय देंगे, जिससे उतने समय में खत्म कर दूं ?

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में खत्म कर दीजिए ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, दो मिनट में कटौती का प्रस्ताव क्या खत्म हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा बोलिये, बोलिये ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

दो मिनट का समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, दो मिनट में अपनी बात खत्म कर ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश की जनता ने लगातार जिन वनों की समस्या को लेकर संघर्ष किए हैं और हमारी सरकारों ने वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बतायी गयी पटटी पहाड़ों के कारण, उस नीति को लगातार परिवर्तित किया है । मैं आज माननीय वन मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानते तो नहीं मानें, लेकिन देश की प्रधान मंत्री की बात को तो मानें । प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि पहाड़ों के अन्दर वनों का बहुत बुरी तरह के कटान हो रहा है, इसको रोका जाए । आज से लगभग डेढ़ साल पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी बद्रीनाथ से उत्तरकाशी तक मोटर से गई थीं । वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने जो बात कही, उसकी ओर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम उस बात को तो स्वीकार करें, हरे वनों के कटान के प्रति प्रधान मंत्री जी ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है । हमारे पहाड़ों के अन्दर आई० टी० आर० के अन्दर लोसा लिया जा रहा है जो पहले 40 सेंमी० व्यास के पेड़ लिया जाता था उसको कैन्सिल करके अब फिर 35 सेंमी० के व्यास पर आर्डर किए जा रहे हैं । तो मान्यवर, इस सिलसिले में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां-जहां लोसा निकाला गया था, वहाँ के और टेहरी, उत्तरकाशी और कुमायूं आदि सभी जगह के लगभग एक लाख पेड़ गिर गये हैं । जब यह बात उठायी जाती है कि हरे पेड़ों को काटने से रोका जाए, तब वन विभाग के अधिकारीगण वहां के गरीब निवासियों से कहते हैं, जब वे लोग वहां

[विद्या सागर नौटियाल—]

लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, कि उन्हीं लोगों के पास जाइये जो लोग इसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। मान्यवर, कई लाख पेड़ चीड़ के गिर गये हैं। जब इसके ऊपर हाउस में प्रश्न लिखकर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, न ही अभी तक कोई इस सिलसिले में जवाब ही आया। अगर मान्यवर, समय रहते इन चीड़ के हरे पेड़ों का गिरना रोका नहीं गया तो कुछ ही समय के अन्दर चीड़ की लकड़ी और चीड़ की पत्ती समाप्त हो जायेगी। अब वन विभाग के द्वारा चौड़ी पत्ती के वृक्षों के स्थान पर कौनी फोरस और संकुधर प्रजाति के पेड़ लगाये जा रहे हैं। जो कुछ ही दिनों में काश्तकारों को बिल्कुल नंगा कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में विश्व वृक्षमानव बरबे-बेकर विश्व सुरक्षा अडवानी क्षेत्र में आये थे, जब मुझे मालूम हुआ, तो मैं भी वहां गया तो हम लोगों ने देखा कि वन विभाग वाले पत्ती के वृक्षों को समाप्त करके उसके स्थान पर ऐसे नुकीले पेड़ लगा रहे हैं, जिससे अन्दर की जमीन भी कुछ ही दिनों के अन्दर सूखने वाली है। वन विभाग आज अगर गुलाम है तो टाटा और बिड़ला वालों का। वन विभाग के चिन्तन पर देश के पूंजीपति हावी हैं इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसके रक्षा की व्यवस्था शीघ्र करें। मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं यूकिलिप्टस के बारे में, जो भारत सरकार द्वारा लगाए जा जा रहे हैं। यह यूकिलिप्टस जहां लगते हैं, वहां रेगिस्तान बन जाता है और यह यूकिलिप्टस केवल पेपर मिल वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है, जबकि वहां की जनता को लकड़ी 18 रु0 क्विंटल के हिसाब से दी जाती है और इन मिल वालों को 8 रु0 प्रति क्विंटल दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, कुछ समय मुझे और दे दें, बड़ी कृपा होगी। थोड़ा समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं बगैर अनुमति के नहीं बोलूंगा लेकिन यदि 2 मिनट दे दें तो अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

जंगलों का वहां की मिट्टी की रक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाय। वह उसके लिए उपयोग में लाया जाय। हमारे पहाड़ के अन्दर बहुत बड़े-बड़े बांध बनाये जा रहे हैं। जल का स्तर वहां घट रहा है, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, वहां जल ही नहीं है

तो इन बांधों को बनाकर आप क्या करेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से इन वनों का संरक्षण किया जाय और अपनी वन नीतियों में परिवर्तन कर लें और इसके लिए एक वैज्ञानिक दल का गठन करें जो पूरी तरह से सब बातों पर विचार करें और उसके आधार पर वन विभाग की नीति को निर्धारित किया जाय । ताकि इस देश के रहने वाले वनवासी के साथ न्याय हो सके ।

श्री सतीश अजमानी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं अपने वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों को बताना चाहता हूं बजाय इसके लिए इधर-उधर की बात करें । सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वन विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है क्योंकि यह भ्रष्टाचार इसलिए है कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका बनाने में कुछ समय नहीं लगता है । किन्तु यह इस किस्म का है कि इसमें पैदावार बहुत ज्यादा है इतनी पैदावार है कि इनको गिनती नहीं की जा सकती है इनको शासन सम्भाल पाने में समर्थ नहीं है । बहुत बड़ी समस्या आपके वन विभाग की पेड़ों के काटे जाने की है । प्रशासन इस पर बहुत कन्ट्रोल करने की कोशिश करता है किन्तु कन्ट्रोल कर नहीं पा रहा है । उसका कारण है कि इसकी उत्पत्ति बहुत ज्यादा है । इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब एक पेड़ काटने वाले के साथ वही व्यवहार किया जाय, जो एक कातिल के साथ किया जाता है । उसी से इसकी सुरक्षा हो सकती है । वरना इसको नहीं रोका जा सकेगा ।

मैं वनों को इसलिए भी अधिक महत्व दे रहा हूं क्योंकि हमारे नेता स्वर्गीय श्री संजय गांधी की भी हम लोगों पर प्रेरणा थी । मैं जहां से चुन कर आया हूं 140 किलोमीटर लम्बा वह क्षेत्र है उसके किनारे-किनारे 140 किलो-मीटर लम्बा जंगल है । उस जंगल को दुधवा नेशनल पार्क बना दिया गया, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन उस दुधवा नेशनल पार्क, वहां के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है । उस जंगल में शेर, चीते, हाथी पाले जाते हैं किन्तु वहां पर जानवरों की जान की कीमत आदमी की जान की कीमत से बहुत अधिक आंकी जाती है यह कहां का न्याय है । वहां पर यदि कोई जानवर किसी आदमी को मारता है और वहां के रहने वाले उस पर आक्रमण करते हैं और मार डालते हैं तो जुर्माना 50 हजार रुपया देना पड़ता है । लेकिन यदि शेर किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसको शासन 5 सौ रुपया देता है । यह कहां का न्याय है । मान्यवर, कहा गया था कि फेंसिंग के लिये कार्यवाही की जायेगी तार लगाये जायेंगे ताकि जनता की सुरक्षा हो सके । उसके लिए 30 लाख रुपये शासन ने मंजूर नहीं किये तो यह फसला हुआ कि जो सूखे पेड़ वहां पर गिर जाते हैं उन्हें नीलाम कर दिया जाये, उससे 30 लाख की आमदनी हुई उससे फेंसिंग लगाने का फैसला हुआ लेकिन आज तक फेंसिंग नहीं हुई । जो नजदीक के गांव हैं उन्हें हटाया जाये यह कहां तक का न्याय है । ऐसे विचार को त्याग किया जाना

[श्री सतीश अंजमानी--]

चाहिए और गिरे हुए पेड़ों के रूप में उसमें लगा दिया जाये । हम बजट से मंत्री जी से एक रुपया भी नहीं मांग रहे ह, उसी से काम चल जायेगा ।

मान्यवर, एक थारु जाति है वहां पर, जो जमीन जंगल के अधिकारियों के अधीन थी, शासन से उसे राजस्व विभाग में बदल दिया लेकिन उन लोगों के साथ आज भी जंगल के अधिकारी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अंग्रेज लोग गुलामों के साथ करते थे । यह मनुष्य की जाति पर कलंक है । नेपाल से जो लोग आये, वहां से निकाले गये, उनके लिए सरकार ने आदेश दिया था कि उनको वन विभाग की जमीन दे दी जाये । उसमें से 3/4 लोगों को तो जमीन दे दी गई लेकिन 1/4 आज भी रह गये हैं जबकि हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है । अतः मेरा निवेदन ह कि उन लोगों को भी जमीन जल्द से जल्द दे दी जाये । इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसमें वहां का क्षेत्रीय विधायक सदस्य था, इस कमेटी को पुनः लागू किया जाये ।

बहराइच में जंगल का सारा काम निगम के अन्तर्गत कर दिया गया लेकिन लोगों को उससे हटाकर एक वर्ष के लिए और नीलामी दे दिये जाने को कहा गया वैसे ही हमारे यहां खोरी के ठेकेदारों के साथ हो । पिछले वर्ष उनको कुछ नहीं बतलाया गया, लाखों रुपये मजदूरों में बांट दिये, अब कोई निलामी नहीं दी जा रही है । आपसे निवेदन है कि गोला मुहम्मदी और किशनपुर के जो इलाके हैं एक साल के लिए और नीलाम कर दिये जायें ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--

मैं वन मन्त्री जी द्वारा जो अनुदान रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस मौके का फायदा उठाकर इसलिये बोलना चाहता हूं कि इस पर्वतीय प्रदेश का 63 प्रतिशत काम वन का है बाकी के० एम० मुंशी जी ने कहा था रेगिस्तान के बारे में जो पश्चिमी इलाके में फैलने लगे थे, उसको बचाने के लिये कोशिश की थी । उसी के मुताबिक मैं आपका ध्यान श्रीमती इन्दिरा गांधी, संजय गांधी जी का इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा चर्चा वन विभाग की हो रही है, यह उन्ही की कृपा का फल है क्योंकि पेड़ लगाने की ओर उन्होंने बहुत जोर दिया है । आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह हम लोगों का सौभाग्य है कि पर्वतीय प्रदेश ही ऐसा इलाका है जहां कि वन विभाग का पूर्णरूपेण काम हो सकता है । आठों जिलों में साढ़े चार हजार फीट की ऊंचाई से लेकर नौ हजार की ऊंचाई तक चीड़, केवल केल, हर, स्प्रूज, देवदार यह सब मिलते हैं । मुझे सौभाग्य मिला कैलाश-मानसरोवर की यात्रा में जाने का । हिमालय रेंज का दौरा करने का मौका मिला । वहां स्प्रूज, देवदार के पेड़ हैं । अब भी यह सब पहाड़ जंगल से भरे पड़े हैं । जनता बढ़ गयी, गांव बढ़ गये, उन लोगों ने सारे जंगलों को काट-काट कर नंगा कर दिया । उन जगहों पर फिर हिमालियन ट्रीज नहीं लगाते हैं । वन विभाग वहीं पर पेड़ लगाता है जहां पानी का ट्रान्सपोर्ट का सिलसिला हो । बाकी जगहों को वह निगलेक्ट करते रहते हैं । सारा पर्वत मिडिल हिमालियन रेंज नंगा दिखाई देता है ।

मैं माननीय मन्त्री जी, का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं वह केन्द्रीय सरकार से मदद लें और जंगलों को लगाने का कार्य तेजी से हो। अगर इनकी मंशा सही मानों में जंगलों को लगाने की है तो पहाड़ों, पेड़ का काटना बन्द हो। इसका नतीजा होगा कि आमदनी कम हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि इतना पैसा दे कि फारेस्ट का काम मिडिल हिमालय रेंज में कर सकें। हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। इन जगहों पर बिस्तृत योजना तयार करें जिससे हिमालय अमर हो जाये और वैसे ही संजय का नाम अमर हो जाये। वन हमारी बहुत बड़ी संपदा हैं।

टूरिज्म वनों पर आधारित है। ऐसे जोन्स हैं। उन जगहों पर जांये तो ऐसे जानवर मिलेंगे जिनको मारने के लिए विदेशी लाखों रुपये खर्च करते हैं। हमारे यहां भी ऐसे जानवर मिलते हैं। शिकार योग्य भी हैं। टूरिस्ट फिशिंग के लिए सारे लोग कश्मीर में आते हैं हमारे यहां भी कई नदियों में फिशिंग का काम शुरू हो सकता है। क्योंकि कई नदियां यह भी बरफ के पानी से ही बनी है जिनमें ट्राउन फल सकती है। जिससे काफी विदेशी यहां आयेंगे और हमको विदेशी मुद्रा भी मिल सकेगी। कई बातें जंगलों के बारे में कहना चाहता हूं। समय है नहीं, आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे सुझावों पर गौर करेंगें और मिडिल हिमालियन रेंज में अवश्य ही जंगल लगवायेंगे ताकि हमारे इलाके में घने जंगल बन सकें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो बात अभी कही गयी उस सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि आज तक जो बात फारेस्ट विभाग से अधिकारियों के बारे में कही जाती थी कि वह बहुत ही करेप्ट हैं, पैसा लेने वाले हैं, सारे जंगलों को इन्होंने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है परन्तु वह अब मन्त्रियों की घूसखोरी व्यापक रूप ले चुकी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मन्त्रि मंडल के सदस्य आज सारे विभागों में करेप्शन फैला चुके हैं। सारे के सारे जंगल विभाग की स्थिति खोखली हो चुकी है। इसका उदाहरण देना चाहता हूं। 8 अगस्त, 1980 को एक शासनादेश विभाग द्वारा होता है कि सहकारी समिति और ठेकेदारों को ठेके न दिये जांये। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी तक वह पहुंचता है। मुख्य मन्त्री जी इसकी स्थिति समझते हैं। तब दूसरा जी0 ओ0 4 सितम्बर, 1980 को होता है। उसके मातहत लैंस डाउन, कालागढ़ डिवीजन में 16, 17, 18 को नीलामी होती है। ठेकेदार लेते हैं, सहकारी समिति वाले लेते हैं।

मेरा चन्द्र मोहन सिंह नेगी, राज्य मन्त्री पर स्पष्ट इल्जाम है। इसी बीच 19 सितम्बर, 1980 तीसरा जी0 ओ0 होता है। जिन लोगों ने ठेका लिया था, जिन सहकारी समितियों ने कर्ज निकाल कर लाखों रुपयों द्वारा ठेका लिया था, वह कैंसिल कर दिये गये। एक महीने 8 दिन के अन्दर तीन जी0 ओ0 किये गये। कोटद्वार के केवल एक लकड़ी की मण्डी थी, जहां पर लोगों के रोजगार का साधन था खतम हो गयी है। राज्य मन्त्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी पर मेरा स्पष्ट आरोप है कि इन्हीं ने कोटद्वार को तहस नहस कर किया है। हजारों लोग बेकार हो गये हैं। सरकार की नीति है कि बेकारों को रोजगार

[डाक्टर शिवान्द नौटियाल]—

देगी । आज उन लोगों को बेकार कर दिया जो रोजी पर लगे थे । उनको रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं है । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गांव के लोगों की जीवन निर्वहन के लिए भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है । उन्होंने ठीक कहा, कि आदमी की जीवन की कीमत 5 सौ रुपये और जानवर के जीवन की कीमत 50 हजार रुपये है ।

पहाड़ी अंचल में गांवों की दशा ऐसी है कि वहां लोग चाहते हैं कि निकल कर दूसरी जगह चले जायें और जंगल लगायें । इसके लिये विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है । कालागढ़ के कारबेट नेशनल पार्क में बहुत लोग आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जंगल विभाग से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । वहां के लोगों का कहना है कि हमको यहां से हटाकर ऐसे स्थान पर ले जाया जाये जहां सुरक्षित रूप से रह सकें । इनको कोई सुविधा नहीं है । फारेस्ट विभाग को जंगलों को सुसंगठित करने की योजना बनाना चाहिये । पर्वतीय अंचलों में करोड़ों जंगल कट रहे हैं । जैसा हमारे विष्ट जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि जंगलों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं । लेकिन, मान्यवर, गांव के लोगों ने अपने आप परिश्रम करके जंगलों को लगाया है । लेकिन आज जब जंगलों को कटाई की बात आती है तो कहते हैं कि फारेस्ट निगम को देंगे । फिर कहते हैं कि फारेस्ट निगम को सस्ते मूल्यों पर देंगे और ठेकेदारों को बाजार के दाम पर न देकर, घूसखोरी को बढ़ावा देने की बात करते हैं । इस तरह से, मान्यवर, आज सारा शासन और प्रशासन मन्त्रियों और विशेषकर राज्य मन्त्री भी श्री नेगी के कारण संत्रस्त है ।

एक बात, मान्यवर, और कहना चाहता हूं । आज, मान्यवर, संजय और संजय की परिक्रमा और उनकी कुंडली जपने के अलावा इस शासन का कोई काम नहीं रह गया है । अभी एक भाषण सुन रहा था । मन्त्री जी को भी सुना । मान्यवर, सुन रहा हूं कि केदार नाथ और नन्दा देवी वन्य पशु बिहार के नाम को संजय गाँधी के नाम पर परिवर्तित करना चाहते हैं । मान्यवर, हिमालय का नाम बदलना कहां तक उचित है । भारत के इतिहास में इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि यहां की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती । भारत की जितनी भी हिन्दू जनता है, जितने भी भारतीय संस्कृति से प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं, वे केदारनाथ और नन्दा देवी के नाम बदलने की बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते । वे कभी इसके नाम को बदलना नहीं चाहेंगे । आप लोग संजय से प्रेम करें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है । आप अपने घरों में संजय का नाम लगा दें, अपने शर्टों पर संजय का नाम लिखवालें, अपने घरों में उनके नाम की पट्टी लगा दें, लेकिन गढ़वाल के नक्शे को बदलने का आपको कोई अधिकार नहीं । अगर इस तरह से कोई नाम बदलने का सुझाव है, तो मान्यवर, मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इसको तुरन्त वापस लें और पर्वतीय अंचल के रूप को न बिगाड़ें ।

एक सदस्य—

यह नाम बदलने का प्रस्ताव कहां है ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

अगर हो भी, तो वह नहीं होना चाहिये ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में तथा विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, आज वन की समस्या इस पूरे देश की समस्या बन चुकी है। यह सही है कि हम लोग वनों के महत्व को उतना नहीं स्वीकारते जितना कि उसका महत्व है । हम लोगों न भी जीवन के बहुत दिनों तक उसके पूरे महत्व को न समझने की भूल किया । लेकिन मान्यवर, जब 61/62 में उस जमाने के इस प्रदेश के वन मंत्री, माननीय अलगू राय शास्त्री हुआ करते थे, जिनसे हम लोगों का नजदीकी लगाव था और जिनसे हम लोगों ने राजनीति सीखी थी, उस समय से लेकर आज तक हमने वन विभाग की बारीकियों को जानने की कोशिश की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वन हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि अगर उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, उसके बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया तो आज जो भौतिक युग की समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, उसका समाधान करना बड़ा मुश्किल हो जायगा ।

आज हमारा प्रदेश बाढ़ और सूखे से कितना ग्रसित रहा है । बाढ़ में अतिवृष्टि और सूखे में अकारण अनावृष्टि के कारण प्रदेश में चारे की समस्या, दूध की समस्या, वन्य जन्तुओं की समस्या, कच्चे माल की समस्या और उसके कारण लघु उद्योग की समस्या मुंह बाए खड़ी है । प्रदेश से हरीतिमा गायब हो रही है । इसके लिए आवश्यक है कि वन लगाए जायं । यही विद्वानों का मत है । इस पर वैज्ञानिकों की दो राय नहीं है कि वायु प्रदूषण को रोकना है यदि बेरोजगारी जोकि भयानकरूप से ग्रामीण अंचलों में तथा पहाड़ी क्षेत्र में फैली है, उसको दूर करना है, जैसा कि हमारा प्रदेश एक वेलफयर स्टेट है, हमको सभी को नौकरी देने का सबसे पहला दायित्व है, तो अगर उसका निवहन करना है, तो हसको वृक्षारोपण करना होगा । मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 7% और मैदानी क्षत्रों म लगभग 20% वन लगाए जाने की राय वैज्ञानिकों ने दिया है । इस प्रदेश में जहां माननीय स्वर्गीय संजय गांधी जैसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वृक्षारोपण के लिए सब कुछ करने का निर्णय लिया था और संयोग से उसको मानने वाले लोग भी हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी माननीय संजय गांधी के दुख से दुखी हैं, हमारे वन मंत्री जी भी माननीय संजय गांधी के विचारों से कम ओत-प्रोत नहीं हैं और हमारे वन विभाग के कुछ अधिकारी चतुर्वेदी और तिवारी जैसे लोग हैं लेकिन फिर भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में 60 की जगह केवल 40 प्रतिशत वन हैं, मैदानी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत की जगह पर केवल 8 प्रतिशत है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मैदानी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करना है तो आपको वनों की ओर ध्यान देना होगा । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं नैसर्गिक छवि को उजाड़ा गया और हरीतिमा को खत्म किया गया तो एक वह दिन आयेगा जब उत्तर प्रदेश के

[श्री राज कुमार राय--]

मैदानी भाग के लोग अमेरिका की तरह, वहां के हिप्पियों की तरह नाचने और कूदने लगेंगे ।]

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, चीन आज वैज्ञानिक दृष्टि से, टेक्नालाजी की दृष्टि से दुनिया में अपना स्थान रखता है । वहां पर बाढ़ की विभीषिका सर्वाधिक थी, लेकिन 10 लाख वर्ग किलोमीटर में वन लगाकर, वृक्षारोपण करके बाढ़ पर नियत्रण कर लिया है, यह हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण है । मैं निवेदन करूंगा कि वृक्षारोपण के लिए वनों के लिए जितना भी बजट दिया जाय वह कम है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें ।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, केवल एक सुझाव और देना चाहता हूं यदि आपकी आज्ञा हो, मान्यवर, वन विभाग में नौकरियों को पक्का जल्दी से जल्दी किया जाय और यह सुनिश्चित करा लें कि जो पेड़ लग रहे हैं उनकी किस्म क्या है, एक दूसरे से दूरी क्या है, और उनकी रक्षा करने की व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें ।

श्री राम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में और विपक्षी दलों द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके प्रति विरोध व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । आप जानते हैं कि हमारे माननीय सदस्य जानते हैं कि वृक्षारोपण से ही भारत की आर्थिक दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है । माननीय वन मंत्री जी ने जो आवाहन किया है, जो दिशा दी है और इस वर्ष जितने नये वृक्ष लगाने थे उससे अधिक वृक्ष लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है और उसको कार्यरूप में परिणत किया गया है वन मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं । मैंने स्वयं मुज़फ्फरनगर में जाकर देखा है, यदि आपको देखने का अवसर मिले, मुजफ्फर नगर में शहर और दूसरे इलाकों में वहां पर इस दिशा में बहुत प्रयास किया गया है । कुछ वर्षों बाद जब यह वृक्ष बड़े हो जायेंगे और उन पर फल लगेंगे तो इन वृक्षों से बहुत से लाभ मिलेंगे । अभी माननीय नौटियाल साहब ने बहुत सी बातें कहीं, वह बहुत सीनियर मेम्बर इस हाउस के हैं । उन्होंने कहा कि इस बार जो भाभड़ घास और दूसरी चीजें नीलाम की गयीं हैं उसमें माननीय मंत्री जी को पालिसी गलत रही है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शाकम्बरी में जो वन है वहां चांदमारी की पीतल और तांबा इकट्ठा करने का जो ठेका दिया गया था उसमें एक लट का ठेका 17 हजार रुपयों में दिया गया और दूसरी लाट का ठेका 50 हजार रुपयों में दिया

गया था । लेकिन इस वर्ष वन मंत्री ने समझा और इस साल जो नीलामी हुयी उसमें एक लाट का ठेका 1 लाख 10 हजार में दिया गया और दूसरी लाट का ठेका 3 लाख 30 हजार में दिया गया ।

[2 बजकर 30 मिनट]

तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वन मंत्री की पालिसी से लगभग साढ़े तीन लाख रुपए के रेवेन्यू हमारे प्रदेश को अधिक प्राप्त हुई है । इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में कुछ टांगिया काश्तकार हैं जोकि जंगल में बसे हैं उस समय से, जबकि वहां वन लगाए जा रहे थे लेकिन आज उनके पास कोई धंधा नहीं है । इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि उनको, जो पथरी जंगल साफ किया जा रहा है उसमें जमीन आवंटित की जय । मान्यवर, इसी तरह पिरानकाजियर में जो मुसलमान भाई हैं उनकी यहां एक दरगाह है जिस पर मेला लगता ह हर साल और वहां 20-25 देशों से मुसलमान आते हैं, इसलिए उसको पर्यटक विभाग से पर्यटन केन्द्र बनाने की व्यवस्था मंत्री जी कराने की कृपा कर ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री विद्या सागर नौटियाल ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं । आप लोग बैठें । श्री नौटियाल का समय नष्ट न करें और उनको बोलने दें ।

श्री केदार नाथ सिंह--

चर्चा जो शुरू हुई है उसमें मुझे मौका नहीं मिला है । एक घंटे देर से चर्चा शुरू की गयी ह इसलिए इसमें चर्चा का समय बढ़ा दें ।

श्री धर्मपाल--

चर्चा देर से शुरू हुई है इसलिए समय बढ़ाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । आप लोग बैठ जायं । सदन का जो निर्णय ह उसको देखें । समय होगा तो मैं जरूर मौका देता ।

एक सदस्य--

समय इसमें कम दिया गया हैं । एक घंटे में कैसे बजट पास करेंगे ?

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री धर्म पाल—

कितने लोगों ने चर्चा में भाग लिया ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों की गिनती कर लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

समय के अन्दर ही आपको बोलना है ।

(व्यवधान)

वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । आप खड़े रहिए, नौटियाल साहब आप बोलें ।

श्री धर्म पाल—

[* * *]

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

दूसरा बजट शुरू करिए मान्यवर, समय हो रहा है ।

*श्री श्याम नारायण तिवारी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें अगर आप दो-दो मिनट का वक्त दे दें तो 5-7 लोग और बोल लेंगे । टोका-टोकी जो हो रही है और समय बरबाद हो रहा है वह खत्म हो जायगी । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार कर सदन का समय इस अनुदान पर चर्चा के लिए बढ़ा दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जैसा आप कहते हैं अगर उसी पर अपना निर्णय रखें सब तो सही है । किसी को बोलन का समय पांच मिनट से कम नहीं रहेगा ।

(श्री यदुनाथ के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

श्री नौटियाल आप बोलें . . . ।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

मान्यवर, आपने व्यवस्था नहीं दी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, बोलने की हाय, हाय लोगों ने मचाई है तो सबसे पहले कांग्रेस (आई) के लोगों को मौका दीजिए . . ।

[***]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री धर्म पाल—

दो बोल चुके हैं.... ।

(श्री यदुनाथ और श्री धर्मपाल एक साथ बोलने लगे)

श्री धर्म पाल—

[* * *]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें । कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । कृपया आप बैठ जायं । आप जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायगा । विद्यासागर जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े तथा बोलने पर)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह क्या हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठ जायं । (व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री यदुनाथ—

[* * *]

श्री अधिष्ठाता—

[* * *]

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

[* * *]

श्री यदुनाथ सिंह—

[* * *]

श्री अधिष्ठाता—

यह सब कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । आप बैठ जायं ।

श्री यदुनाथ—

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजिये । आपको बोलने की इजाजत नहीं दी गयी ।

श्री यदुनाथ—

[* * *]

नोट—[. .] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

बिना इजाजत बोलने की परम्परा बुरी है । आप बैठिये ।

श्री यदुनाथ--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विधायक बिना इजाजत बोल रहे हैं ।

श्री यदुनाथ--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह है कि वह अपने सदस्यों को संयमित करें ।

श्री यदुनाथ--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

पहले बैठिये फिर विचार किया जायगा । बिना आज्ञा के सदन में नहीं बोला जा सकता । आज्ञा आपको आपके बैठने पर ही मिलेगी ।
(मा0 सदस्य के बैठ जाने पर) आप ने निवेदन किया एक मिनट के लिये तो मैंने आपको एक मिनट का समय दिया ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, मैं वन मंत्री विद्या भूषण जी से कहना चाहता हूं कि वह बड़े निकम्मे हैं । उनको शिक्षा मंत्री होना चाहिये था जैसा कि उनका नाम है विद्या भूषण । 46 जिले बाढ़ पीड़ित हैं । उन लोगों के भैंसों और गायों को कलेक्टर के लिखने के बाद आपके विभाग के रेन्जर और फारेस्टर ने बन्द कर दिया और उनको कांजी हाउस में भेजकर 25-25 रुपया वसूल किया है । सन् 47 के पहले अंग्रेजों का यहाँ पर राज्य था । ऐसा उनके जमाने में भी नहीं हुआ । विद्याभूषण अंग्रेजों के राज्य का अनुमोदन कर रहे हैं । अगर अंग्रेजों के कन्वेशन पर ये अपने सारे बजट को खर्च कर दें तो इस से शर्म की बात क्या हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका एक मिनट का समय समाप्त हुआ । आप बैठें ।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, दो मिनट मुझे भी बोलने का समय दे ।

नोट [***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

तिवारी जी, आप बैठ जायं । अब समय नहीं है । एक मिनट भी नहीं ।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, आपने बोलने की अनुमति नहीं दी इसलिये आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुये मैं उसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री श्याम नारायन तिवारी सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, जब मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा था तो मैं यह समझता था कि मुझे लगभग आधा घन्टे का समय बोलने के लिये मिलेगा किन्तु अधिष्ठाता महोदय ने दो मिनट में ही मेरी बात को समाप्त कर दिया । मान्यवर, वन जो हमारे प्रदेश की जनता के लिये एक जीवन स्वरूप है अगर उनको हम सरसरी तौर पर इस माननीय सदन के अन्दर बलाये ताक पर रख देंगे तो यह प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतिकूल होगा । मान्यवर, मैंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और केवल 4 सदस्यों से बुलवाया दोनों पक्षों से और आपने मुझे उत्तर देने का आदेश दिया और इतना समय यहां पर केवल टोका-टोकी में खर्च कर दिया और इतने समय में तो 5-10 माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते थे....।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा कह कर आप अपनी बात भी जाया कर रहे हैं । आप अपनी बात कहें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

इस पर थोड़ा समय और बढ़ाकर चर्चा हो जाती ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस मद के लिये जो कार्य मंत्रणा समिति ने जो निर्णय लिया है उसका उल्लंघन करना मैं उचित नहीं समझता ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं दुखी हूं क्योंकि इस विषय पर बहुत कम सदस्य बोल पाये हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुछ विशेष चीजें कहना भूल गया था उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में सिविल और स्त्रायल का और वन विकास निगम बनाया गया है और साथ ही एक भूमि संरक्षण विभाग बनाया गया है । मान्यवर, उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत 5-5 डी0 एफ0 ओ0 50 मील के अन्तर्गत घुमते हैं और 40 किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर घुत्तो से लेकर गंगी तक और गंगी से लेकर खर्तालिंग तक एक फारेस्टर कार्य करता है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने सिविल और सोयल का डिवीजन अलग खोल दिया है, भूमि संरक्षण

[श्री विद्या सागर नौटियाल--]

को अलग खोल दिया है, वन विकास निगम को अलग खोल दिया है और रेगुलर डिवीजन अलग है ही । इसलिये आप डिवीजन को छोटा कर दें, रेंज भी छोटा कर दें और बीट भी छोटा कर दें, मेरे पास कई जिलों से लिख कर आया है कि हजारों एकड़ जमीन, जो जमींदारी विनाश से वापस मिली, उस पर वन विभाग ने कब्जा कर लिया और उस पर पेड़ नहीं लगाये लेकिन जब काश्तकार मांगता है, भूमिहीन मांगता है तो उसे वह जमीन नहीं दी जाती है । हम निवेदन करना चाहते हैं कि वन विभाग अपने वनों की परिभाषा को बदले । इनकी परिभाषा है कि "आल लैण्ड दैट इज नाट कल्टिवेटेड वक फारेस्ट" इसके बदले होना चाहिये "वह जमीन जिस पर वृक्ष खड़े हैं वह फारेस्ट है" यह कहते हैं जहां हल नहीं लगता है वह वन है चाहे उस पर कुछ भी न लगा हो । मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर अवश्य विचार करें । मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूं--

हाले दिलों पर बैठकर पाले सुरागे जिंदगी,

तू अगर मेरा नहीं बनता है तो न बन अपना तो बन ।

हरे भरे बनों का कटान हो रहा है और हमारे वन मंत्री जी को इसका पता नहीं और वह कहते हैं कि वृक्षारोपण हो रहा है । वृक्षारोपण हो रहा है आइ० टी० आर० के लिए टाटा, बिड़ला और डालमियां के लिए । कुछ वर्ष पहले इसी सदन के बाहर कैकटस लगा था वह आज पूरे प्रदेश के अन्दर फैल रहा है । यह तब फैलता है मान्यवर, जब जमीन की उर्वरा शक्ति, पेड़ पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाय । आज पूरे पहाड़ों में कैकटस पैदा हो रहा है उसकी शक्ति क्षीण हो गयी है । आपने देखा होगा बड़े-बड़े पूंजीपतियों के घरों में उनके ड्राइंग रूम में कैकटस लगा हुआ है । उसमें अगर पानी डाला जाय तो वह मर जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

आज देश की जनता इन पूंजीपतियों के कारण मर रही है । पूरे प्रदेश की हरियाली को समाप्त करके यह कैकटस को फैला रहे हैं और इस देश की जनता की तबाही हो रही है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं वन मंत्री जी से कि वह इस समय बजट को वापस ले लें और संशोधन करने के बाद उसको दुबारा प्रस्तुत करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ । अब आप बैठें ।

श्री विद्या भूषण (वन मंत्री)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये उनके बारे में मैं पूर्णरूप से सजग हूं उन पर विचार किया जायेगा और माननीय सदस्यों से मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सुझाव देते रहेंगे और यह अनुदान पास किया जाय ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक महीने 8 दिन के अन्दर जो तीन जी० ओ० निकले हैं जिनके कारण पहाड़ी अंचलों में हा हा-कार मचा है, क्या आप उसको वापस लेने का आश्वासन देंगे ?

श्री विद्या भूषण--

यह कोई प्रश्नोत्तर काल तो नहीं है । आप लिख करके दे दीजिये ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जी० ओ० आपका है मैं क्या लिखकर दूं । तीन जी० ओ० एक ही महीने में निकाले हैं तो क्या आखिरी वाले जी० ओ० को वापस लेन के लिए तैयार हैं जिस पर आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपको सूचना नहीं है तो सूचना के लिए समय ले लीजिये ।

श्री विद्या भूषण--

इसकी सूचना लेकर आपको दे दूंगा ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जिस विभाग के वह मंत्री हैं उनको पता नहीं है उनके विभाग को अन्य लोग चला रहे हैं, तो यह हैरानी की बात है प्रदेश के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--वन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62--वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,96,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 101--वन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 101—वन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 116—वन विभाग—ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 116—वन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—74—पर्यटन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 126—पर्यटन विभाग ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 126—पर्यटन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 84--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 26--गृह विभाग--(कारागार) तथा अनुदान संख्या 81-गृह (कारागार) विभाग-पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष--

अब हरिजन और समाज कल्याण विभाग के अनुदानों पर विचार होगा इसके लिए केवल एक घंटा समय है ।

श्री मुन्शी लाल--

यह बहुत कम है, सदन का समय बढ़ाया जाय ।

*(समाज कल्याण मंत्री) श्री छेदालाल चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिरिक्त 17,23,48,000 रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,53,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--गृह (कारागार) विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आज जो मैंने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मांगें इस सदन में प्रस्तुत की हैं मुझे आशा है कि इन पर विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष में बैठने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री छेदा लाल चौधरी—]

वे ले म ननीय सदस्यों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो यह न कहता हो कि जो लोग सदियों से उपेक्षित रहे हैं, तिरस्कृत रहे हैं, जिनका न्यायिक रूप से, धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से शोषण हुआ, उनका उत्थान न हो । आज भी शासन की कोशिश के बावजूद और तम म योजनाओं को लागू हो ज ने के ब द उन्हें राजनैतिक समानता नहीं मिली है । आज भी वे समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष नहीं हैं और न अपने-अपने पैरों पर खड़े हैं । केन्द्रीय सरकार, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार श्री विश्वन थ प्रत प सिंह, मुख्य मंत्री के नेतृत्व में चाहती है कि हम इन दबे हुए लोगों को सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए और गरीबी की रेखा से जो नीचे फंसे हुए लोग हैं, उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत लोगों को इस छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते गरीबी की रेखा के ऊपर उठा लिए जायेंगे ।

इसलिए समाज कल्य ण विभाग आज उनके लिए शैक्षिक रूप से और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से उनके उत्थान के लिए प्रयत्नशील है । हमारे देश के अन्दर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियां हैं जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और औद्योगिक रूप से पिछड़ी हुयी हैं, उनके लिए शासन ने शिक्षा की उन्नति के लिए आज शिक्षा की मद में पूर्व दशक कक्षाओं में जिनके अभिभावकों की 500 रुपये माहवार की आय है, उनको निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जाती है और जो क्षतिग्रस्त विद्यालयों में हैं, उनको जोर शिक्षा में क्षति होती है, उसको पूरा किया जाय इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है । इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 4-5 में छात्रवृत्ति दी है और दशककक्षाओं के ऊपर हमारा शासन इस समय उनको निःशुल्क शिक्षा और सब को छात्रवृत्ति देने का प्रबन्ध कर रहा है । इस व्यवस्था के तहत में उनके बच्चों को प्राविधिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है ।

मेडिकल कालेज में दाखिले या पी० सी० एस० की परीक्षाओं में कम्पीट करने के लिए कोचिंग सेन्टर्स भी उनके लिए खुले हुए हैं ताकि वे वहां पर ट्रेनिंग ले सकें और कामयाब हो सकें। प्राविधिक शिक्षा के लिये नैनीताल, गोरखपुर, लखनऊ में बख्शी का तालाब आदि जगहों पर टेक्नीकल स्कूल खोले गय हैं । एक जी० बी० पंत टेक्नीकल कालेज भी है । इन सभी के द्वारा उनको टेक्नीकल शिक्षा देकर उनका स्तर ऊंचा किया जा रहा है ।

आश्रम पद्धति के भी विद्यालय खोले गये हैं जहां पर विमुक्त जातियों के बच्चों को रहने, खानेपीने, वस्त्र व शिक्षा आदि की मुफ्त व्यवस्था की जाती है । इन लोगों की शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिये, शासन ने यह भी निश्चय किया है कि प्रत्येक जिले में उनके लिये एक छात्रावास का निर्माण किया जाये ताकि इन गरीब हरिजन जाति के बच्चों को रहने आदि की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके ।

इन लोगों का शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाने के अलावा इनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का सरकार द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है । अपने उद्योग लगाने के लिये इनको कर्ज भी दिया जाता है । और भी सहायता दी जाती है । इन सब कार्यों के लिये भारत सरकार से भी हमको सहायता मिलती है और हमारी सरकार भी खर्च करती है ।

हमारे कारागारों के भवनों की हालत बहुत ही खराब है । वे काफी पुराने हैं । वहां पेय जल की भी बड़ी दिक्कत है । बिजली की भी व्यवस्था नहीं है । इस सब को ठीक करने की ओर भी हमारी सरकार ध्यान दे रही है । खराब भवनों को ठीक कराने या उनकी जगह नयी इमारत बनाने की भी कोशिश की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय बहुत कम है, आप कृपया समाप्त करें ।

श्री छवा लाल चौधरी--

बस एक बात और कह कर समाप्त कर रहा हूं । संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत आजीवन सजा पाये हुये कैदियों को कुछ निर्धारित अवधि के बाद छोड़ने अथवा सजा में छूट दिय जाने का अधिकार है । जो 302 व 396 दफाओं के अन्तर्गत सजा पाये हुये कैदी होते थे उनको पहले यूं ही प्रोबेशन पर छोड़ दिया जता था । शासन इस सम्बन्ध में अब नियमों आदि का कड़ाई से पालन करेगा । इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं यह सदन इन अनुदानों को स्वीकार करेगा ।

(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल--

श्रीमन्, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने अपने विभाग की जो अनुदानें पेश की हैं, मैं अनुदान संख्या 46 और अनुदान संख्या 84, दोनों अनुदानों में सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि मांग को घटा कर एक रुपया कर देने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले अलग-अलग कटौती का प्रस्ताव पढ़िये उसके बाद बोलिएगा ।

श्री कन्हैया लाल--

जेल के अन्तर्गत अनुदान संख्या 26, 81, 46, 84 चार अनुदानों की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय । समय की कमी की बजह से एक साथ बोल रहा हूं । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं, माननीय मंत्री जी द्वारा जो रुपया मांगा है, जो स्वीकृति ले रहे हैं, विधान सभा की अगर वह स्वीकृति दे दें सब रुपया बरबाद हो जायगी । ऐसा मेरा अनुभव है । क्योंकि यहां बैठ कर जो मंत्री जी ने नारा लगाया हरिजन उत्थान का वह हरिजन उत्थान इनके द्वारा हो नहीं सकता । मुझे बड़ा अफसोस है । बेचारे 20 साल तक एम0 एल0 ए0 होते चले आ रहे हैं । बुढ़ापे में आकर उनके ऊपरकिसी प्रकार से कृपा हुई, मंत्री पद मिला । (व्यवधान) वह भी ऐसा विभाग दे दिया, जिसमें समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

जरा जवानी का जलवा देख लीजिये, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मेरे शेरे से निपटिए। यह मंत्री नहीं है शेरा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री और माननीय कटौती के प्रस्तावक दोनों एक ही उम्र के हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अभी जवानी का जलवा देख लीजिये माननीय मंत्री जवान हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपका तजुरबा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

तजुरबा नहीं । देखने से लगता है । सुन नहीं पाया था नहीं तो तत्काल उत्तर देता ।

श्री कन्हैया लाल--

उन्होंने जो मांगे रखी है, कुछ वजीफे काटेंगे, कुछ फीस माफ करेंगे, कुछ थोड़े से औद्योगिक अनुदान दे देंगे । बाकी जितना रुपया है वह अफसरों के टी० ए० डी० ए० और किराया भाड़ा में खर्च होगा । इससे हरिजनों की स्थिति सुधर जाय ऐसी लेशमात्र आशा नहीं है । हरिजनों की स्थिति सुधारने के लिए मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते । अगर कुछ हो सकता है, माननीय मुख्य मंत्री जो यहां बैठे होते, वह उस अनुदान को पेश करते, वह भाषण देते तब कुछ हो सकता था क्योंकि इसमें नीतियों का प्रश्न है । केवल पैसा देने से, भिक्षा डालने से वजीफा देने से, हरिजनों की स्थिति नहीं सुधरेगी । सरकारी नीति ऐसी है, अगर उसको कार्यान्वित किया जाय और ठीक नीति बनायी जाय तो हरिजनों की स्थिति सुधर सकती है । मान्यवर, 33 साल हो गये, बजट प्रस्तुत करते रहे, और हरिजनोत्थान का नारा लगाते रहे और आज तक हरिजन जिस परिस्थिति में हैं उससे शायद एक परसेन्ट बढ़े होंगे केवल ।

माननीय मंत्री 20-25 साल तक एम० एल० ए० रहे । क्या वह दावा कर सकते हैं इस काल में पूरे उत्तर प्रदेश में हरिजनों के लिए देहात में पीने के पानी समस्या हल हो गयी है । जो सरकार हरिजनोत्थान का नारा लगावे, वह सरकार हरिजनों के लिए 33 साल में पानी की व्यवस्था नहीं कर पायी । इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी ? आज भी देहात में हरिजन लोग बरतन लेकर कुंए के नीचे खड़े रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि पानी डाल दो । जब ऊपर आ कर कोई सवर्ण जाति का आदमी कुंए पर पानी खींचता है और पानी डालता है, तब वह पानी को लेकर अपने घर जाते हैं । इससे बढ़कर शर्म की बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है । इसका जवाब मंत्री जी देंगे ? कितने गांवों में अभी तक पानी नहीं हो पाया है ? वजीफा दिया जाता है स्कूलों में लेकिन जो प्रिंसिपल हैं, जो आफिस है, उनके ऊपर इस विभाग का कोई कंट्रोल नहीं है । वह आज भी ऐसा करते हैं, वजीफे का पैसा निकाल लेते है, लड़कों को नहीं दिया जाता है । मैं अपने जिले का बता सकता हूं । मंत्री जी चाहें तो जांच करा लें । मैनेजमेन्ट के लोग वजीफे के पैसों को वर्षों से खाये चाले जा रहे हैं, वजीफा लड़कों को नहीं मिल

रहा है । 62 में एक नारा लगा था कि देहाती क्षेत्र में हरिजनों के लिए होस्टल बनेंगे और 10-10 हजार रुपये इसके लिये दिये गये थे । मुझे दुःख है कि आज भी सरकार हरिजनों के लिए छात्रावास बनवाने के लिए अलग व्यवस्था कर रही है । इसके ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती ?

क्या सम्मिलित होस्टल नहीं हो सकते हैं ? मेरे मथुरा में गवर्नमेन्ट हाई स्कूल में एक होस्टल था, उसमें हम लोगों ने प्रयत्न करके कुछ हरिजन छात्रों को दाखिल कराया । नतीजा यह हुआ कि अगली साल वह पूरा का पूरा छात्रावास भी, वह हरिजन छात्रावास में परिणत हो गया । तो जहां तक समाज की ऐसी दशा है और सरकार यह नारा दे कि हम हरिजनों का कल्याण कर रहे हैं, यह असत्य ही तो होगा । देहात में जो होस्टल बने थे वहां पर जब हरिजन कल्याण अधिकारी देखने गये, तो स्कूल की क्लासें चल रही थीं । आज जितनी बिल्डिंगें बनी थीं, सब स्कूलों में मिला दी गयीं । रुपया हरिजनों के नाम से लिया गया और सब स्कूलों में लग रहा है । आप भूमि सुधार का बहुत नारा लगाते हैं । भूमि सुधार में बहुत भूमि दी गयी, हरिजनों को लेकिन उसमें हुआ क्या, उसमें हरिजनों को जो भूमि दी गयी, हरिजन तो मर गया ।

हदबन्दी से निकल कर जो भूमि आई थी, वह बुरी से बुरी भूमि हरिजन बेचारे को दी गयी । उसने उसको डैवलप किया । अपनी औरत का जेवर बेच कर भूमि ठीक कराया, लोन लिया ट्यूबवेल लगाया और इधर जमींदार साहब ने उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमें में जमींदार साहब जीत भी गये । उसने जो ट्यूबवेल लगाया था, वह चला गया कर्जा जो उसका था, उसके ऊपर पड़ गया । कर्जे से भी लद गया और उसके ऊपर डिग्री अलग से हो गयी । इस प्रकार हर जिले में सैकड़ों मिसालें हैं । मेरा अनुरोध माननीय मंत्री जी से है कि हरिजनों के ऊपर जितना बकाया पैसा है, उसको माफ कर दिया जाय । श्रीमन, हरिजन वित्त निगम बना है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तो मान्यवर कह रहे हैं कि ये हरिजनों की दशा को गिरा रहे हैं ।

दो साल पहले मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसमें 50 हजार रु0 तक था, जो हरिजन उद्योग लगाना चाहता था उसको 4 प्रतिशत की छूट मिलती थी और 4 परसेन्ट से ऊपर कम्पेन्सेशन मिलता था, तो इस तरह साढ़े 12 प्रतिशत छूट मिल जाती थी और अब 50 हजार रु0 से हटाकर 6 हजार रु0 कर दिया गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या कोई भी आदमी 6 हजार रु0 में अपना उद्योग स्थापित कर सकता है या केवल आपकी दिवालिया या भिखारी बनाने की नीति है और हरिजनों को उठाने की नीति नहीं है । और दूसरी ओर आप हरिजनों के बच्चों के स्कूल में दाखिले में रिजर्वेशन की बात करते हैं । हमारे बच्चे भी मथुरा वेटेरीनरी कालेज में दाखिल नहीं हो रहे हैं । मैं बराबर 10 सालों से देख रहा हूं कि किसी भी हरिजन बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है । वेटेरीनरी कालेज, मथुरा में नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कन्हैया लाल जी अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है । अगर आप और बोलना चाहेंगे तो दूसरे का हक मारा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल--

मान्यवर, जैसा कि पहले 50 हजार रुपया उद्योग के लिए निर्धारित था हरिजनों के लिए, वही स्कीम पुनः लागू करने की व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप विराजें ।

श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, जो हमारे माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री और माननीय जेल मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किये हैं, उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव जो विरोध की तरफ से आया है, उनका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं सर्वप्रथम आप लोगों के सामने आपके माध्यम से बता दूं कि जो हरिजनों के उत्थान, सुविधायें, हरिजनों के कल्याण और इनकी उच्च शिक्षा की बातें बहुत वर्षों से चली आ रही हैं और आज भी हमारी इससे पूर्व में जो सरकार थी, केन्द्र सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें हरिजनों के उत्थान के लिये बनायी गयी थीं । 10 वर्षों के लिए रिजर्वेशन, अनुदान तथा वजीफे आदि सरकार ने किये थे, लेकिन कुछ दिन पहले जो सरकार आयी थी, उसने सब समाप्त करने की योजना बनायी । जनवरी 26, 1980 तक के लिए सारे रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए किसान पुत्र और किसानों के रहनुमा चौधरी चरण सिंह ने योजना बना रखी थी । अगर वह 26 जनवरी, 1980 तक प्रधान मंत्री बने रहते तो यह सारे अनुदान, रिजर्वेशन और सुविधायें समाप्त कर दी जातीं ।

(व्यवधान)

जो वित्त विकास निगम जो अछूतों के विकास और उत्थान के लिए हरिजनों के काम की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया, वह सब हमारी ही सरकार की देन है । जब कांग्रेस सरकार का शासन, श्री बहुगुणा जी के हाथ में था, जो अब विरोध में चले गये तब यह वित्त विकास निगम बनाया गया था । तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब यह बहुत थोड़े से पैसों से बनाया गया था उस वक्त हमारे हरिजन भाइयों को 50 हजार रुपया मिलता था, जिसमें से साढ़े 12 हजार रुपये मार्जिन मनी मिलती थी, जिस पर 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता था । उसको घटाकर 6 हजार और फिर 3 हजार रुपया कर दिया गया मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे हरिजन का उत्थान होगा । मैं आपके माध्यम से विरोध पक्ष से पूछना चाहता हूं और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं । 6 हजार रुपया लेकर हमारे हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकता है । हमारे बगल में मेहतर भाई हैं, धानुक हैं जो सुअर पालते हैं । प्यारे लाल धानुक का सुअर 4 हजार 2 सौ रुपये में बिका । 6 हजार में एक या डेढ़ सुअर मिलेगा । इससे हरिजनों का कल्याण होगा । भैंस पालने से बकरी पालने से 6 हजार या 3 हजार रुपया देने से हरिजनों का उत्थान नहीं होगा । केन्द्र सरकार

ने 30 करोड़ रुपया हरिजन विकास वित्त निगम को दिया है । मेरा सुझाव है कि इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया जाय और मार्जिन मनी 25 हजार रुपया कर दी जाय और 4 प्रतिशत व्याज पर दिया जाय । ताकि हरिजन ठेला खरीद कर छोटी मोटर गाड़ी खरीद अपने उद्योग धन्धे चला सकें और पूंजीपति बन सके । सुअर, बकरी और भैंस पालने से हरिजनों का कल्याण नहीं होगा । मान्यवर, हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती थी । उसकी धनराशि बढ़ाकर दुगनी कर दी जाय । जिन गांवों में हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुये हैं उनको अपनी रक्षा के लिये असलहे दिये जायं । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री ए० सी० प्राइस--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया । मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा ज्यादा नहीं । मैं मांगों के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये । मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता कि कानपुर में मैं एक हरिजन स्कूल चला रहा हूं हमारे यहां 4 सौ बच्चे हैं, 3 सौ हरिजन बच्चे हैं हमको उसकी ग्रान्ट नहीं मिल रही है । हमें यह पता है कि जहां पर स्कूल हैं ही नहीं वहां पर ज्यादातर ग्रान्ट दी जा रही है उनको बड़ी बड़ी ग्रान्ट मिल रही है । वह पता लगवा लें वाकई कौन से स्कूल चल रहे हैं कौन नहीं चल रहे हैं कौन हरिजन स्कूल हैं कानपुर और पूरे जिले में बता सकता हूं कि दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि एडल्ट एजूकेशन में बहुत रुपया है उसको हरिजन एजूकेशन में दे दिया जाय । एडल्ट एजूकेशन का बहुत रुपया जा रहा है । हमारे बहुत बड़े-बड़े हरिजन पढ़े लिखे नहीं है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस काम में जितने भी क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूशन हैं वह आपकी पूरी-पूरी मदद करेंगे । मैं आपका आभारी हूं ।

[3 बजकर 30 मिनट]

श्री रामस्वरूप निम--

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 25% जनसंख्या के लिए आज सिर्फ एक घन्टा इस सदन को दिया जा रहा है, उसके मसले को हल करने के लिए । इससे ज्यादा और इस जाति और समाज का क्या शोषण हो सकता है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि वह इस बजट को इसी तरह से पासकराना चाहते थे तो उनका दल तो बहुमत में है ही, पहले ही रख कर पास करा लेते, बाद-विवाद का कोई औचित्य नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष--

निम साहब, कार्य मंत्रणा समिति जब भी अपना कार्यक्रम निश्चित करती है, नेता विरोधी दल की राय से करती है । इसलिए जो राय होती है उससे विरोधी दल को पृथक् नहीं कर सकते ।

श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, वह सही है लेकिन मैं फिर भी इस चीज से बड़ा असन्तुष्ट हूं कि इस विशेष बजट के लिए इतना कम समय दिया जा रहा है । मैं आपके

[श्री रामस्वरूप निम--]

माध्यम से मंत्री जी को आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि जो बजट सदन से पास हो जाता है उसके बाद वित्त विभाग यह देखता है कि बजट उन्हें दिया जाना चाहिए या नहीं । शासन द्वारा जो बजट पास कर दिया जाता है फिर वित्त मंत्रालय को अपनी अनुमति देने की क्या आवश्यकता रह जाती है ? इसकी वजह से जो बजट हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एलाट किया जाता है वह उनको न लेकर लैप्स हो जाता है ।

मान्यवर, 1975 में 37 लाख रुपया एलाट किया गया और 37 लाख शेष रह गया, कोई खर्चा नहीं किया गया । 1976-79 में 115 लाख रुपये दिये गये और खर्च नहीं किया गया । इसी तरह से 1979-80 में 180 लाख रुपया दिया गया और ज्यों का त्यों रहा । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट का इस सदन से पास कराने का औचित्य क्या रह जाता है ? आप अभी जनरल बजट के अन्दर हरिजनों के कल्याण के लिए वित्त निगम द्वारा एक अधिकारी की नई पोस्ट क्रियेट की गयी थी, जिले स्तर पर, वह कुनबा परस्ती, भाई-भतीजावाद के आधार पर हरिजन विभाग द्वारा अपने अधिकारी न देकर, बी० डी० ओ० में से, रुहकारिता में से, जो सबसे ज्यादा करप्ट, भ्रष्ट लोग हैं, बुलाया गया है । क्या इसी तरह से इस जाति का, समाज भला होगा । अगर मंत्री जी के पास विभागीय अधिकारी नहीं थे तो उन्हें चाहिए थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से अच्छे लोगों का रिक्रूटमेन्ट कराते । इमानदार लोग आते तो शायद उनसे कुछ अपेक्षा की जा सकती थी, कुछ भला होता लेकिन यह तो केवल लूट-घसोट के लिये सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि जिससे डर है कि इससे समाज का भला तो हो हो नहीं सकता । इस तरह से तो इस देश और प्रदेश का रुपया बेकार जायेगा और लूटने वाली ब्यूरोक्रेसी खाती रहेगी । इसी तरह से पता चला है कि वित्त निगम के डायरेक्टर मैजर, जो इस विभाग के सचिव भी हैं, जब वह ऐज ए सचिव दौरे पर जाते हैं तो 30 रुपया भत्ता मिलता है और जब ऐज ऐ डायरेक्टर मैजर की हैसियत से दौरे पर जाते हैं तो 200 रुपया भत्ता मिलता है । तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी स्कीम ब्योरोक्रेसी के लिये तैयार की गयी है । हरिजनों का इससे कुछ भला नहीं होगा । न हुआ है और न होने की उम्मीद है । इसलिये, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि यह इन सारी चीजों के ऊपर सोचें । जब तक इमानदारी से, अच्छी नियत से, समाज के इस निर्बल और पिछड़े लोगों की भलाई का कार्यक्रम तैयार नहीं किया जायेगा, तब तक इनका भला नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, एक और नयी स्कीम चली है जिसका नाम है इन्टीग्रेटेड प्लान । उसमें है कि 25% हर विभाग का पैसा हरिजनों के कल्याण के लिये खर्च किया जायेगा । मैं माननीय मंत्रीजी से पूंछना चाहता हूं कि उस पैसे को खर्च करने का क्या तौर तरीका होगा ? क्या ऐसे हरिजनों और समाज के लोगों का कोई सर्वेक्षण करा लिया गया है ? क्या उनकी कोई लिस्ट तैयार कर ली गयी है जिनके लिये कि यह प्लान बनाया गया है ?

*श्रीमती वेनी बाई--

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । सर्व प्रथम में माननीय मंत्राजी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करती हूं । मान्यवर, बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जितने पट्टे भूमिहीन हरिजनों को दिये गये थे, इन तीन सालों में जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने उन पट्टों को छीना, बहुत से लोगों पर 198 के मुकदमें चलाए । मुकदमें हरवाये और जो कुछ बचे थे, वे कमिश्नरी में मुकदमें चल रहे हैं । मैं चाहूंगी कि ऐसे जो हरिजन हैं, जिनकी भूमि छीनी गयी है, जिन पर 198 के अंतर्गत मुकदमें हैं, उनकी जमीन वापस की जाय और जितने मुकदमें चल रहे हैं, उनको वापसलिया जाय, यह मेरा निवेदन है ।

इसी तरह से, मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह से हरिजन बस्तियां बसायी गयी हैं, गांवों में उनकी स्थिति यह है कि उनमें एक या दो हजार खर्च किया गया है जिससे वे हरिजन बस्तियां 1/2 साल में गिर कर समाप्त हो गयी हैं । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम एक फैमिली के लिये जिसमें 4 आदमी हों, दो क्वार्टर होने चाहिये और कम से कम उसमें 10,000 रुपये की लागत से वह होना चाहिये कि जिसे वह 10/20 साल तो चल सके । इस तरह से करेंगे तो महीने दो महीने में समाप्त हो जायेगा । इसलिये निवेदन है कि जो हरिजन बस्तियां बनायी जांय, वे गांव के पास बनायी जायं, उनके लिये पीने को पानी की व्यवस्था हो, नल और बिजली की व्यवस्था हो । इस तरह से मजबूत बस्तियां बनायी जायेंगी, तो इससे हरिजनों का भला हो सकता है ।

दूसरी बात, मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं । कक्षा 6 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है । उन्हें ऐसे बच्चे छांटे जाते हैं, जो इंटेलीजेंट होते हैं । मेरा निवेदन है कि कक्षा 6 से 10 तक के हर बच्चे को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये । जिन बच्चों को नहीं दी जाती है, वे बच्चे गरीब होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं । इसलिये अनिवार्यरूप से कक्षा 6 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये । इसके साथ-साथ जो हरिजन छात्र फेल हो जाते हैं, उनकी छात्रवृत्ति खत्म हो जानी है और फीस लगने लगती है तो मेरा कहना है कि बच्चे फेल हो जाते हैं तो भले ही छात्रवृत्ति न दें, लेकिन उनकी फीस माफ रहनी चाहिये । जिससे कि उस गरीब के बच्चे बैठ न सकें और उनकी पढ़ाई चलती रहे । इसके साथ-साथ जो साढ़े 7 सौ वेतन पाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है उसको बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया जाय क्योंकि इस मंहगाई में साढ़े 7 सौ को कोई वैल्यू नहीं है । मान्यवर, इसके साथ साथ जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, जो टोकरियां बनाते हैं, उनके लिये जंगलों से सस्ती दर पर लकड़ी और बांस देने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है के उसका समर्थन करती हूं और कटौती का प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह समय की बिडम्बना है कि राजे महाराजे राज-कुमार, जमींदार आज यह लोग हरिजन कल्याण की बात करने का दंभ किये हुये हैं । यह समय की विडंबना है । मान्यवर, अगर हमसे पूछा जाय कि कांग्रेस की हरिजन संबंधी नीति क्या है तो मान्यवर, मुझे बरबस कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की हरिजन संबंधी नीति ठीक वही है जैसी कि जंगली हाथी को पकड़ने के लिये पालतू हाथी रखना ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कांग्रेस की हरिजन नीति वह है जिसके चलते आप सदन में मौजूद हैं। यह कांग्रेस की नीति है।

श्री मोती लाल देहलवी—

हम अगर यहां सदन में मौजूद हैं रिजर्वेशन से तो यह आपकी कांग्रेस की कोई मेहरबानी नहीं है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

यह कांग्रेस की मेहरबानी है जो आप टिलो टिलो कर रहे हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह व्यवधान पैदा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बाजपेयी जी, इस तरह से सदन कैसे चलेगा ?

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय काशीनाथ जी, आपके दिमाग की सफाई करनी है। पिछली बातें डाक्टर लोहिया की आप भूल गये हैं मैं फिर याद दिला रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कांग्रेस के चलते कांस्टीट्यूंट असेंबलीज में रिजर्वेशन हुआ और उसी रिजर्वेशन के चलते माननीय देहलवी जैसे लोग सदन में मौजूद हैं। यह कांग्रेस की देन है।

श्री मोती लाल देहलवी—

आपके दिमाग और बुद्धि पर परदा पड़ गया है तो मैं तरस खाता हूं। आज अगर रिजर्वेशन है तो सिर्फ इसलिये है कि हरिजनों का शोषण होता आया है, उस शोषण व जुल्म के खिलाफ जो हरिजनों में जागृति हुयी और उस जागृति से जो ताकत पैदा हुयी उसकी वजह से रिजर्वेशन हो रहा है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय देहलवी जी दल संघर्ष की बात कर रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, अगर मुझसे पूछा जाय कि कांग्रेस की हरिजन संबंधी नीति क्या है ? तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि एक जानवर होता है उसको एक टुकड़ा दिखा दीजिये वह दुम हिलाते बने रहेंगे। ठीक इसी तरीके से 33 सालों से कांग्रेस की हरिजनों संबंधी नीति रही है कि टुकड़े फेंको दुम हिलवाओ, स्वामी बने रहो। आप कहेंगे कि विकल्प क्या है, दर असल सही मानों में हरिजनों का कल्याण उस दिन होगा जब देहात में जो अपने हाथ से हल चलाने वाले लोग हैं, मिलों और कारखानों में काम करने वाले जो हरिजन मजदूर हैं,

उनको जमीन पर, मिलों और कारखानों की मिल्कियत में तथा प्रबन्ध में साझेदारी होगी उसी दिन सही मानों हरिजनों और मजदूरों का कल्याण होगा ।

मान्यवर, अब मैं जेल विभाग पर बोलना चाहता हूं इसलिये थोड़ा समय दे दें । मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जेल विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये कि जेल के द्वारा जो अपराधी हैं उनको नियंत्रित किया जाता है, सरकार कहती है कि उनको अपराध न करने की शिक्षा भी दी जाती है, यदि मैं यह समझूं तो इतना जरूर है कि जब कभी कोई अपराध करता है तो उसको पुलिस जेल भेजती है, इसलिये यह विभाग महत्वपूर्ण है । मान्यवर, यह दुख की बात है कि 1922 में जेल के कर्मचारियों का वेतन था 20 रु0 प्रति माह और पुलिस कर्मचारियों का वेतन था 13 रु0 प्रति माह । लेकिन जब पुलिस कर्मचारियों ने आंदोलन किया तो उनका वेतन बढ़ गया लेकिन जेल कर्मचारी जो मूकदर्शक बने रहे तो आज भी उनके वेतन में विषमता और असमानता बनी हुई है । तो जल का प्रबन्ध कैसे होगा ।

मान्यवर, जेल कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता नहीं दिया जाता है लेकिन पुलिस कर्मचारियों को वह दिया जाता है । जेल कर्मचारियों को वर्दी सिलाई भत्ता नहीं दिया जाता है लेकिन पुलिस वालों को दिया जाता है । यह एक अजीब असंगति और विषमता बनी हुई है । वर्ष 1979 में जब जेल कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था तो तत्कालीन गृह सचिव महोदय से समझौता हुआ था 14 मांगों के संबंध में, लेकिन आज भी वह मांगें खटाई में पड़ी हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि लिखित समझौता हुआ था । इसलिये मैं कहना चाहता हूं इन कर्मचारियों के संबंध में चूंकि गृह विभाग के अन्तर्गत जेल है और उसी के अन्तर्गत पुलिस है, इसलिये इसमें विषमता नहीं होनी चाहिये सुविधाओं और वेतन में । मान्यवर, मैं जेल में गया हूं और वहां देखा है कि जेल के अंदर जो जितना बड़ा बदमाश, गुण्डा और अपराधी है जेल में उसको उतनी ही सुविधायें मिलती हैं, इसको मैंने समझा, इसका कारण यह है कि जेल में जेलर, डिप्टी जेलर और जेल अधीक्षक यह लोग हमेशा महसूस करते हैं कि यदि इन लोगों से हमने मेहनत का काम लिया, और सामान्य कैदियों के स्तर में रखा, तो समझते हैं कि हमारा जीवन खतरे में हो सकता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जेल अधिकारियों की सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

***श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––**

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने हरिजन कल्याण बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे समय दिया इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

मैं सब से पहले सरकार को और उस के साथ ही मुख्य रूप से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे प्रदेश के हरिजनों के लिए 28 करोड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--]

रु0 जनत पार्टी सरकार ने पिछले बजट में मंजूर किया था उस को जगह पर मौजूदा सरकार ने 119 करोड़ रु0 रखा है इस साल के लिए जो उसका ठीक चार गुना है । यह हरिजनों के लिए सही मानों में कृपा की बात है । इस के साथ ही एक बड़ी खास बात यह है जो केबिनेट ने फैसला लिया है और माननीय मुख्य मंत्री जो जिस पर बहुत विशेष रूप से बल दे रहे हैं और वह है स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का मतलब जैसा मैं समझा हूं यह है कि इस प्रदेश में कुल हरिजनों की 21 प्रतिशत आबादी है और इस पूरे बजट का यह 21 प्रतिशत हर विभाग के हरिजन कल्याण कार्यों पर खर्च किया जाय । यह एक बड़ी योजना है जिससे हरिजनों का अधिक कल्याण हो सकेगा । इसलिए मैं पुनः बार-बार धन्यवाद देता हूं । लेकिन इसके साथ ही हमारे विपक्ष में जो भाई बैठे हुए हैं उनकी बातें सुन कर मुझे एक कहावत याद आती है । वह कहावत है "गब्बर चोर सेंत गावे" । इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति वित्त निगम की स्थापना की थी....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शास्त्री जो अब आप के गाने का समय समाप्त हो गया..... विराजिये.... ।

श्री कन्हैया लाल--

उपाध्यक्ष जी, जो बातें मैं कहने वाला था उसके लिए आपने समय ही नहीं दिया और मैं कह नहीं पाया, मैं आभारी हूं कि उधर के माननीय सदस्यों ने उन्हें मुझसे छीन लिया और उधर से ही कह डाली ।

मैं सेवाओं के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि हमारे सेवाओं में रिजर्वेशन की बात कही जाती है लेकिन पूरा रिजर्वेशन नहीं हो पाया आज तक । जो लोग काम कर रहे हैं सेवाओं में उनको तंग किया जाता है, उनका प्रमोशन रोका जाता है, उनको नाकाबिल बताया जाता है केवल इस आधार पर कि वे हरिजन हैं । यह नीति बदलनी चाहिए । उनसे सहानुभूति न रखी जाय तो उन के साथ बराबर दर्जे का व्यवहार तो जरूर करना चाहिए । यह मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 18 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, रिजर्वेशन से मैं संतुष्ट नहीं हूं । 18-20 प्रतिशत हमें आबादी के हिसाब से दिया गया है । तो यह सेवाओं में ही क्यों, हमें व्यापार में, भूमि में, उद्योग में, जमीन बांटने में कारखानों में 18 प्रतिशत दीजिए... ।

श्री कन्हैया लाल--

मैं यह कह रहा हूं कि लोकपति जी ने एक नियम बनाया था आज से 2 हजार साल पहले....

श्री उपाध्यक्ष--

उनका नाम सिर्फ लोकपति नहीं रहा होगा ?

श्री कन्हैया लाल--

नियम यह था कि ब्राह्मण पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, क्षत्री युद्ध करेंगे, वैश्य खेती तथा व्यापार करेंगे और हरिजन सेवा करेंगे । तो इन सेवाओं में हरिजनों

का सौ प्रतिशत स्थान मिलना चाहिये । यह तो पंडित जी के नियम के अनुसार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया लेकिन माननीय सदस्य ये लोग इसको नहीं मानते ।

श्री उपाध्यक्ष--

हरिजन नहीं था ।

श्री लोकपति--

मैं श्रीमन्, जो कहा था उसमें असली बात भूल गये । मैंने यह कहा था कि मस्तिष्क को ब्राह्मण कहते है और वह जब गिरता है तो वहां गिरता है जहां लोग कहते हैं "अछूत" जिसको चरण कहा जाता है ।

श्री कन्हैया लाल--

इंटेग्रेटिड प्लान की बड़ी बात की गयी । यह सुझाव है कि बजट में हर विभाग का 20 परसेंट हरिजनों का खर्च किया जाय लेकिन मेरा खयाल है कि यह 20 परसेंट का जो नारा है, यह उसी तरह से फेल होगा जिस तरह से भूमि बंटवारे की बात फेल हो गयी । इसलिये इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये । यह भी पता चला है कि ए0 डी0 एम0 रैंक का एक अधिकारी हर जिले में नियुक्त किया जायगा । मेरा सुझाव है कि तपे तपाये आदमियों को उस स्थान पर रखा जाय ताकि 20 परसेंट का इम्पलिमेंटेशन ठीक तरह से हो सके ।

एक बात जेल की बाबत कहना चाहता हूं जो मेरी नोटिस में आई है कि मियाद खत्म होने पर भी कैदी जेल में रह जाते हैं । एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि एक कैदी ऐसा है जिसकी मियाद खत्म हो गयी है लेकिन अभी तक जेल में है । अगर ऐसी बात है तो मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि मियाद खत्म होने पर कैसे कोई जेल में रह गया, किस नियम में वह रखा गया है, क्या यह अनलाफुल डिटेंशन नहीं हुआ ? और किस तरह से सरकार इसे बर्दाश्त करती है ? मोती लाल देहलवी ने कहा कि जेल के वार्डर्स तथा पुलिस के दरोगा का वेतन एक ही होना चाहिये क्योंकि दोनों की ड्यूटी एक सी है और दोनों को ही जरायमपेशा लोगों को देखना पड़ता है । मैं उनके इस सुझाव से सहमत हूं ।

श्री छेदालाल चौधरी--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इधर से और उधर से रचनात्मक सुझाव दिये है, उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं, आभारी हूं और ऐसे रचनात्मक सुझावों पर हमेशा विचार करने के लिये तैयार हूं । इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसे वह वापस ले लेंगे ।

श्री कन्हैयालाल--

मैं वापस नहीं लेता ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्याक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,23,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,53,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--गृह (कारागार) विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--गृह (कारागार) विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6, संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्त कर एवं बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,96,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,96,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 8, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष [में अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,86,000 रुपये के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12--संस्थागत वित्त विभाग मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि 16,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13--वित्त विभाग परीक्षा लेखा (अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,67,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13--वित्त विभाग परीक्षा, लेखा (अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,67,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--संस्थागत वित्त विभाग

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--संस्थागत वित्त विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--संस्थागत वित्त विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखाप्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखानुशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, क्यों इनकी दुर्गति कर रहे हैं माननीय मन्त्री जी को और आपको बार-बार उठना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, पास मान लिया जाये ।

अनुदान संख्या 31-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,56,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,56,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32-वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32-

[श्री ब्रह्म दत्त--]

वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,50,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) से अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,50,24,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 90-संस्थागत वित्त विभाग--पूंजीगत परिव्यय

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90-संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90-संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 125-वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 125-वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 125-वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब विधेयक की कापियां वितरित की जायें ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--**

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सभी अनुदान तो संख्या बल के आधार पर पारित हो गये, यह विनियोग विधेयक भी पारित होना है, लेकिन मैं इस अवसर का लाभ उठाकर माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सदन में विनियोग विधेयक माननीय नियोजन एवं वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है । सरकार को इस धन के विनियोजन का भी अधिकार अपनी इच्छानुसार व्यय करने को मिल जायेगा । आज बजट तो पारित हो जायेगा लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन्स भेजने में बहुत लम्बा समय लग जाता है । मान्यवर, यह अक्तूबर का महीना है, शेष 5 महीने रहते हैं । यदि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सक्शन्स फरवरी के अन्त तक विभागों में पहुंची तो 31 मार्च तक कैसे काम समाप्त हो सकता है और हमारे बजट में जो विकास की योजनायें हैं, वे केवल बजट में ही रह जायेंगी । इसलिए मेरी पहली प्रार्थना यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन्स जाने में कतई देर न लगे ।

फिर स्क्रूटिनी होती है, सब मामले विलंबित हो जाते हैं । तो हमारी जो फाइनेन्शियल हैंड बुक है, इसमें भी आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है । अत: सरकार इस पर भी विचार करे ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है जो मद हम इस आदरणीय सदन में पास करते हैं, कहीं-कहीं अधिक खर्च हो जाता है हमारी अकार्यकुशलता के कारण और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

उसका यह परिणाम होता है कि बहुत से मामले जो सामाजिक सेवा से सम्बन्धित होते हैं, जिनके लिए काफी धन का प्राविधान किया जाता है उनका प्रयोग नहीं हो पाता है । मान्यवर, मेरे पास भारत के महा लेखा परीक्षक की वर्ष 1975–76 की रिपोर्ट है । उस समय कांग्रेस की सरकार थी । उसके लेखे जोखे की बहुत लम्बी फेहरिस्त है । सरकार ने जो सैंक्शन दी थी, उनसे कहीं अधिक खर्च कर दिया गया तो जो हम यहां सदन में तय करते हैं उससे आगे बढ़ कर खर्च कर दिया जाता है, इससे हमारे जो अधिकार हैं, उनकी अवहेलना हो रही है । इसमें कई मामले न्याय प्रशासन, उद्योग, अनेक सामाजिक सेवाओं के हैं जिनके अन्तर्गत जो हमने तय किया था उस धनराशि का व्यय भी नहीं कर पाते हैं ।

एक चीज मुझे और कहनी है और वह यह है कि जब तक यह सरकार अपने अन्दर एफिशिएन्सी अर्थात कार्यकुशलता नहीं लाती है, उसके साथ–साथ हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके देखने की दृष्टि परिवर्तित नहीं होती तो जो भी पैसा हम देते हैं, वह सब बेकार जायेगा उसका कोई प्रयोजन नहीं हो पायेगा ।

आज ही प्रातःकाल प्रश्नोत्तर के समय माननीय सिंचाई मंत्री जी उत्तर दे रहे थे । उन्होंने कहा था कि विजीलेन्स ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने कई अपराध किए और जो आरोपों की तालिका थी उसको भी सही पाया था लेकिन उसके बाद सम्बन्धित अधिकारी को मौखिक चेतावनी दी गयी, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

उन्नाव में ईंटों की खरीद में भी बहुत बड़ा घोटाला पाया गया लेकिन कुछ नहीं किया गया । इसी प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी एक अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया लेकिन सरकार ने न कोई कार्यवाही की बल्कि जो अधिकारी उन्हें पकड़वाने वाले थे उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी ।

मेरे यहां पर एक डिप्टी आर० एम० ओ० हैं । उनके विरुद्ध भ्रष्टचार का मामला था, उनके बारे में मैंने और हमारे जिले के समस्त विधायकों ने माननीय मंत्री जी को उनके ट्रान्सफर के लिए लिख कर दिया लेकिन पता नहीं सरकार को फिर कौनसी प्रेरणा शक्ति मिली कि उसके ट्रान्सफर को रोक दिया गया ।

तो संक्षेप में मेरा कहना यह है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ऊपर आज कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है और जो गलत काम करते हैं, उनको अनावश्यक रूप से बचाने की कोशिश की जाती है और जो इमानदार लोग हैं, नियमानुकूल काम करते हैं, उनकी नियत में हताश आती है । अन्त में मेरा पुनः निवेदन है कि आज जब हम इस पैसे के विनियोजन का अधिकार सरकार को देते हैं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन समय से नहीं जाती है तो प्रदेश का विकास अपनी जगह पर रुक जायेगा, क्योंकि हम यह आरोप पहले ही लगा चुके हैं कि (व्यवधान) इतनी बड़ी धनराशि की (40 करोड़) कोई आवश्यकता नहीं है ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)––

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के सुझावों के लिए उनको धन्यवाद देता हूं । केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार वित्तीय अनुशासन और

प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए दृढ़ संकल्प है और हर कार्य को उचित समय के अन्दर ही किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड, 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980

31 मार्च, 1981 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1980 कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षक

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 33, 1980) तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1980)] को अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके रुपये का 27,07,61,08,000 (केवल सत्ताइस अरब, सात करोड़, इकसठ लाख, आठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो । उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1980-81 के लिए 27,07,61,08,000 रुपये का निकाला जाना

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं । विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/फ० संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु०	रु०	रु०
1	राज्य विधान मन्डल	2,24,91,000	3,75,000	2,28,66,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	15,28,000	15,28,000
3	मंत्रि–परिषद्	69,09,000	..	69,09,000
4	न्याय विभाग	10,36,90,000	1,94,70,000	12,31,60,000
5	निर्वाचन विभाग	7,16,02,000	..	7,16,02,000
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्री कर)	9,01,67,000	41,000	9,02,08,000
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	46,25,26,000	35,000	46,25,61,000
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	1,97,80,000	4,000	1,97,84,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	52,22,05,000	10,000	52,22,15,000
10	आबकारी विभाग	1,81,66,000	7,000	1,81,73,000
11	परिवहन विभाग	17,49,25,000	92,000	17,50,17,000
12	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	38,29,000	..	38,29,000

1	2			3
		रु0	रु0	रु0
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	19,72,06,000	2,000	19,72,08,000
*14	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	35,78,30,000	35,78,30,000
*15	ब्याज का भुगतान	..	1,62,85,50,000	1,62,85,50,000
*16	लोक सेवा आयोग	..	58,44,000	58,44,000
17	सचिवालय	7,42,34,000	4,000	7,42,38,000
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	75,15,000	..	75,15,000
19	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	3,24,08,000	..	3,24,08,000
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	94,38,000	4,000	94,42,000
21	संस्थागत वित्त विभाग	11,94,000	2,000	11,96,000
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	20,00,000	..	20,00,000
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	12,96,40,000	15,000	12,96,55,000
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2,98,16,000	2,000	2,98,18,000
25	गृह विभाग (पुलिस)	1,10,09,94,000	16,000	1,10,10,10,000
26	गृह विभाग (कारागार)	9,60,83,000	2,000	9,60,85,000
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	7,83,95,000	..	7,83,95,000
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	1,22,55,000	1,18,000	1,23,73,000
29	सतर्कता विभाग	1,05,17,000	2,000	1,05,19,000
30	नागरिक सुरक्षा विभाग	7,58,51,000	2,000	7,58,53,000
31	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	29,25,85,000	37,55,000	29,63,40,000

*भारित विनियोग से संबन्धित क्रम-संख्या।

1	2	3		
32	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	8,40,36,000	..	8,40,36,000
33	शिक्षा विभाग	3,36,74,71,000	8,000	3,36,74,79,000
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	9,28,79,000	2,000	9,28,81,000
35	स्पोर्ट्स विभाग	1,05,27,000	..	1,05,27,000
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग	67,05,000	2,000	67,07,000
37	विज्ञान और प्राद्योग विभाग	68,56,000	..	68,56,000
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	76,63,54,000	11,000	76,63,65,000
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	21,46,29,000	4,000	21,46,33,000
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थय)	26,39,26,000	5,000	26,39,31,000
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	1,18,89,000	8,90,000	1,27,79,000
4	आवास एवं नगर भूमि विभाग	3,53,30,000	..	3,53,30,000
43	सूचना विभाग	2,12,24,000	2,000	2,12,26,000
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	5,54,55,000	3,000	5,54,58,000
45	श्रम विभाग (सेवा-योजन)	6,30,62,000	20,000	6,30,82,000
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	39,13,92,000	3,000	39,13,95,000
47	सहायता और पुनर्वासन विभाग	33,82,000	5,000	33,87,000
48	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	24,22,04,000	10,80,01,000	35,02,05,000

1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
49	सहकारिता विभाग	6,02,58,000	2,000	6,02,60,000
50	पर्वतीय विकास विभाग	38,48,61,000	20,000	38,48,81,000
51	नियोजन विभाग	3,68,32,000	..	3,68,32,000
52	कृषि विभाग (कृषि)	44,95,52,000	43,000	44,95,95,000
53	कृषि विभाग (औद्यो-गिक विकास)	5,34,53,000	2,63,000	5 37,16,000
54	गन्ना विकास विभाग	5,47,96,000	2,000	5,47,98,000
55	ग्राम्य विकास विभाग	47,21,09,000	8,000	47,21,17,000
56	पंचायती राज विभाग	8,65,68,000	21,000	8,65,89,000
57	क्षेत्रीय विकास विभाग	27,40,55,000	..	27,40,55,000
58	खाद्य तथा रसद विभाग	7,06,93,000	90,000	7,07,83,000
59	पशुधन विभाग	12,63,74,000	4,000	12,63,78,000
60	पशुधन विभाग (दुग्ध-शाला विकास)	1,15,45,000	2,000	1,15,47,000
61	मत्स्य विभाग	1,41,92,000	2,000	1,41,94,000
62	वन विभाग	24,51,71,000	14,000	24,51,85,000
63	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	3,11,55,000	27,000	3,11,82,000
64	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	6 36,32,000	4,85,00,000	11,21,32,000
65	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	20,00,05,000	..	20,00,05,000
66	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	84 18,000	3 000	84,21,000
67	विद्युत विभाग	26,74,000	2,000	26,76,000
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)	1,18,54,60,000	3,000	1,18,54 63,000
69	सिंचाई विभाग (अधि-ष्ठान)	51,24,99,000	10,000	51,25,09,000

1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) ..	40,32,37,000	10,000	40,32,47,000
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) ..	64,12,000	20,000	64,32,000
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..	26,57,91,000	5,000	26,57,96,000
74	पर्यटन विभाग ..	47,30,000	..	47,30,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	18,00,60,000	1,00,000	18,01,60,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	7,97,51,000	3,25,000	8,00,76,000
76-क	आबकारी विभाग-पूंजीगत परिव्यय ..	1,00,000	..	1,00,000
77	चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय ..	2,74,52,000	..	2,74,52,000
78	स्वायत्त शासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	3,000	..	3,000
80	गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय ..	39,66,000	..	39,66,000
81	गृह (कारागार) विभाग-पूंजीगत परिव्यय ..	45,50,000	..	45,50,000
82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	13,53,28,000	50,000	13,53,78,000
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय ..	13,40,000	50,000	13,90,000

1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
84	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	60,00,000	..	60,00,000
85	सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	8,84,82,000	..	8,84,82,000
86	पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	33,77,27,000	..	33,77,27,000
87	उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	11,64,34,000	5,00,000	11,69,34,000
88	सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	50,00,000	..	50,00,000
89	पंचायती राज विभाग––पूंजीगत परिव्यय ..	50,000	..	50,000
90	संस्थागत वित्त विभाग––पूंजीगत परिव्यय ..	18,75,000	..	18,75,000
91	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–पूंजीगत परिव्यय ..	2,00,00,000	..	2,00,00,000
92	राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर) ..	13,62,000	..	13,62,000
93	कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	36,44,47,000	50,000	36,44,97,000
94	ग्राम्य विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	89,24,000	..	89,24,000
95	क्षेत्रीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	49,01,000	..	49,01,000
96	नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	1,00,000	..	1,00,000

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
97	खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय	..1,72,69,00,000	..	1,72,69,00,000
98	पशुधन विभाग– पूंजीगत परिव्यय	.. 25,42,000	..	25,42,000
99	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय	.. 22,29,000	..	22,29,000
100	मत्स्य विभाग– पूंजीगत परिव्यय	.. 10,37,000	..	10,37,000
101	वन विभाग– पूंजीगत परिव्यय	.. 12,26,000	2,000	12,28,000
102	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)	..2,50,93,00,000	2,000	2,50,93,02,000
103	सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	.. 37,59,69,000	..	37,59,69,000
104	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	.. 54,04,69,000	50,000	54,05,19,000
105	परिवहन विभाग– पूंजीगत परिव्य	.. 3,000	..	3,000
*107	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण	..	.. 1,68,14,64,000	1,68,14,65,000
108	शिक्षा विभाग– ऋण और अग्रिम	.. 86,00,000	..	86,06,000
109	प्राविधिक शिक्षा विभाग––ऋण और अग्रिम	.. 5,00,000	..	5,00,000

110	स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 9,24,66,000	..	9,24,66,000
111	आवास विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 5,65,25,000	..	5,65,25,000
112	राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 5,58,04,000	..	5,58,04,000
113	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 24,50,000	..	24,50,000
114	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 8,27,34,000	..	8,27,34,000
115	पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 4,04,75,000	..	4,04,75,000
116	वन विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 60,000	..	60,000
117	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 1,50,000	..	1,50,000
118	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम	.. 4,00,01,000	..	4,00,01,000
119	सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 13,75,77,000	..	13,75,77,000
120	कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 4,60,00,000	..	4,60,00,000
121	क्षेत्रीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 6,75,01,000	..	6,75,01,000
122	पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 10,000	..	10,000
123	विद्युत् विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 1,70,04,52,000	..	1,70,04,52,000
125	वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 2,80,00,000	..	2,80,00,000
126	पर्यटन विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 2,000	..	2,000
127	खाद्य तथा रसद विभाग—ह्यण और अग्रिम	.. 25,00,000	..	25,00,000
128	न्याय विभाग—ऋण और अग्रिम	.. 2,50,000	..	2,50,000
	योग	23,21,77,98,000	3,85,83,10,000	27,07,61,08,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

*वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त--)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये। इस सम्बन्ध में माननीय, दो शब्द कहना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष के बीच हमें कुछ धनराशियां ऐसी प्राप्त होती हैं और कुछ ऐसी खर्च करना पड़ जाती है जिनके लिये हमें आकस्मिक निधि का प्राविधान करना पड़ता है और उसके लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस तरह का प्राविधान भूतकाल में भी होता रहा है। 1970 में जब हमारा कुल बजट 800 करोड़ रुपये का था तो इसमें केवल 4 करोड़ रुपये बढ़ाये गये थे और उस समय इसका प्रतिशत 1.25 था। आज हमारा कुल बजट जब कि 2315 करोड़ रुपये का हो गया है, इसका प्रतिशत केवल 0.45 अर्थात् पहले के मुकाबले आधे से भी कम ही है। इसमें हमें 35 करोड़ 10 लाख रुपये भारत सरकार से भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये प्राप्त होने वाले हैं। दूसरी टीम भारत सरकार की आने वाली है, उससे भी कुछ धनराशि हमें प्राप्त होगी। इसलिये आवश्यक है कि इस संशोधन विधेयक को यह सदन स्वीकार करे यह इस प्रदेश के हित में है।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय, अभी हम लोगों ने 27 अरब रुपया माननीय वित्त मन्त्री जी को खर्च करने के लिये दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी का यह सब से महत्वपूर्ण

---

*दिनांक.....1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग है जिसमें रजिस्ट्रेशन है, बिक्री-कर है, जिसमें मनोरंजन कर है करीब 2 सौ करोड़ रुपया बिना किसी विवाद के पांच मिनट से कम में हम लोगों ने पास कर दिया । इसलिए यह वह बना कर कि हम प्रदेश के हित में संचित निधि से निकाल कर उचन्त खाते में डालना चाहते हैं । यह इस प्रदेश की संचित निधि के ऊपर जो इस विधि मंडल का अधिकार है उसके ऊपर अतिक्रमण भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 यह आदेश देता है विधि मंडल की कोई भी वित्तीय खर्च, बिना आय और व्यय पर चर्चा किये बिना और उसकी स्वीकृति लिए बिना खर्च नहीं किया जा सकता है । लेकिन यह परम्परा बनती चली जा रही है कि आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद बहुत से खर्च खड़े हो जाते हैं । महालेखाकार की बहुत सी रिपोर्टों को पढ़ने का कष्ट करें । बाद में जब कोई राजनीतिक दबाव पड़ता है, किसी दल के नेता जिसके आदेश पर मन्त्री लोग चलते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रशासकीय आदेश से सड़क बनाने का अभियान शुरू हो गया, कुछ लोगों को विभाग में नौकरी देनी है, तो पदों का सृजन किया जायगा, विधि मंडल की स्वीकृति है नहीं । तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल कर खर्च किया जायगा । जब आपने आय-व्ययक प्रस्तुत कर दिया और संचित निधि से 40 करोड़ रुपया निकालेंगे तो 21 सौ करोड़ रुपये में कुछ कमी होगी ।

आपने बजट भाषण में पहले ही कहा कि 212 करोड़ रुपया कम पड़ रहा है । इसके लिए संसाधनों को जुटाना है । उसमें 40 करोड़ रुपया निकाल कर घाटे की ओर बढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं । वैसे ही इस प्रदेश को वित्तीय संस्थाओं पर विधान मंडल का अधिकार कम होता जा रहा है, निगम बनाते चले जा रहे हैं । उनके आय-व्ययक पर यहां चर्चा नहीं होती । अरबों रुपया कारपोरेशंस की तहत इस प्रदेश की जनता का निहित है । सार्वजनिक उपक्रम समिति के जरिए ही हमारा नियन्त्रण है । उनके वार्षिक आय-व्ययक पर विधान मंडल में चर्चा नहीं करते । आपने आज से कुछ समय पहले वित्तीय कारपोरेशंस के लिए अलग से करोड़ों रुपया मांगा । हमने दे दिया ।

सहकारिता विभाग का अरबों रुपया है । उसकी बहुत सी चीजों पर, उसके आय-व्ययक पर इस विधान मंडल का कोई नियंत्रण नहीं । यानी धीरे-धीरे जो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था है उस पर से विधान मंडल के नियंत्रण को कम किया जा रहा है । केवल इसलिये कम किया जा रहा है कि इस सरकार का संसदीय लोकतंत्र में बुनियादी तौर पर विश्वास नहीं है और उसकी वजह से, अनास्था की वजह से विधान मंडल के सामने आय-व्ययक प्रस्तुत करने से घबड़ाती है माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाषण किया कि हम इसलिए दिल्ली जाते हैं कि ट्रिप में ही हेलीकाप्टर के दौरे के साथ प्रदेश के विकास के लिए पैसा मिल जाता है । वार्षिक आय-व्ययक में जब पैसा मिल जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 205 में यह अधिकार मिला है कि अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर सकते हैं । एक ओर वार्षिक आय-व्ययक भी प्रस्तुत है और दूसरी ओर अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने के लिए 13 तारीख को विधान मंडल की बैठक भी बुलाई जा रही है ।

[4 बजकर 30 मिनट]

सो जब दो दिन में हम अनुपूरक भी आपका पास करके देने के लिये तैयार हैं, तो अलग से संचित निधि, उचंत खाते से बढ़ाने का कोई समझ में नहीं

[श्री मोहन सिंह---]

आत। । पिछले कई वर्षों की महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा करिये । 300 अरब से बढ़ कर सिंचाई विभाग का है, चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 या सिंचाई विभाग हो, इन सब को सब से ज्यादा आकस्मिक निधि की आवश्यकता पड़ती है । इनका जो प्लानिंग और डिजाइन डिपार्टमेंट है, यह बहुत घटिया किस्म का है । जब अनुमानित बजट बनाते हैं जब लागत आती है, तो अनुमानित खर्चे से ज्यादा होने लगती है । तो जब ज्यादा होने लगती है, तो हमारे संचित निधि में उसकी व्यवस्था नहीं है, तो हमारी आकस्मिक निधि से पैसा निकाल कर उनको दे दिया जाता है । इस तरह से हमारी सार्वजनिक सम्पत्ति का खुलकर दुरुपयोग होता है । इसलिए हमारी निश्चित धारणा है कि हम अपनी संचित निधि को सिकोड़ने का काम न करें । 4 करोड़ रुपये से एक आकस्मिक निधि शुरू हुई थी और आज आप उसको 100 अरब रुपया करने जा रहे हैं। इसके पीछे मात्र मंशा यह है कि अपने कुछ राजनैतिक लाभ के लिए, अपने इलाके से कुछ काम काज के लिए माननीय मंत्री जी कुछ अलग से पैसा चाहते हैं । इसलिए मैं इसको इजाजत देने के लिए तैयार हीं हूं और इसलिये मैं इस आदरणीय सदन में अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे माननीय मोहन सिंह जी ने बताया संचित निधि पर एक बड़ा भारी हमला हो रहा है, यह मान्यवर, बात बिल्कुल सही है । आप अगर पूर्व इतिहास को देखें कि जिसमें इधर के बैठने वाले लोग सरकार में रहे हैं, उन वर्षों को छोड़ कर सन् 1950 में एक ऐक्ट बना उस समय केवल 4 करोड़ रुपये की निधि यह थी । 1950 में 4 करोड़, 67 में 2 करोड़, 72 में 10 करोड़ और जो 76 का वर्ष था, उसमें 20 करोड़ इन्होंने फिर ले लिया । ढाई वर्ष जो हमारा शासन काल रहा है, उस समय संचित निधि से निकाल कर आकस्मिक निधि में डालने की कोशिश नहीं किया । मान्यवर, से आकस्मिक निधि पैसा खर्च करने का जो अधिकार दिया गया है यह एक प्रकार का कुठाराघात है ।

मान्यवर, आपको स्मरण होगा, माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात का स्मरण होगा, जैसे कभी सूखा पड़ गया, उस समय कभी खर्च कर दिया जाय, तब तो दूसरी बात है । हाई कोर्ट से कोई डिक्री हो जाय, तो ठीक है । लेकिन अधिकारी की कार खरीद ली जाय, तो यह ठीक नहीं । एयर कंडीशन्ड बनवाने के लिए, इस आकस्मिक निधि से पैसा खर्च किया जाय, यह उचित नहीं है । संख्या-बल के आधार पर पास तो हो ही जाता है मान्यवर। अगर संसदीय परम्पराओं का सम्मान रखना है, तो इसकी सब से बड़ी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है । यह बात साफ है । इस तरह से रुपया निकाल कर मान्यवर, आकस्मिकता निधि में डालना इस परम्परा को समाप्त किया जाना है । यह भारत के नियंत्रक 1975-76 की रिपोर्ट मेरे पास है । इसमें एडीटर जनरल ने इसके बारे में आपत्ति की है ।

समझा जाता है, आजकल विधान मंडल में कोई रोकने वाला नहीं है । बाद में इसका पैसा वापस कर देंगे । 1971-72 से 1974-75 के दौरान 13 लाख 42 हजार रुपया ऐसा हुआ है, जो कि खर्च से बच गया । यह बात दूसरी है कि अगर किसी आवश्यक खर्च को समझा गया, तो निकाल लिया गया । वर्ष 1971-72 में 30 लाख रु0, वर्ष 72-73 में 3·32 लाख रुपया और वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1973-74 में 9·80 लाख रुपया इस तरह का रहा। आगे एक और उदाहरण देता हूं सहकारी समिति को 30 लाख रुपया का ऋण दिया गया। भुगतान के लिए सरकार ने अपना रुपया निकाल लिया और बैंक में जमा कर दिया। लेकिन जिस काम के लिए दिया गया था, उसका सही उपयोग न कर के गलत ढंग से उपयोग किया गया, इसलिये इन बातों को देखते हुए इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सरकार जो आवस्मिकता निधि के नियम हैं, खर्च करने के, उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इन नियमों के तहत अग्रिम खर्च उस वक्त लिया जा सकता है, जब कि कोई अप्रत्याशित घटना या कोई दैवी प्रकोप आ जाय उस वक्त इनका उपयोग किया जा सकता है, तो मान्यवर, उचित समझा जायेगा एक और उदाहरण में दूं माननीय, कि राजकीय कन्या विद्यालय, वाराणसी के लिये 1·20 एकड़ भूमि अर्जित की थी, उस पर भवन निर्माण के लिए मान्यवर, अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 94 लाख रुपया का आहरण मार्च, 60 में कर लिया और इसी पर सन् 64 में 26 करोड़ का और आहरण कर लिया। लेकिन उसमें कुल 11 लाख रुपये का वितरण किया गया, इससे एक करोड़ 9 लाख रु0 अप्रयुक्त रहा और इसी तरह से एक दूसरे मामले में 4·09 लाख रु0 भी अप्रयुक्त रहा।

इसलिये मान्यवर, इन सब बातों को देखते जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं और उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि के अंदर जिसमें पहले से 60 करोड़ रु0 लिया जा चुका है और अब 40 करोड़ और लेकर 1 अरब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस बजट का पूर्णतया विरोध करता हूं और इसे प्रवर समिति में सुपुर्द किये जाने का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों द्वारा जो शंकाएं प्रकट की हैं। उनके बारे में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आकस्मिकता निधि में जो संशोधन किये जा रहे हैं। इसमें कोई और मन्शा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सम्मानित सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाए। मान्यवर, इस सदन में जैसा कि पहले से होता आया है, उसी प्रकार से किया जा रहा है, आपके विचारों और प्रदेश की आवश्यकताओं को ही देख कर किया जा रहा है। हमारे इस तरह के खर्च अप्रत्याशित रूप में ऐसी कभी-कभी सामने आ जाते हैं, जैसे कोई दैवी आपदा, बाढ़ या अन्य प्रकार की कोई आवयकताएं तो उनको प्रेस करने के लिए ऐसा करना पड़ता है इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट का भी सहारा लेना पड़ता है। इस तरह के आकस्मिक खर्चे तो हमारे दैनिक जीवन में भी आते रहते हैं, घर के खर्चे या और अन्य खर्चे जब आ पड़ते हैं तो उन्हें खर्च करना ही पड़ता है।

इस वर्ष हमको 35 करोड़ रुपया अधिक मिला लेकिन हम इसको व्यय न कर पाते अगर संचित निधि से आकस्मिकता निधि से न निकालते। प्रतिशत भी घट रहा है जैसा माननीय सदस्यों ने याद दिलाया 4 करोड़। 1971-72 में 1) करोड़ रुपया दिया गया। उसके लिये मैंने बताया कि 1-25 था अब 1-45 उसमें कमी आई है। हमारी आवश्यकता है विकास योजनाओं को चलाने के लिये यह आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की शंका न करें लोकतंत्र में अनुशासन में वित्तीय अनुशासन में जितना उनका विश्वास है उतना ही मेरा भी है। प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 2, खन्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहलायेगा ।

अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में--

(i) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"(8) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार चालीस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

(ii) जहां-जहां शब्द 'संहत' प्रयुक्त हुआ हो, वहां-वहां शब्द "संचित" रख दिया जायेगा और सदैव से रखा समझा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 और खन्ड 1, प्रस्तावना एव शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष --

नियम 51 में 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से केवल श्री हरिवंश और श्री नन्द किशोर की दिनांक 27 सितम्बर, 1980 को देवरिया जिले में ग्राम रतनपुर में कुमारी विमाली कुमारी के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृत हुई और शेष सूचनाएं अस्वीकृत हैं ।

उरई नगर, जनपद जालौन में श्री अजय गुप्ता की मृत्यु के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को उरई नगर में घटित फायरिंग की घटना म गिरफ्तार तीन अभियुक्तों में से अभियुक्त अजय गुप्ता की मृत्यु को लेकर दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को डी0 बी0 डिग्री कालेज, उरई के छात्रों द्वारा जुलूस निकाला गया । जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंच कर सभा में परिणत हो गया । तत्पश्चात् छात्रों द्वारा जिलाधिकारी को एक लिखित मांग-पत्र दिया गया जिसम केवल दो मांगें की गयीं थीं । पहली मांग घटना की मजिस्टीरियल जांच कराने की थी तथा दूसरी मांग गिरफ्तार छात्र सुशील त्रिपाठी की बिना शर्त रिहाई की थी । जब उन्हें बताया गया कि यह दोनों मांग पहले ही पूरी की जा चुकी हैं तो छात्रों ने एक तीसरी मौखिक मांग यह की कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, उरई को चौराहे पर उनके सामने तुरन्त फांसी दी जाय । इस मांग पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी ।

छात्र जिलाधिकारी से यह कहते हुये वहां से चले कि वे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये शांतिपूर्ण अनशन करेंगे । जब छात्र अपने विद्यालयों को वापस लौट रहे थे तो कोतवाली के सामने घोषणा की कि अनशन कालेज में न करके अब कोतवाली के सामने सड़क पर करेंगे और कुछ छात्र एक टेन्ट हाउस में घुसकर जबरदस्ती एक टेन्ट ले आये तथा उसे कोतवाली के सामने सड़क पर लगाने लगे जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और ट्रैफिक जमा होने लगा । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये छात्रों को ऐसा न करने के लिये समझाने का प्रयास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लोकपति--]

किया गया किन्तु छात्र अत्यन्त उत्तेजित हो उठे तथा उत्तेजनात्मक नारेबाजी व पथराव करते हुय कोतवाली में घुसने लगे । इस पथराव से एक पुलिस उपाधीक्षक, 3 पुलिस उप निरीक्षकों तथा 8 कान्स्टेबिलों को चोटें आईं । सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये लड़कों को बार-बार चेतावनी दी गई, किन्तु इसका भीड़ पर कोई प्रभाव न पड़ा । अतः उपस्थित पुलिस/पी० ए० सी० ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया तथा 3 छात्रों को मौके पर बन्दी बना लिया । इस कार्यवाही में किसी भी छात्र को कोई चोट नहीं आई । इस घटना के बाद नगर में पूर्ण शांति रही और बाजार जो आंशिक रूप से बन्द हुआ था पूरी तरह खुल गया । दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को पुलिस द्वारा कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया ।

उरई नगर में पुलिस का आतंक नहीं है । पूरे मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है । इस जांच में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही है । केवल डी० बी० डिग्री कालेज, उरई में 26 सितम्बर, 1980 को 5 छात्र क्रमिक अनशन पर बैठे थ जो 29 सितम्बर, 1980 को बिना शर्त समाप्त हो गया । शांति व्यवस्था के हित में श्री दलगंजन सिंह, विधायक को आम सभा करने की अनुमति नहीं दी गई थी । ममता प्रिंटिंग प्रेस के प्रोप्राइटर को कोतवाली नहीं बुलाया गया और उन्हें कोई पैम्पलेट छापने से मना नहीं किया गया ।

दिनांक 27 सितम्बर, 1980 को गांधी डिग्री कालेज, उरई के समक्ष लाठी-चार्ज अथवा विद्यार्थियों को खदेड़ने की कोई घटना नहीं हुई ।

श्री दलगंजन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि अमृत प्रभात, लखनऊ, इलाहाबाद तारीख 30 सितम्बर, 1980, कर्मभूमि जो उरई और बांदा से निकलता है 26 सितम्बर, 1980, 28 सितम्बर, 1980....।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, वक्तव्य के विषय में व्यवस्था दी गयी है कि जो भी वक्तव्य पर प्रश्न किये जायं, वे वक्तव्य से सम्बन्धित हों । मान्यवर, स्पष्टीकरण उसी से सम्बन्धित हुआ करता है । लेकिन ये जो तारीखें पढ़ी जा रही हैं, उसका कोई संदर्भ वक्तव्य से नहीं है । कृपया इस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक कि कोई सेन्टेन्स पूरा न हो, उसकी नीयत क्या है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता ।

(श्री दलगंजन सिंह के बैनर लगाकर आने पर ।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, क्या बोर्ड लगाकर पढ़ना जरूरी है ? माननीय सदस्य बोर्ड लगाये हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माान्यवर, क्या सदन में कोई भी किसी पोशाक में आ सकता है ? इसके ऊपर आपके विचार चाहिये ।

एक सदस्य--

मान्यवर, आजकल तो फैशन है कि जितने कपड़े होते हैं, उन पर कुछ न कुछ छपा होता है । उस पर कुछ न कुछ लिखा होता है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

लेकिन, मान्यवर, सदन में यह ग्रेट ओरियन्टल सर्कस का प्रदर्शन कैसा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री लोकपति से) आपने कुछ पूछा ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, क्या इस प्रकार का पोस्टर, बैनर या पर्चा चाहे वह पोशाक के रूप में हो, सदन में लाना वर्जित है अथवा नहीं ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, ब्रह्मचारी जी भी तो रामनामी चादर ओढ़ कर आते हैं- चन्द्र बली जी ।

श्री उपाध्यक्ष--

जहां तक मैं समझता हूं, ब्रह्मचारी जी रामनामी चादर नहीं ओढ़ते । वह केवल चादर ओढ़ते हैं ।

अभी माननीय मन्त्री जी ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा कोई वस्त्र पहन कर आया जा सकता है जिसमें कुछ इस तरह का पम्फलेट या बैनर की चीज हो । ऐसा हो सकता है कि नहीं ? आपके इस प्रश्न ने मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया । मेरा ध्यानाकर्षण इस सदन के तमाम लोगों की तरफ भी है क्योंकि मेरा ताल्लुक सदन में बोलने वालों की भाषा से था । मैं लोगों के वस्त्र नहीं देख रहा था । आपने वस्त्र की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया । कोई ऐसा वस्त्र या पैम्पलेट या बैनर प्रदर्शन हेतु निश्चित रूप से जो आपत्तिजनक हो, यह सदन में नहीं आना चाहिए ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अब तो उतार दो ?

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था...

एक सदस्य---

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद भी वह बैनर लगाये हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था मांगी और मैंने व्यवस्था दी कि कोई बैनर की तरह की कोई चीज पोस्टर करके आना नहीं चाहिए । यह अनुचित है । अब अगर मेरी व्यवस्था को कोई न समझे तो यह मेरी बद्किस्मती है ।

श्री प्रियदर्शी जेटली---

मान्यवर, लेकिन अपनी व्यवस्था के अनुपालन करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय बलगंजन सिंह, अब आपकी मंशा पूरी हो गई है, अब उतार दो ।

श्री बलगंजन सिंह---

मान्यवर, यह बैनर नहीं है । इसमें लिखा है कि शासन अजय गुप्ता के हत्यारों को सजा दे । (इसके बाद उसको उतार दिया ।)

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

अब आप सही साबित लग रहे हैं ।

श्री बलगंजन सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अमृत प्रभात दिनांक 30-9-80, कर्मयुग प्रकाश दिनांक 27-9-80, कर्मयुग प्रकाश, दिनांक 26-9-80, कर्मयुग प्रकाश दिनांक 28-9-80, अमृत प्रभात दिनांक 26-9-80, दैनिक आज दिनांक 28-9-80 तथा जागरण कानपुर दिनांक 24-9-80 में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि अजय गुप्ता की मौत के विरोध में एक जुलूस निकाला जिस पर लाठी चार्ज हुआ था ।

(संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर देने के लिए खड़े होने पर)

श्री मोहन सिंह---

इनके मुख्य मंत्री बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं ।

एक सदस्य---

मान्यवर, एक बार पंडित आता है, एक बार मुल्ला आता है, तमाशा क्या है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

जितने समाचार पत्रों का हवाला दिया गया है उनकी सूचना यहां पर कोई नहीं है । जुलूस एक ऐसा अवश्य निकला था जिसके सम्बन्ध में अभी तथ्य इस वक्तव्य द्वारा सम्मानित सदस्यों के सामने रख दिये गये हैं ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो विद्यार्थी जुलूस लेकर कलेक्टर के पास गये थे उसमें उनकी मांग थी कि उरई के कोतवाल और जनपद जालौन के एस0 पी0 को तुरन्त निलम्बित किया जाय, क्या इस तरह की कोई मांग थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पहले दो मांगें थीं एक मांग थी कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी कराई जाय, दूसरी मांग थी कि छात्र सुनील त्रिपाठी को छोड़ा जाय। जब उन्हें बताया गया कि यह मांगें मान ली गयी हैं तो उन्होंने तीसरी मांग उसी वक्त जबानी रखी कि जो कोतवाली के अध्यक्ष हैं उसको चौराहे पर फांसी दी जाय। इस पर कोई कार्यवाही संभव नहीं थी।

श्री दलगंजन सिंह--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस केस के सम्बन्ध में वहां के कोतवाल का ट्रान्सफर कर दिया गया है। लेकिन वह कोतवाल साहब इस समय भी उरई में हैं और जिन कोतवाल साहब की नियुक्ति की गई है वह उन कोतवाल साहब के साले हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह घटना हुई, जिससे उनका स्थानान्तरण कर दिया गया था। लेकिन यह घरेलू मामला है, किससे किसका क्या रिश्ता हैं इसकी हमें कोई सूचना नहीं है, माननीय दलगंजन सिंह को जरूर होगी।

श्री दलगंजन सिंह--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि 20-9-80 को पुलिस की मारपीट से अजय गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी और दिनांक 23-9-80 को पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश उसके परिवार जनों को वापस की गई। तो यह तीन दिन का विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में 30-9-80 को एक वक्तव्य दिया जा चुका है। माननीय सदस्य ने जिस मामले पर वक्तव्य की मांग की है वह एक विशेष घटना है, प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस घटना की वजह से जो बातें हुईं वह बतायी जा चुकी हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह सारी बातें जो प्रश्न से हो रही है वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के जरिये श्री अजय गुप्ता की मृत्यु के बारे में पूछे जा चुके हैं, तो अल्पसूचित प्रश्न में पूछी हुई बात को नियम 51 में फिर दुबारा प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं ? नियम 51 की स्वीकृति इस पर कैसे हो गई है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 में जब सरकार की तरफ से वक्तव्य आता है तो स्पष्टीकरण का हक माननीय सदस्य को रहता ह और स्पष्टीकरण में है कि इस प्रकार के प्रश्न कौन पूछेगा उसे तो केवल सर्वज्ञानी ही जान सकता है, दूसरा नहीं। आप काशी नाथ हैं, मेरी तो यह हैसियत है नहीं।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मुझे ताजुब होता है कि सरकार के रोज स्टेटमेन्ट आते हैं, मंत्री जी विश्वास कर लेते हैं, मैं तो समझता हूं कि इस स्टेटमेन्ट पर कोई माननीय सदस्य विश्वास नहीं करेंग और मंत्री जी से सदन के बाद पूछा जाय, तो वह भी विश्वास नहीं करेंगे कि डिग्री कालेज के छात्र और जिनकी मांगें मान ली गई हैं वह इस तरह की मागें करेंगे कि चौराहे पर दरोगा को फांसी लगा दी जाय। क्या इस तरह की मांग विद्यार्थी कर सकते हैं कि नहीं ? इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब जिलाधीश ने उन छात्रों को जो जुलूस लेकर गये थे उनको सभा की अनुमति दे दिया लेकिन जब उसी सभा को करने की श्री दलगंजन सिंह, विधायक अनुमति मांगते थे, जिससे नगर में शान्ति व्यवस्था में कुछ मदद कर सकें, तो उनको सभा करने की जिलाधीश ने अनुमति नहीं दिया। इसलिए क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री दलगंजन सिंह, विधायक को अनुमति न देने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिले का प्रशासन जिलाधिकारी चलाता है, इसलिए उसी को तय करना होता है कि किन परिस्थितियों में किसको अनुमति दी जाय और कौन सभा करे, यह उसके विवेक की बात होती है, यह फैसला उसी को करना होता है कि किसको इजाजत मिलनी चाहिए किसको नहीं। इसमें सिद्धान्त की बात नहीं है।

श्री शंकर सिंह--

जब छात्रों को जुलूस निकालने और सभा करने की अनुमति दी तो विधायक को शान्ति स्थापित करने के लिए सभा करने की अनुमति न देने का क्या कारण ह, इसका उत्तर दे द ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, एक इजाजत जुलूस की दी गई छात्रों की, उसका जो नतीजा हुआ, उसको देखा। मैं नहीं कह सकता कि कौन कारण हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जिलाधिकारी ने सोचा होगा कि माननीय सदस्य जुलूस में जायं तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए अनुमति नहीं दिया होगा।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो वक्तव्य में आया है कि विद्यार्थियों ने पुलिस पर पथराव किया। जिससे पुलिस के लोग जख्मी हुए और उनके चोटें आयी हैं। उसके बाद पुलिस ने कार्यवाही किया लेकिन छात्रों को चोटें नहीं आयी हैं। पुलिस ने कार्यवाही की और किसी छात्र को कोई चोट नहीं आई। क्या कार्यवाही की गई तितर-बितर करने के लिए ? क्या लाठी चार्ज किया था ? यदि लाठी चार्ज किया था तो जो चोटें आई उसकी सूचना जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर ही आधारित है या वहां के जिला अस्पताल से जहां मेडिकल हुआ, दाखिल हुये वहां से सूचना मांगी है ?

श्री अम्बार रिजवी--

जो घायलों की रिपोर्ट है, पुलिस वालों की इनजुरी की रिपोर्ट है, वह मेरे पास है। आज्ञा देंगे तो मैं सब बता दूंग। जहां तक कि सम्मानित सदस्य ने छात्रों की बात की है, उनको चोट नहीं आई। पथराव पुलिस की तरफ हुआ छात्रों की तरफ से किया गया। चोट पुलिस वालों को लगी। चोट आई होती तो कोई न कोई एफ0 आई0 आर0 इनजुरी रिपोर्ट जरूर होती। छात्रों को किसी प्रकार की कोई इस तरह की चोट नहीं आई। पुलिस वालों को चोट आई। उसका ब्योरा हमारे पास है।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, इस वक्तव्य में लिखा हुआ है कि तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वे कौन-कौन थे और किस दफा के अन्तर्गत अभियुक्त थे।

श्री अम्बार रिजवी--

यह श्रीमन्, पहले एक झगड़ा हुआ था जिसमें राजेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार था, भूपत सिंह, अशोक कुमार थे। इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसके कारण ये गिरफ्तार हुये। कुछ लोगों को मौके पर पकड़ लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

उनके प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। उन्होंने पूछा था कि ये कौन लोग थे? आपके बयान के दूसरी लाइन में तीन आदमियों का जिक्र आया है। ये तीन आदमी कौन थे और किस दफा में गिरफ्तार हुये?

श्री अम्बार रिजवी--

मान्यवर, दफा की सूचना यहां पर नहीं है। और जो गिरफ्तार हुये वे श्री अजय कुमार गुप्ता, प्रमोद महेश्वरी, श्याम महेश्वरी थे।

श्री उपाध्यक्ष--

किस दफा में?

श्री अम्बार रिजवी--

दफा का कोई जिक्र नहीं है।

श्री दलगंजन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि गोली चली और उसमें पब्लिक के लोगों ने अजय गुप्ता को मारा-पीटा जिसके संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अजय गुप्ता को डेढ़ बजे कोतवाली ले जाया गया और इस फायरिंग में घायल बीरू को दो बजे अस्पताल में भर्ती किया गया और अजय गुप्ता को रात के 11 बजे अस्पताल ले जाया गया। इसका क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य 30/9/80 को हो चुका है। यह दूसरी घटना है जिसके सम्बन्ध में वक्तव्य है। उसकी जानकारी जो कुछ थी उस दिन दी जा चुकी है। इससे इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ बंकग्राउन्ड है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न किया उसके सम्बन्ध में जो मंत्री जी ने उत्तर दिया वह अपनी जगह पर ठीक बात है। जहां तक गोली वाले काण्ड का सवाल था इस पर पहले वक्तव्य हो चुका था। उसके बाद दूसरी घटना हुई जिसके बारे में यह बयान आया है। इसी बयान पर तो स्पष्टीकरण की अनुमति हो सकता है।

श्री शंकर सिंह—

इसमें है कि मैंजीस्ट्रीयल जांच चल रही है और आगे इसमें आया है सी० आई० डी० जांच चल रही है। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह दोनों जांच पैरेलल चल रही हैं तो इसका क्या औचित्य है? क्या एक जांच में विश्वास नहीं है या दूसरी जांच में विश्वास नहीं है? दोनों जांच चलाने के बाद क्या तीसरी जांच फिर करने वाले हैं? कोई आवश्यक नहीं कि दो-दो जांचें चलें। दूसरी बात यह कि यदि आपको दोनों जांचों पर विश्वास नहीं है इन दोनों को वापस करके आप जुडिशियल जांच इस पर कराने की कृपा करेंगे? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा इसमें यह लिखा है कि तीन छात्रों ने 10, 12 पुलिस के कर्मचारियों को घायल कर दिया जिससे तीन छात्र पकड़े गये तो आपके उन तीन छात्रों पर किन दफाओं के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया और उन तीन छात्रों पर ही चलाया या और भी छात्रों पर चलाया जो उसमें शामिल थे?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंजिस्टीरियल और सी० आई० डी० इंक्वायरी का जहां तक सवाल है जब किसी अभियुक्त की मौत पुलिस कस्टेडी में हो जाती है तो मैंजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाती है और वह हो रही है। क्योंकि मामला गंभीर था और शान्ति व्यवस्था का काफी खतरा था और पुलिस के लिए लोग कहते थे कि पार्शियल है इसलिए सी० आई० डी० इंक्वायरी करा दी गयी। जहां तक जख्मी होने का सवाल है तीन छात्रों ने नहीं किया था बल्कि कोतवाली के पास जो जुलूस इकट्ठा हो गया था और उसने पथराव किया था उसके कारण पुलिस वाले जख्मी हो गये थे। तीन छात्रों के कारण नहीं बल्कि 300 लोग, जो जमा हो गये थे उनके कारण यह घटना हुई थी।

श्री शंकर सिंह—

तीन छात्रों पर किन दफाओं के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया और क्या उनके अलावा भी किसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और अगर कोई मुकदमा दायर किया गया है तो वे छात्र कौन है और क्या दफायें लगाई गयी हैं और जो छात्र जेल में हैं उनको छोड़ दिया गया या नहीं और जो दो जांचें चल रही हैं सी० आई० डी० तथा मैंजिस्टीरियल ये दोनों पैरलल चलेंगी या एक वापस करके न्यायिक जांच कराई जायगी?

श्री अम्मार रिजवी—

छात्रों का नाम है गंगा चरण, मान सिंह और विनोद कुमार और मुकदमा धारा 147/148/331/332/188 आई0 पी0 सी0 के चलाया गया। इसके अलावा जो एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सवाल पैदा नहीं होता। जो सामने आये उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया लिहाजा 3 के खिलाफ ही किया गया वर्ना यह कहा जाता कि इतने लोग कैसे मुकदमे में फांस लिये गये? तो तीन के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया और इनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आइटम नं0 21 लिया जायगा।

(श्री राम सिंह खन्ना के खड़े होने पर।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

51 में जो प्रश्न स्वीकार किया गया था आप देखें कि उसमें मेरा भी नाम है। मैं बार-बार खड़ा हुआ लेकिन एक भी प्रश्न पूछने का आपने मुझे अवसर नहीं दिया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री...

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको पूछने का बार-बार मौका मिला था उस समय आप नहीं उठे और अब आप उठ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं। कृपया बैठें।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आगरा जनपद के शमशाबाद मार्ग पर विकास प्राधिकरण द्वारा आवास योजना के अन्तर्गत गाँवों की भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

1--आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम राजपुर, परगना व जिला आगरा में लगभग 109 एकड़ भूमि शमशाबाद रोड गृह निर्माण हेतु अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारी आगरा को दिनांक 18-5-77 को भेजा गया था।

2--तदुपरान्त लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट नं0 1 आफ 1894) की धारा 4 (1) की विज्ञप्ति कलेक्टर आगरा द्वारा विज्ञप्ति सं0 75/एस0 एल0 ए0 ओ0, दिनांक 18-5-78 एवं शुद्धिकरण सं0 112/एस0एल0ए0ओ0, दिनांक 21-7-1978 में जारी की गई थी जिसका प्रकाशन उ0 प्र0 गजट, में क्रमशः दिनांक 24-6-78 व 18-11-78 को हुआ था। इसके क्रम में अधिनियम की धारा 5-ए के अधीन सम्बन्धित व्यक्तियों की आपत्तियां सुनने हेतु उनको 21 दिन का समय दिया गया था और सभी को अलग-अलग नोटिस भी जारी की गई थी।

3--आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 5-क की संस्तुति जिलाधिकारी, आगरा द्वारा शासन को दिनांक 24 मार्च, 1979 को भेजी गई थी।

4--शासन द्वारा इस सम्बन्ध में धारा 6 की विज्ञप्ति दिनांक 5 अगस्त, 1980 को जारी की गई। जो उ0 प्र0 सरकार के असाधारण गजट, दिनांक 5-8-80 में प्रकाशित हुई। योजना के अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण एवं नाजायज कब्जों व अनधिकृत निर्माणों से बचाने के लिए धारा 17 (1) और (1-क) के प्राविधान भी लागू किये गये। नगर की आवासीय समस्या के निवारण की दृष्टि से विशेषतया पिछड़े वर्गों एवं नागरिक निर्धनों के लिए लोक प्रयोजन हेतु यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसका शीघ्र कार्यान्वयन अपेक्षित है। अधिनियम के अन्तर्गत की गई नोटिस प्रतिकर के विषय में है। जहां तक शासन की सूचना है जबरदस्ती मकान तोड़ने की कोई नोटिस नहीं दी गई है।

5--धारा 6/17 की विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त राजपुर चुंगी क्षेत्र के 57 निवासियों का एक प्रत्यावेदन दिनांक 23-9-80 को शासन को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि उनके भवनों को न अर्जित किया जाय। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही की गई और उनका प्रत्यावेदन विशेष पत्रवाहक द्वारा हाथोहाथ उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को दिनांक 28-9-80 को अवलोकन हेतु भेजा गया और एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई। उनका उत्तर प्राप्त होने तथा शासन से अग्रिम आदेशों तक के लिए कब्जा लेने की कार्यवाही को भी रोकने के आदेश दिये गये।

6--उपाध्यक्ष की रिपोर्ट दिनांक 7-10-80 के द्वारा शासन को सूचित किया गया है कि योजना के अन्तर्गत--

(1) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए	1,156
(2) अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए	910

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(3) मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए, तथा	460
(4) उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए	129
कुल ..	2,655

भूखन्डों का प्राविधान रखा गया है ।

7--प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया है कि धारा 4 भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की विज्ञप्ति दिनांक 24-6-78 के समय प्रस्तावित योजना क्षेत्र में 57 कच्चे-पक्के भवन मौजूद थे । उसके पश्चात् 26 और व्यक्तियों ने भवनों का निर्माण अनाधिकृत एवं अवैधानिक रूप से कर लिया है और कुछ भवनों का निर्माण कार्य जारी है ।

8--इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन लोगों ने नये निर्माण किये हैं । वे स्वयं मूल भू-स्वामी हैं अथवा उन्होंने धारा 4 की विज्ञप्ति के बाद भूमि क्रय की है ।

9--शासन की यह नीति है कि जहां तक हो सके योजनाओं के अन्तर्गत अध्याप्ति की जाने वाली भूमि में पक्के निर्मित भवनों को गिराया न जाये प्रत्युत उन्हें योजना के ले आउट प्लान में समुचित रूप से समायोजित किया जाय । अतः इस बात का भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि धारा 4 की विज्ञप्ति के पूर्व बने पक्के मकानों को योजना में समायोजित कर लिया जाय और गिराया न जाय । जो निर्माण नाजायज तौर पर किये गये हैं/जा रहे हैं उनके विषय में कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां की आवासीय समस्या के निवारण की दृष्टि से विशेषतया पिछड़े वर्गों एवं निर्धन नागरिकों के लिए लोक प्रयोजन हेतु यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आपने माना है कि कमजोर वर्गों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस बस्ती के अन्तर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान हैं उनके लिए भी इस योजना के तहत मकान बनाने की व्यवस्था की गयी है या नहीं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, जिनकी जमीन ली जायेगी और उसका मुआवजा यदि वह नहीं लेंगे, तो उनको वहीं पर मकान देने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । यहां पर 2655 भू-खंड बनाये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कुछ भू-खंड इस तरह के रखे गये हैं कि जो उस बस्ती के रहने वाले हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको भी आवंटित किये जायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जिन लोगों की जमीन ली जायेगी और वह अर्जी देंगे और लेना चाहेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर उनको प्लाट दिये जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राना--

जि के भू-खंड जायेंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर उस हिसाब से दिये जायेंगे इससे उन लोगों को जिनको जमीन जायेगी उनको क्या फायदा हुआ ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उनको प्राथमिकता दी जायेगी जिनके भू-खंड लिये जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राना--

एलाट करने में प्राथमिकता उनको दे दी उनको क्या फायदा हुआ उनकी जमीन गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अगर मुआवजा नहीं लिया है तो उनको जमीन फ्री दी जायेगी ।

श्री छत्तर सिंह--

जिनको जमीन इस योजना के अन्तर्गत ली जायेगी और उनके पक्के मकान बने हुए हैं उनको नहीं गिराया जायेगा इसका स्पष्ट आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री विजय सिंह राना--

मन्त्री जी ने यह कहा है कि 57 कच्चे मकान मौजूद थे और 26 व्यक्तियों ने नये भवनों का निर्माण, अवधानिक रूप से कर लिया है और कुछ भवनों का निर्माण कार्य जारी है । इस सम्बन्ध में यह बात भी कही गयी है कि इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन लोगों ने नये निर्माण किये हैं वे स्वयं मूल भू-स्वामी हैं । तो जब जानकारी नहीं है कि वह उस जमीन के मालिक हैं और कब मकान बनाये, जमीन उनके पजेशन में कब आई । तो जब उन लोगों के बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप उनके खिलाफ ऐक्शन किस आधार पर लेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय, जानकारी की जा रही है । दो कैटेगरी के लोग हैं एक तो वह व्यक्ति जो सेक्सन 4 में विस्थापित हुए और उससे पहले जो हालत थी और दूसरे वह जो उसके बाद मकान बनाये ।

श्री विजय सिंह राना--

आपने कहा जिनके पक्के मकान थे उनके बारे में कहा कि उनको समायोजित किया जायेगा और जिनके कच्चे हैं उनके बारे में स्पष्ट नहीं किया है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

उनको भी समायोजित करने की कोशिश करेंगे ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मूल प्रश्नकर्ता श्री राना हैं वे प्रश्न करेंगे ।

श्री विजय सिंह राना--

सवाल तो कच्चे भवनों का है पक्के मकान वाले तो हैसियत वाले होते हैं वह नये भवन बना सकते हैं उनके लिए आप कुछ करें । लेकिन जिनके कच्चे मकान हैं जो आर्थिक दृष्टि से हीन हैं उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है । तो सबसे बड़ा प्रश्न उनके बारे में है । इसलिए मैं मन्त्री महोदय, से आश्वासन चाहूंगा कि पक्के भवन वालों के साथ रियायत करें या न करें लेकिन जिनके कच्चे भवन हैं, जो परेशान हैं उनके साथ कोई न कोई रियायत जरूर बर्तें ।

श्री राम सिंह खन्ना--

इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । जो सेक्शन 4 में विज्ञप्ति हुई, उस वक्त जो मकान बने हुए थे, उनको तो समायोजित करने की कोशिश करेंगे और जिन्होंने अनधिकृत रूप से उसके बाद बनाए हैं, उसके लिए भी वह करने की कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो ।

श्री बदन सिंह--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि आपको यह जानकारी होती है कि वह स्वयं मूल भू-स्वामी हैं तो आप उनको प्रतिकर देंगे ? और यदि आपको यह जानकारी होती है कि धारा 4 की विज्ञप्ति के बाद भूमि खरीदी है, तो चूंकि बेचने वाले ने यह नहीं बताया होगा, तो क्या इस भूमि खरीदने वाले को उस बेचने वाले से आप पैसा लौटाएंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जहां भी सम्भव होगा, किसी भी पक्ष को बिना तकलीफ दिये हुए कार्य करेंगे, जिससे योजना भी पूरी का र्न्वित हो जाए और कम से कम लोगों को तकलीफ हो । जो अनधिकृत कब्जे हैं उनके साथ वह रियायत नहीं हो सकती है, जिनके पहले के बन हुए हैं ।

श्री किरनपाल सिंह--

इसमें देखा जाए तो नीचे की कैटेगरी में दो तिहाई पैसा लगेगा और ऊपर वाली में एक तिहाई । तो क्या मंत्री जी इसका सिर्फ निम्न और अल्प आय वालों के लिए मान लेंगे ? या फिर निर्बल आय वर्ग के लिए अलग से बनवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

75 से 80 फीसदी तक रुपया बीकर सेक्शन के लिए ही खर्च किया जाएगा ।

श्री विजय सिंह राना--

सबको नोटिस मिल चुकी हैं और 17 की नोटिस मिलने वाली है तो जब तक आप विचार करेंगे उनके मकान धराशाया कर दिये जाएगे, तो क्या अ.प 17 की नोटिस देने से पहले उनके बारे में विचार पूरा कर लेने का आश्वासन देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

स्थानीय हालात पर विचार कर लिया जाएगा । पूरी कोशिश करेंगे कि नियमानुसार कम से कम लोगों को तकलीफ हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त होता है । हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
8 अक्तूबर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

सी3 एस0 यू0 पी0--56 विधान सभा--9-9-81--835 (पी0डी0)